कोविड - 19 महामारी और वनाश्रित समुदाय के जीवंत अनुभव

पर जनसुनवाई और सार्वजनिक जांच

आयोजक:

सार्वजानिक जाँच समिति, जन आयोग

और

अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन

कोविड-19 महामारी और वनाश्रित समुदायों के जीवंत अनुभव
पर
जनसुनवाई और सार्वजानिक जांच

आयोजक:
सार्वजानिक जाँच समिति/जन आयोग
और
अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन

सार्वजानिक जाँच समिति (PIC)/जन आयोग (PC) एक प्रक्रिया है जिसके तहत जनता के द्वारा, जनता का और जनता के लिए समितियों का गठन होता है| इसका मुख्य उद्देश्य लोगों द्वारा अपने सरकार की नितियों और उसके क्रियान्वयन की सार्वजानिक तौर पर जांच करना और उसके प्रभावों के लिए सरकारों को जवाबदेह ठहराना है| मुख्य तौर पर ये जांच कोविड काल में, जिस तरह से स्वास्थ्य समस्या की आड़ में लोगों को बेरोजगारी, अत्याचार, अस्पताल में लापरवाहियां, शिक्षा, आर्थिक संकट, कर्ज, आदि की त्रासदी झेलनी पड़ी उसको लेकर है; परन्तु यह सिर्फ कोविड सम्बंधित या कोविड काल तक सिमित नहीं है अपितु लोगों की स्वायत्तता के आधार पर निर्धारित मुद्दों की प्राथमिकता और उनके द्वारा तय जांच की प्रक्रिया से निर्धारित होता है| लोगों द्वारा विभिन्न मुद्दों, क्षेत्रों या विषयों पर जांच समितियां गठित की जाती है| जांच समितियां सम्बंधित विषयों और मुद्दों पर संकल्पित एवं अनुभवी व्यक्तियों का चयन कर उनको जन आयोग के सदस्यों के रूप में चयनित करती हैं| यह एक राष्ट्रिय कार्यक्रम है जिसमें देशभर से 200 से ज्यादा संगठन, आन्दोलन, यूनियन, समूह, आदि प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं| इस प्रक्रिया में जांच समितियों और जन आयोग के आह्वाहन पर स्वैक्षिक कार्यकर्ता, रिसर्च, मीडिया, दस्तावेजीकरण, आदि की प्रक्रिया में उनकी मदद करते हैं| PC/PIC सचिवालय इन प्रक्रियाओं को सहज बनाने के लिए स्वेच्छिक कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करता है|

कोविड महामारी के दौरान वनाश्रित समुदायों पर हुए अत्याचारों और आपदाओं पर सार्वजानिक जाँच की प्रक्रिया में जन सुनवाइयों की रिपोर्ट

केस संकलन
अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन और सार्वजनिक जाँच समिति के स्वेच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा

वितरण के लिए सहयोग राशि
रु० 25/-

संपर्क:
PC/PIC सचिवालय
ग्रीन पार्क मेट्रो गेट नं. 3 के पास
नई दिल्ली - 110016
मोबाइल: 9958865471 ईमेल: publicinquirycommittee2021@gmail.com

विषय तालिका

जनसुनवाई के साथी

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त रिपोर्ट 5

2. अनुलग्नक (क) : सोनभद्र में दर्ज कोविड प्राथमिकी 26

3. अनुलग्नक (ख) : चंदौली में दर्ज कोविड प्राथमिकी 53

4. अनुलग्नक (ग) : चित्रकूट में दर्ज कोविड प्राथमिकी 68

जनसुनवाई के साथी

जब सार्वजानिक जाँच समिती और जन आयोग की प्रक्रिया में जमीनी हकीकत पर लोगों से साक्षात्कार करने की बात सामने आई तो सबसे पहले अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन के साथियों ने आगे बढ़ कर इस प्रक्रिया को हांथों-हांथ लिया। इसे सफल बनाने की प्रक्रिया में जिन साथियों ने हमारा साथ दिया उनके समय और लगन के लिए संघर्ष के साथियों कि तरफ से जिंदाबाद है। अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन से राजकुमारी दी, सुकलो गोंड़, मुन्नर, कैलाशी, माता दयाल, रानी, पंकज गौतम, क्षेत्रीय साथी के रूप में आमिर खान, राजा रबी हुसैन, सुसम्मा महानंद, विशाल और विवेक कार्यकर्त्ता साथी के रूप में हमारे साथ रहे। सार्वजानिक जाँच समिती और जन आयोग की तरफ से उमेश बाबू, अविजित, आँचल, विकास, एविटा, प्रियदर्शनी, शबीना सिद्दीकी, उदयन और विजयन एम. जे. ने हिस्सा लिया। इन सभी साथियों के उत्साह, लगन, संघर्ष के जस्बे को दिल से सलाम। यह आशा और विश्वास है कि जवाबदेही को लेकर सवाल पूछने की यह प्रक्रिया सतत चलती रहेगी।

सार्वजानिक जाँच समिती और जन आयोग
(सचिवालय)

प्रस्तावना

24 मार्च 2020 शाम के 8 बजे प्रधानमंत्री ने अचानक पूरे देश में लॉक-डाउन कि घोषणा कर दी। कोविड महामारी से संकट की शुरुआत लगभग दो महीने पहले से ही शुरू हो गयी थी। इसके कारण लॉकडाउन कि आशंका तो बनी हुई थी लेकिन इन दो महीनो के समय में कोई भी वैकल्पिक प्रस्ताव या व्यवस्था नहीं हुई थी और एका एक बिना कोई तैयारी के घोषणा कर दी गयी। न तो सरकारी तौर पर कोई तैयारी थी और ना ही समाज में इसके लिए कोई वैकल्पिक प्रस्ताव था। इसके कारण रातों रात भागदौड मच गयी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कोई तैयारी नहीं थी| आर्थिक प्रणाली और यातायात एक दम से ठप हो गया। पूरे देश में, खास करके शहरी इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लोगों के पास न खाने को पर्याप्त साधन थे और ना ही रोजगार का कोई उपाय। इसके कारण कुछ ही हफ्ते में करोड़ों लोग (प्रवासी मजदुर) सड़क पर आ गए। इन मजदूरों के पास न रोजगार था और न रहने कि जगह, जिस वजह से हजारों मील पैदल चलकर घर वापस जाने के लिए बाध्य हुए। जो शहर में रह गए उनके पास भी रोजगार न होने के कारण खाने पीने का संकट आ गया।

महामारी के चलते सरकार ने एक विशेष आपदा नियन्त्रण कानून लागू करके एक तरह से आपात काल की घोषणा कर दी जिसके कारण सभी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन के हाथ सौंप दी गयी। राज्य सरकारों को भी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आधीन कर दिया गया। स्वस्थ्य क्षेत्र में भी भारी संकट आ गया। ज्यादातर अस्पतालों को सिर्फ कोविड के इलाज के लिए लगा दिया गया। एक तरह से दूसरी सारी स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठप पड़ गई। आने जाने की पाबन्दी के कारण लोग उन अस्पतालों में भी नहीं पहुँच पा रहे थे जहाँ कोविड मरीजों की चिकित्सा होने की व्यवस्था थी। कोविड अस्पतालों में भी पर्याप्त तैयारी नहीं थी और लम्बी कतार, दवाई, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों के मौतों की संख्या भी बढ़ती चली गई। ज्यादातर मौतें इलाज न मिल पाने की वजह से हुई। इस तरह की अव्यवस्था के कारण लोगों को भयंकर तकलीफ झेलना पड़ा। इस भयावह परिस्थिति में किसी भी मुश्किल के निराकरण के लिए सरकारी कोशिश होता हुआ नहीं दिखाई दिया और जब लोग इसकी मांग करने लगें तब पुलिस प्रशासन का दमन भी बढ़ गया। शारीरिक दूरी की जगह सामाजिक दूरी की व्यवस्था के लागु होने के कारण समाज के अन्दर एक दुसरे को मदद करने की स्वाभाविक प्रक्रिया भी बाधित हुई। आपस में मिलना जुलना भी बंद हो गया; खासकर गरीब मजदूर वर्ग के ऊपर वर्गीय भेदभाव भी बढ़ गया। इस तरह वर्ष 2016 के नोटबंदी

के समय से जो आर्थिक संकट बनना शुरू हुआ, महामारी के दौर में वह चरम सीमा पर पहुँच गया बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गयी और 45 साल का रिकॉर्ड पार कर गयी। महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ी और अभी भी बढ़ रही है। चिंताजनक बात यह है कि इस दौर में कुछ खास पूंजीपति वर्गों की मुनाफाखोरी कई सौ गुना बढ़ गयी। कुल मिलाकर अमीरी गरीबी की जो खाई है उसमें भयंकर वृद्धि हुई जिसने विकास की सारी अवधारणाओं को ध्वस्त कर दिया। सबसे अहम् सच्चाई इस दौर में जो दिखाई दी वह थी सरकार की अकर्मण्यता और नागरिकों के प्रति अपने जिम्मेदारी की घोर अवहेलना। इस गंभीर संकट की शुरुआत में प्रधानमंत्री का यह बयान, "समस्याओं को अवसर बनाना" - सरकार का इरादा और मानसिकता को ज़ाहिर करता है। आम जनता की बरबादी से सत्ता ने दलाल पूंजीवाद (क्रोनीपूंजीवाद) को बढ़ावा दिया और तमाम प्रतिष्ठानों और समाज पर अपने निरंकुश मालिकाना/आधिपत्य को स्थापित किया। संवैधानिक संस्थाओं ने भी पीड़ित जनता के प्रति अपनी संवेदना दिखा नहीं सकी जिसके कारण आम लोगों को राहत के लिए दर-दर भटकना पड़ा। समाज में चारों तरफ भय और भ्रम की स्थिति पैदा की गयी ताकि सरकार से कोई सवाल जवाब न कर सके। कहीं पर भी जनता के लिए सुनवाई का कोई अवसर और गुंजाईश नहीं बची। देश के अन्दर एक गंभीर आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक संकट चरम सीमा पर पहुँच गया और इसका सारा बोझ आम जनता को ढोना पड़ रहा है।

इस गंभीर संकट के लिए जिम्मेदार सरकार की गैर-जिम्मेदाराना रवैये का पर्दाफाश करना चाहिए। ज़ाहिर है यह संकट दिन प्रतिदिन और गहरा होता जा रहा है जिसका निराकरण ढूँढना ज़रूरी है। इसलिए सरकार की गैर-जिम्मेदाराना हरकत कि जांच पड़ताल होना सबसे ज़रूरी काम है। मौजूदा स्थिति में राजनैतिक पार्टियां भी इस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं दिख रही हैं - वे भी सरकारी दमन के दबाव में दिख रहीं हैं और इसलिए ये विरोधी दल अपने आप इस जाँच पड़ताल का काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण काम की शुरुआत जन समूहों को ही खुद करनी होगी। जब तक जन समूह जागरूक होकर सरकारों से सवाल जवाब नहीं करेंगें तब तक राजनैतिक संगठन व अन्य प्रगतिशील और संवैधानिक संस्थाएं भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पायेंगें।

पिछले तीन दशकों में मुख्य राजनैतिक पार्टियां व प्रगतिशील समूह आम जनता से कटे हुए हैं। जनता से उनका संवाद केवल चुनावी दौर तक सीमित है। जनता कि रोज़मर्रा कि तकलीफ़ों में उनकी दखलअंदाजी दिन प्रतिदिन कम होती आयी है। इसलिए ये ज़रूरी है जन समूहों द्वारा सरकार की कार्यनीति और कार्यवाहियों पर जांच

पड़ताल शुरू किया जाय। भारत में ऐसी प्रक्रिया बहुत कम रही हैं और आम जनता में इस बात की जागरूकता की बेहद कमी है। बाज़ारीकरण प्रक्रिया के चलते सामाजिक शक्ति न केवल कमज़ोर हुए है बल्कि सरकार पर निर्भरशील हुए हैं। इसलिए पिछले पांच दशकों में जाँच पड़ताल कि प्रक्रिया का कोई मिसाल नहीं मिलता और यह आम जन समूहों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जिसका कोई विकल्प नहीं है।

जनता द्वारा जाँच पड़ताल की प्रक्रिया एक तरह से नया प्रयोग है। जन संगठनों और प्रगतिशील समूहों को इस प्रक्रिया को शुरू करने की पहल करनी होगी। इस प्रयोग का कोई उदाहरण नहीं होने के कारण कोई फार्मूला हमारे सामने नहीं है। नए तरीके से कई प्रयोग करना होगा जिससे एक समय में जनता द्वारा जांच की अवधारणा स्पष्ट हो पायेगी और स्थापित होगी। निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रिया को बनाये रखने की सम्भावना समाज के अन्दर मौजूद है, खासकर शोषित पीड़ित जनता अपनी तकलीफ को खुलकर सामने लाना चाहती है। एक सीमित समय में जन सुनवाइयों की जो कोशिश की गयी उससे ऐसी संभावनाओं की आशा की जा सकती है। ज़रूरत है एक संगठित प्रयास की।

इस रिपोर्ट में इन अनुभवों को रखा गया है जिसपर सामूहिक चर्चा करके आगे बढ़ाना ज़रूरी है। इस सन्दर्भ में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भी है और नए काम करने का तरीका तैयार किया जा सकता है।

अशोक चौधरी,
कार्यकारी अध्यक्ष,
अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन

बोल की लब आज़ाद हैं तेरे

जन आयोग/सार्वजनिक जांच समिति
जनसुनवाईयां - कोरोना काल में सरकारी अत्याचार

कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने जो तरीके अपनाये उससे आम जनता के ऊपर गहरे प्रभाव पड़े। इन प्रभावों की विस्तृत जाँच सरकारी एजेंसी या किसी अन्य संवैधानिक संस्थानो के द्वारा किया जाना अभी बाकी है। जनता की तरफ से इस तरह की जांच करने की प्रकिया के बारे में अगस्त 2021 में लगभग 200 संगठनों ने निर्णय लिया। सार्वजानिक जाँच समिति/जन आयोग के शुरूआती कार्यों के लिए एक अखिल भारतीय सचिवालय और कार्यकारी समूह (वर्किंग ग्रुप) बना। इस प्रक्रिया में अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन (AIUFWP) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने वनाधिकार क्षेत्रों में सार्वजानिक जांच समितियों/जन आयोग के गठन से पहले जनसुनवाइयों की पहल की। अगस्त 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन (AIUFWP) की करीब 6-7 बैठकें हुईं, जिसमें क्षेत्रीय संगठनों ने बड़े जोर-शोर से अपने-अपने क्षेत्रों में जनसुनवाईयों की मांग की। यूनियन ने प्रायोगिक कार्यक्रम(Pilot Program) के तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य के तीन जिलों-चित्रकूट, सोनभद्र और चंदौली में जनसुनवाई करने का फैसला लिया। इन तीनो जिलों में यूनियन के क्षेत्रीय संगठन ने अपने केन्द्रीय नेतृत्व, दिल्ली समर्थक समूह और जन आयोग के सचिवालय के साथ मिलकर कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम में वालंटियर्स के द्वारा जमीनी स्तर पर जाकर स्थिति के अनुसार दो अलग-अलग तरीकों से कोविड प्राथमिकी [इस रिपोर्ट में **कोविड प्राथमिकी या *COVID-FIR*** का तात्पर्य लोगों के बयान (*Testimony*) से है जिसमें वे कोरोना काल की उन घटनाओं को बताते हैं जिनसे उनको परेशानी या अत्याचार महसूस हुआ] को दर्ज किया गया। जनसुनवाई की जिम्मेदारी को स्थानीय लोगों ने खुद अपने ऊपर लिया। जनसुनवाई की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कोविड प्राथमिकी (COVID FIR) के प्राथमिकता वाले सीमित केस ही जूरी मेम्बर के समक्ष रखे गए।

सोनभद्र जिले में वालंटियर्स का कैंप बिरसा नगर, ग्राम मझौली, ब्लाक दुद्धी में बनाया गया जहाँ COVID-FIR दर्ज कराने के लिए लोग स्वयं चलकर आये। यहाँ पर जिले के 18 गाँवों से कुल 51 लोग आये, जिसमें से 40

कोविड प्राथमिकी (COVID-FIR) केस दर्ज हुए। जनसुनवाई दिनांक 27 दिसंबर 2021 को हुई जिसमें सीमित समय सीमा के कारण जूरी के समक्ष केवल 20 केस रखे जा सके।

इस जिले में केस लिखने और जनसुनवाई की पूरी व्यवस्था अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन (AIUFWP) की अध्यक्षा श्रीमती सुकलो गोंड़ ने की। जूरी सदस्य - मुनीजा रफीक (मानवाधिकार, महिला एवं अल्पसंख्यक मुद्दों पर काम करती हैं), तीस्ता सीतलवाड़ (मानवाधिकार और अल्पसंख्यक मुद्दों पर काम करती हैं, ज़ूम पर), सुकालो गोंड़ (अध्यक्ष, AIUFWP), राजकुमारी (सदस्य, AIUFWP), प्रियदर्शिनी (सामाजिक कार्यकर्ता, वित्तीय विषयों पर काम करती हैं), और आमिर (संगठन सचिव, AIUFWP) थे।

चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लाक में भी लोगो ने कई गाँवो से स्वयं आकर और कई गाँवों में वालंटियर्स ने जाकर लोगों की कोविड प्राथमिकी (COVID-FIR) दर्ज की। इन प्रत्येक जगहों पर वालंटियर्स 6-7 गाँवों में गए और वहां लोगों के बयान दर्ज किये। चंदौली में वालंटियर्स के रहने, गावों में जाकर लोगों के बयान दर्ज करने और दिनांक 28 दिसंबर 2021 को जनसुनवाई की व्यवस्था यूनियन (AIUFWP) की क्षेत्रीय लीडर श्रीमती कैलाशी जी ने की। यहाँ कुल 28 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराये और यहाँ पर भी सीमित समय सीमा, और बारिश होने की वजह से जूरी के समक्ष केवल 15 ही केस रखे गए। जनसुनवाई में करीब 500 लोगों ने भाग लिया। जूरी सदस्य - मुनीजा रफीक (मानवाधिकार, महिला एवं अल्पसंख्यक मुद्दों पर काम करती हैं), सुकालो गोंड़ (अध्यक्ष, AIUFWP), राजकुमारी (सदस्य, AIUFWP), प्रियदर्शिनी (सामाजिक कार्यकर्ता, वित्तीय विषयों पर काम करती हैं), राज रतन (वकील), और उमेश बाबू (अर्थशास्त्री) थे। बारिश होने की वजह से जनसुनवाई पूरी नहीं हो सकी लेकिन इसे मार्च 31, 2022 को पुनः ग्राम लक्ष्मनपुर चंदौली में पूरा किया गया।

चित्रकूट जिले के मानिकपुर ब्लॉक में वालंटियर्स ने लगभग 6-7 गाँवों में जाकर लोगों की कोविड प्राथमिकी (COVID-FIR) दर्ज की। यहाँ वालंटियर्स ने, गावों में जाकर लोगों के बयान लिखे और दिनांक 31 दिसंबर 2021 को जनसुनवाई की पूरी व्यवस्था यूनियन के लीडर श्री मातादयाल और सुश्री रानी ने की। यहाँ करीब 50 लोगों ने अपनी कोविड प्राथमिकी (COVID-FIR) दर्ज कराई जिसमें से 17 केस जूरी के सामने रखे जा सके। जनसुनवाई में लगभग 350 लोगों ने हिस्सा लिया। जूरी मेंबर/सदस्यः डॉ अपर्णा (इंडियन फेडरेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियन अध्यक्ष IFTU), दौलत राम (दलित मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ता), रामकुमार (दलित मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ता), राजकुमारी (सदस्य, AIUFWP) और प्रियदर्शिनी (सामाजिक कार्यकर्ता, वित्तीय विषयों पर काम करती हैं)।

जनसुनवाईयों का आधार

पहली नजर में संगठनों ने यह पाया कि कोरोना एक स्वास्थ्य समस्या थी लेकिन इससे निपटने के जो तौर-तरीके सरकार ने अपनाये, उन तौर-तरीकों के अनुचित क्रियान्वयन से यह स्वास्थ्य समस्या एक कानून-व्यवस्था और नीतिगत मसला बन गयी। जिसकी वजह से लोगों की समस्याएं चौतरफा और चौगुना हो गयी, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था, नीतिगत, क़ानूनी, सामाजिक और प्रसाशनिक। इन सभी समस्याओं को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँट कर देखने का प्रयास किया गया - लोगों की मौत, कर्ज और अत्याचार [अंग्रेजी मुहावरे में (3D- Death, Debt and Distress)]

जनसुनवाईयां, कोविड प्राथमिकी (COVID-FIR) के केस और जूरी सदस्यों की टिप्पणियाँ

कोविड प्राथमिकी (COVID-FIR) के तहत जन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार जब वालंटियर्स द्वारा लोगों के बयान दर्ज करना शुरू किया तो जमीनी स्तर पर लोग स्वतंत्र रूप से अपनी समस्याएं व्यक्त करने लगे। एक लम्बे समय से तालाबंदी और सामाजिक दूरी के सरकारी फरमान के चलते लोगों को अपनी समस्याएं कहने का कोई अवसर नहीं मिला था, बल्कि इसके विपरीत जो लोग अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर ज़ुल्म हो रहे थे। ऐसी स्थिति में पीड़ित लोगों के बयान दर्ज करने का काम लोगों के लिए एक नई और संवेदनापूर्ण प्रक्रिया रही। इस प्रक्रिया में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए लगभग हर एक व्यक्ति अपनी प्रत्येक समस्या दर्ज कराना चाहता था, समस्याओं को दर्ज कराते समय उनके चेहरे के भाव, उनकी असमर्थता और नाराजगी साफ़ दिख रही थी।

1. मौतें और स्वस्थ्य समस्याएं

जन सुनवाई के दौरान जब क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत की गई तो हमें एक अलग ही दृश्य दिखाई दिया। अब तक हम यह सोच रहे थे की मौतें कोविड की वजह से हुई हैं जो पूर्णतः सच नहीं हैं। लोगों की मृत्यु-भुखमरी, सहीं इलाज न मिल पाने, सहीं समय पर इलाज न मिल पाने, स्वास्थ्य विभाग एवं कर्मचारियों की अनदेखी जैसे बहुत से अन्य कारण भी है। इन सब कारणों के पीछे कोविड से निपटने के लिए जो तरीके अपनाये गए वे भी हैं। ये सभी कारण आपको इस जन सुनवाई के रिपोर्ट में देखने को मिलेगी।

1.1 कोविड -19 के चलते मौतें

सोनभद्र और चंदौली में एक-एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पतालो में हुई। सरकार ने मृतकों के घरवालों को इन मौतों का कारण कोरोना बताया। चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लॉक में एक व्यक्ति को स्वास्थ्य उपेक्षा और प्रसाशनिक उपेक्षा दोनों का शिकार होना पड़ा।

कोरोना काल के दौरान सही इलाज व ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत्यु

नामः रामनाथ यादव,
पताः गाँव-गढ़वा, ब्लॉक नौगढ़, तहसील नौगढ़,
थाना, चकरघट्टा, जनपद चंदौली

समस्याः कोरोना काल के दौरान सही इलाज व ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत्यु

विवरणः रामनाथ यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके भाई बिमलेश यादव की कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल में समय से सही इलाज व ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। बिमलेश यादव जिनकी उम्र 32 वर्ष थी और जो ग्राम गढ़वा के रहने वाले थे, उनकी अप्रैल 2021 में तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई तो उन्हें 23/4/2021 को जिला अस्पताल, लोढ़ी (सोनभद्र, राबर्टगंज) में भर्ती कराया। उनके भाई रामनाथ यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब वह अपने भाई विमलेश यादव से कोविड स्पेश्यालिटी अस्पताल में मिलने गये तो उनके भाई ने उन्हें अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और सांस लेने में हो रही दिक्कत के बारे में बताया। जिसके बाद रामनाथ यादव ने डाक्टर के पास जाकर उनके लिये दवाई और ऑक्सीजन की मांग की। जब वह डाक्टर से दवाई और ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे तो डाक्टर ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन नही है और दवाईयों के नाम पर वह केवल एक-दो गोली दूर से ही मरीज़ को खाने के लिये दे रहे थे। डाक्टर मरीज के आस-पास तक नही आ रहे थे। बिमलेश यादव का आक्सीजन का स्तर अत्यधिक गिरने से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली गई। उनके घरवालों ने ऑक्सीजन के लिये सीएमओ से भी कई बार सम्पर्क किया परन्तु उसने भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करा पाने में अपनी असमर्थता बताई। कहीं से भी ऑक्सीजन नही मिल पाया और ऑक्सीजन की कमी तथा अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिमलेश यादव के परिवार में उनकी बीवी और दो बच्चे है जिनका भरण-पोषण वह दूध बेचकर करते थे। वह अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को न तो कोई सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिवारिक लाभ योजना का फायदा मिला और न ही सरकार द्वारा घोषित कोरोना मृत्यु का मुआवज़ा ही मिला। उनकी पत्नी को विधवा पेंशन का लाभ भी नही मिल रहा है। अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना, निजी अस्पतालों में इलाज की मनमानी कीमत और कर्ज लेकर इलाज कराने के लिए मजबूर होना था।

1.2 **स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से मृत्यु**

मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था के आलावा ट्रांसपोर्ट की भी परेशानी झेलनी पड़ी| जिन जगहों पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी या एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी वहां लोग अपने परिजनों को प्राइवेट गाड़ियों से ले जा रहे थे। वे अपने परिजनों को तो नहीं बचा सके, उपर से कर्ज के बोझ तले दब गए। कम से कम दो परिवारों में कर्ज लेकर इलाज कराने के बावजूद भी मरीज को सिर्फ इधर से उधर एम्बुलेंस में समय गुजारना पड़ा और मरीज नहीं बच पाए।

केस न०- 4: गलत स्वास्थ्य सेवाओं से नुकसान

नाम: कुलदीप,
पता: गाँव- मुरकटा, ब्लॉक मानिकपुर
तहसील मानिकपुर, थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट

कुलदीप s/o सोमनाथ, ग्राम मुरकटा, ग्राम पंचायत ऊँचाडीह, जिला चित्रकूट के निवासी हैं जिन्हें मार्च 2021 में कोरोना महामारी के दौरान सामान्य बुखार आया। उन्होंने आसपास के नीम-हकीम से इलाज कराना शुरू किया। डॉक्टर ने अपनी तरफ से कुछ दवाइयां दी और कहा कि बुखार है ठीक हो जायेगा। परन्तु बुखार ठीक नहीं हुआ। तब कुलदीप को मानिकपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया परन्तु वहाँ भी उसे गेट के बाहर से ही बुखार की गोली देकर भेज दिया गया। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने शहर जाने और वहां इलाज कराने का इरादा किया। वहाँ भी न ही कोई प्राइवेट डॉक्टर और न ही सरकारी अस्पताल बुखार के मरीज को भर्ती कर रहे थे। इस वजह से कुलदीप को कर्वी के डॉ सुरेन्द्र अग्रवाल के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट कराया ताकि उसे अच्छा इलाज मिल सके। लेकिन नर्सिंग होम में 2 से 3 दिन बिताने के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में कुलदीप की मृत्यु हो गई। इससे परिवार को, जोकि एक कोल जनजातीय परिवार है, कुलदीप के इलाज में लाखों रुपये खर्च करना पड़ा। इस इलाज के लिए उन्हें अपने पुश्तैनी जमीन को गिरवी रखनी पड़ी जिस कारण आज इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। अब उनके पास न तो कोई रोजगार है और न ही जमीन है।

1.3 COVID टीके के कारण मृत्यु

सोनभद्र जिले में दो व्यक्तियों की कोविड टीका लगवाने के बाद मृत्यु हो गयी। इसके बाद गाँव वालों में दहशत फ़ैल गयी और लोग कोविड टीका लेने से घबराने लगे। लेकिन सरकार की तरफ से जोर-जबरदस्ती और मजबूर किये जाने के बाद लोग टीका लगवाने के लिए मजबूर रहे हैं।

केस संख्या 12: कोविड टीके से मौत, एक मजबूरी

व्यक्ति का नाम: राम वृक्ष,
पता: ग्राम- बोम, ब्लॉक दुद्धी, थाना विण्डमगंज,
तहसील दुद्धी, जिला सोनभद्र

तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ

बस्ती में 85 आदिवासियों के घर हैं। इनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ और न ही आस पास की दूसरी बस्तियों में किसी को कोरोना हुआ था। लेकिन सरकार ने घोषणा कर दिया कि जो टिका नहीं लगवाएगा उसके परिवार को राशन नहीं मिलेगा। पड़ोस के एक आदमी की कोरोना का टीका लगने से मृत्यु हो गयी और जिससे वह लोग डर गए थे। इसके बावजूद भी प्रधान ने राशन लेने के लिए टीका लगवाने की शर्त लगा दी। मजबूरी में हमें टीका लगवाना पड़ा।

1.4 स्वास्थ्य प्रभाव - कोविड टीके से विकलांगता

लोगों को जबरन टीका लगाने के केस अनेक रूपों में देखे गए - कहीं पर लोगों को धमकाकर टीका लगाया गया तो कहीं पर उन्हें जंगलों से जबरन पकड़ कर टीका लगाया गया। अपने साथ हुए अत्याचार को सार्वजानिक तौर पर बताने से लोग इस हद तक डरे थे कि उन्होंने अपनी जुबानी अपने दर्द बयान किये लेकिन भय के कारण जनसुनवाईयों में हिस्सा नहीं लिया। मानिकपुर (जिला चित्रकूट) के किहुनिया गाँव में कोल समुदाय के 30 परिवारों की बस्ती हैं। यहाँ कम से कम 6 परिवार के लोगों ने बताया कि उनके घरों में एक या दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोरोना का इंजेक्शन लेने के बाद अपंगता आ गयी है। वे अब सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था से डरे हुए हैं और निजी इलाज करवा रहे हैं। ये लोग कोरोना का टीका लगवाने से बचने के लिए घरों से भाग कर जंगलों में छिपने लगे लेकिन जब उनके पास खाने के लिए राशन समाप्त हो गया तो उन्हें राशन के बदले कोविड टीका लगवाने के लिए मजबूर किया गया। कोरोना महामारी से बचने के लिए कोविड टीकाकरण सरकार के जागरूकता

अभियान का हिस्सा था। लेकिन तीनों क्षेत्रों में यह पाया गया कि सरकार का यह अभियान लोगों को टीका लगवाने के लिए राजी नहीं कर पाया। सरकार लोगों को भरोसे में लेकर यह कार्य करने में विफल रही। अपनी इस विफलता और टीका लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने राशन के साथ कोविड टीका लगवाने की शर्त को जोड़ दिया। गरीब व्यक्ति एक तरफ टीका लगवाने के लिए राजी नहीं था तो दूसरी तरफ बिना टीका लगवाये उसे राशन या भोजन मिलना असम्भव हो गया। इस प्रकार गरीब व्यक्ति के लिए कोविड का टीका एक जरूरत न रहकर एक मजबूरी के रूप में तब्दील हो गया जबकि सम्भ्रांत और शहर के लोगों के लिए यह टीका स्वेच्छिक था।

2. कर्जों का बोझ

इस कोविड काल में एक विशेष तबके को छोड़ दिया जाय तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्हें विभिन्न कारणों से कर्ज ना लेना पड़ा हो। कर्ज लेने के कारणों को सिमित भी नहीं किया जा सकता। किसी ने भूख मिटने के लिए कर्ज लिया है, किसी ने इलाज के लिए लिया है, प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आते समय यात्रा के लिए कर्ज लिए और छोटे-छोटे खुदरा व्यवसायियों को अपना उद्योग चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। इस समय लगभग सभी कारणों से कुछ न कुछ कर्ज लेना पड़ा। ऐसे ही कुछ तथ्य हमारी जन सुनवाई के दौरान निकल के सामने आये हैं।

2.1 स्वास्थ्य सम्बंधित कर्ज

स्वास्थ्य व्यवस्था के जर्जर होने की घटना और इससे गरीब लोगों के ऊपर स्वास्थ्य सम्बंधित खर्चों और कर्जों की समस्या सभी क्षेत्रों में एक सी पाई गयी। सोनभद्र में एक व्यक्ति राम वृक्ष, निवासी ग्राम सरडीहा, ब्लाक दुद्धी, जिला सोनभद्र को अपने बेटे के इलाज के लिए रु० 1,50,000/- में अपनी जमीन बेचनी पड़ी क्योंकि उसे कर्ज भी नहीं मिल पा रहा था। चंदौली में ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की थी जिनका सरकार द्वारा प्रदान किया गया स्वास्थ्य बीमा कार्ड - आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ा। जैसे- श्रीमती श्याम देई, ग्राम लक्ष्मणपुर, तहसील नौगढ़, जिला चंदौली। ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने कर्ज लेकर और संपत्तियां बेंचकर इलाज कराया लेकिन मरीज को बचा न सके।

केस न०- 15: तालाबंदी में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने से मृत्यु

नाम- अवध नरेश

पता: गाँव-अमरपुर ऊंचाडीह, ब्लॉक मानिकपुर,

तहसील मानिकपुर, जिला चित्रकूट

शांति पत्नी अमरनाथ सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान बीमार हुई। उनकी बीमारी एक साधारण बीमारी थी लेकिन कोरोना के समय साधारण बीमारी भी बड़ी बीमारी दिखाई दे रही थी। उनके पुत्र अवध नरेश अपनी माता जी को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र और जिले के सरकारी अस्पताल मे इलाज कराने हेतु ले गए। लेकिन किसी भी अस्पताल मे डाक्टर ने इनका ठीक प्रकार से इलाज नहीं किया। सभी डॉक्टरों ने डर के चलते उन्हें दूर से ही दवा और स्वास्थ्य सलाह दी परन्तु उनकी कभी भी कोरोना की जांच नहीं की गयी। किसी भी डाक्टर ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कोरोना संक्रमण से पीड़ित है या नहीं। इलाज के दौरान उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा यातायात मे खर्च हुआ क्योंकि कोरोना बीमारी के समय सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी और प्राइवेट गाड़ी वाले एक जगह से दूसरी जगह जाने का सामान्य से 10 गुना ज्यादा किराया वसूलते थे। अवध नरेश की माता जी का चार महीने बीमारी से लड़ने के बाद 7 अक्टूबर 2021 को देहान्त हो गया। अवध नरेश के पास 40 बकरियां थी जिनको इलाज के कारण बेचना पड़ा और घर में जो जेवरात थे उन्हें गिरवी रखकर कर्ज लिया था। अब इनको कोई रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। रोजगार की गहराती समस्या के चलते परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। किसी तरह परिवार अपना जीवन गुजार रहे हैं।

2.2 आजीविका खत्म होने से कर्ज

कोरोना से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए गए उसमें सबसे बड़ा असर लोगों की आजीविका पर पड़ा। तालाबंदी से करोड़ो बेरोजगार हुए। अपने जीवन यापन, इलाज, आदि के लिए कर्ज लेना एक मजबूरी बन गयी। जो रोज मेहनत करके खाते थे उनकी मेहनत करने के अवसर बंद हो गए। दैनिक मजदूरी करने वालों के पास रूपये कमाने के श्रोत तत्काल बंद हो गए और वेतन पर काम करने वालों की बचत खत्म होने लगी।

केस न०- 7: कर्ज के नाम पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का आतंक

नाम: कैलाशी/कृष्णा

पता: गाँव-लक्ष्मणपुर, ब्लाक-नौगढ़,

जिला-चंदौली

समस्या-कोरोना काल में कैशपार और अन्य माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा जबरन धन उगाही

विवरण-कैशपार/उत्कर्ष समूह और अन्य कई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो जरूरतमंद गरीब समुदाय की महिलाओं को समूह बनाकर आर्थिक मदद कर्ज के रूप में देती है। कर्ज के रूप में दी गयी राशि को कंपनी कुछ ब्याज के साथ किस्तों में वसूल करती है जिसकी क़िस्त एक हफ्ते, 15 दिन या एक महीने की हो सकती है। कर्ज देते समय कंपनी द्वारा तय की गयी क़िस्त के दिनांक को पैसा जमा करने की शपथ दी जाती है जो समूह की हर महिलाएं करती है। समूह की जो महिला पहले से तय तारीख पर अगर क़िस्त नहीं जमा कर पाती है तो उसका भुगतान समूह की अन्य सभी महिलाओं को करना पड़ता है। क्षेत्र के लगभग हर गाँव में 15 से 20 महिलाओं ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लिया है। कर्ज वसूली में यह सभी माइक्रो फाइनेंस कम्पनियाँ, आर.बी.आई. के दिशा निर्देशों की खुले तौर से धज्जियाँ उड़ाते हुए कर्ज वसूली करती है। किश्तों की भरपाई समूह द्वारा दबाव डलवाकर जबरन भी कराई जाती है। कोरोना काल के दौरान 3-4 महीने के लिए आर.बी.आई द्वारा किसी भी प्रकार की कर्ज वसूली पर रोक लगा दी गयी थी। उसके बाद जब कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू हुयी तो इन कम्पनियों द्वारा पिछली किस्तों का भुगतान ब्याज सहित लिया जा रहा है। क़िस्त न जमा कर पाने की स्थिति में गाँव लक्ष्मणपुर में कंपनी के एजेंट स्थानीय पुलिस स्टेशन चकरहट्टा से सिपाही को बुलाकर महिलाओ को धमका कर कर्ज की क़िस्त जमा करवाने का काम करते है। इन कंपनियों के कारण गरीब समुदाय कर्ज के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास के लिए चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम का फ़ायदा इस समाज को होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस समाज के विकास के लिए चलाई जा रही स्पेशल कॉम्पोनेन्ट योजना भी इन क्षेत्रो में निष्क्रिय है। कंपनियां इस कर्ज को वसूलने के लिए कर्जदार कि संपत्ति जैसे जानवर, आभूषण, और जमीन आदि बेचने से बाज नहीं आते हैं।

2.3 मजदूरी न मिलने से कर्ज

तीनों जिलों में लगभग 80% परिवारों के प्रत्येक घर से कम से कम एक व्यक्ति शहर में मजदूरी का कार्य करता था। लगभग 70% लोगों ने बताया कि लॉक डाउन लगने के बाद उन्हें मजदूरी नहीं मिली। लॉक डाउन की घोषणा के बाद ज्यादातर लोग पैदल घर की तरफ वापस आने लगे। करीब 20% परिवार ऐसे थे जिन्होंने शहर में मजदूरी करने के लिए गए अपने परिवार के सदस्यों को वापिस बुलाने के लिए कर्ज लेकर पैसा भेजा ताकि वे ट्रेन या किसी अन्य साधन से घर वापस आ सकें। इस प्रकार मजदूरों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ी, एक तरफ मजदूरी नहीं

मिली और दूसरी तरफ कर्ज लेकर घर वापस आना पड़ा। विभिन्न परिवारों में इस तरह के कर्ज की रकम रु० 5,000/- से लेकर रु० 26,000/- तक थी जहाँ से यातायात के साधन नहीं थे या उसके लिए पैसे नहीं थे वहां से उन्हें पैदल चल कर घर वापस आना पड़ा।

केस संख्या 29

नाम: श्री सुखदेव गोंड़ (आदिवासी)
पता: ग्राम-लिलासी कला,
ब्लॉक-म्योरपुर, तहसील-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

तालाबंदी के समय अत्याचार/अपराध की घटनाएँ

इनका लड़का धन सिंह इलाहबाद में मजदूरी करता था। तालाबंदी के बाद ठेकेदार ने ने उसे मजदूरी नहीं दी लेकिन उसे काम करने की जगह पर ही खाने और रहने के लिए कहा। लड़के के पास न तो पैसा था और न ही ठेकेदार ने उसे मजदूरी दिया। पैसे के अभाव में वह घर नहीं आ पा रहा था। जब उसने फोन किया तो घर वालों ने हमने कर्ज लेकर रु० 6,000/- भेजा उसके बाद वह गाड़ी बुक करके घर आ पाया।

3. अत्याचार(Distress)

डिस्ट्रेस को हम यहाँ पर अत्याचार शब्द से संबोधित कर रहे हैं। अत्याचार देखा जाय तो सभी के नजरिये में अलग-अलग होता है। इस जनसुनवाई में भी कई तरह के अत्याचार निकल कर हमारे सामने आये। जिसकी जानकारी आप सभी तक पहुँचाना ही हमरे इस प्रक्रिया का उद्देश्य है। जैसे-आर्थिक अत्याचार, शैक्षिक अत्याचार, जाति के आधार पर मूलभूत अधिकारों से वंचित करना, राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के साथ न्याय के नाम पर बाहरी लोगों को जंगल की जमीने बांटना, सरकारी विभागों का संगठित अत्याचार और दलितों/आदिवासियों पर जातिगत अत्याचार। इस तरह के कुछ अत्याचारों को यहाँ लिपिबद्ध किया गया है।

3.1 आर्थिक अत्याचार

आर्थिक अत्याचार कहाँ नहीं हुआ - यह समझ पाना बहुत मुश्किल काम था | सभी मुद्दे व्यक्ति की आर्थिक क्षमता से जुड़े हैं - चाहे रोटी से भूख मिटाना हो, बच्चों को शिक्षा देनी हो, बीमार का इलाज करवाना हो, मृतक को दफन करना या जलाना हो; कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ रुपये की जरूरत ना हो | कोविड काल में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सक्षम लोगों ने अक्षम लोगों पर अत्याचार ना किया हो | कोविड के इस संकट को अवसर में बदलने

के लिए मूलभूत जरूरत के सामानों की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गयी और इसके अतिरिक्त कालाबाजारी भी खुलेआम चलती रही | इस दौरान मूलभूत जरूरतों की जो चीजें महँगी हुई वे अभी भी महँगी हैं लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही है | गरीब और मध्यम वर्ग के पास जो भी रूपया था वह कोविड के लंबी अवधि में पूंजीवाद को बढ़ावा देने से धीरे-धीरे उन लोगों के पास एकत्र होता गया जिनका संसाधनों पर कब्ज़ा है |

3.1.1 मजदूरी और आजीविका

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोज़गार कार्यक्रमों जैसे- मनरेगा में भी लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही थी। सभी क्षेत्रों से लगभग एक ही तरह की समस्याएं आयीं। सभी जगह इस तरह के मामले देखने को मिले जहाँ मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को उनकी मजदूरी नहीं मिली। ये मामले एक-एक गाँव में सैकड़ों कि संख्या में हैं- कहीं लोगों को कम मजदूरी मिली तो कहीं किसी को बिलकुल ही मजदूरी नहीं मिली। लॉक डाउन, सामाजिक दूरी, कोरोना प्रोटोकॉल और सरकार की लचर व्यवस्था के चलते उनकी शिकायतें सुनने वाला कोई भी नहीं है।

केस न०- 7: तालाबंदी में मनरेगा मजदूरी का न मिलना

नाम-संजना कोल
पता: गाँव-अमरपुर, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

मनरेगा के घोटाले

कोरोना महामारी के दौरान जब प्रवासी मजदूर अपने गाँव मे लौटने लगे तो सरकार द्वारा उन्हें गांव मे रोजगार देने के इरादे से मनरेगा के तहत काम देना शुरू किया जिससे कि लोगो को उनके गाँव मे ही रोजगार मिल सके और लोगो की आजिविका चल सके। इसी योजना के तहत 20 अप्रैल 2020 से अमरपुर और मुरकटा गांव के बीच एक तालाब में निर्माण कार्य शुरू हुआ। जिसमे 100 मजदूरों ने लगभग 45 दिन तक काम किया। यह लॉक डाउन का समय था और इस समय मनरेगा में अमरपुर, मुरकटा, टिकरी और ऊंचाडीह सभी गाँवो के लोगों ने काम किया। इन लोगों में से किसी को भी पूरी मजदूरी नहीं मिली, किसी को कम और किसी को बहुत कम मजदूरी प्राप्त हुई। उदहारण के लिए संजना पत्नी हरि मोहन को 32 दिनों का पैसा नही मिला, कुसुम कली पत्नी रामबक्स को 30 दिनों का पैसा नहीं मिला, अर्मना पत्नी राजमन को 16 दिन का पैसा नहीं मिला है। लॉकडाउन के समय जब दैनिक मजदूर अपने परिवार का सही से भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा था, उस स्थिति मे सरकार द्वारा मजदूरी का भुगतान न करना सरकार कि असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ- साथ मनरेगा कानून का भी उलंघन है।

3.1.2 सेक्टर सम्बंधित अत्याचार

वन क्षेत्र को यदि हम एक सेक्टर के रूप में देखें, तो इन क्षेत्रों को निजी कंपनियों और बाहरी दबंग लोगों को देने के लिए यहाँ पर कई पीढ़ियों से बसे अल्पसंख्यक, दलितों और आदिवासियों की जमींने छिनी जा रही है। बेघर हुए लोगों को जब वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अपनी जमीन के लिए दावों और दखल के अधिकार मिले तो सरकार इस अधिनियम का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन न करके उनके दावों और दखल को मान्यता नहीं दे रही है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन वन क्षेत्रों को सरकार अपनी जागीर समझती है और वह इसे अमीर लोगों और पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है।

केस न०- 8: नौगढ़ क्षेत्र में वनाधिकार-कानून की स्थिति

नाम: राममूरत/मकबूल अंसारी
पता: गाँव-लक्ष्मणपूर, तहसील-नौगढ़, जिला-चंदौली

समस्या: नौगढ़ क्षेत्र में वनाधिकार-का अनुपालन ना किया जाना

विवरण: वर्तमान नौगढ़ तहसील पहलें चकिया तहसील के अंतर्गत आती थी। नौगढ़ क्षेत्र अंतर्गत अधिकतर आदिवासी दलित समुदाय के लोग है जो कई पीढ़ियों से यहाँ पर रहकर अपना जीवनयापन करते चले आ रहे है। जिस जमीन पर लोग सालों से खेती करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे है, वह जमीन वन विभाग के खाते में दर्ज है जबकि उन जमीनों पर समुदाय के लोग कई पीढियों से रहते और खेती करते आ रहे है। लोगों की यह जमीने कैसे वन विभाग के खाते में दर्ज है इसकी कोई भी जानकारी समुदाय को नहीं है, जबकि इनमे से कई लोगो के पास आजादी के समय के पहले के जमीन के पट्टे के कागजात है जिसमे मकबूल अंसारी जी भी एक है। अब वन विभाग द्वारा इन लोगो को खेती करने से रोका जाता है। इन जमीनों पर वन विभाग समुदाय के लोगों को कोई निर्माण कार्य भी नहीं करने देता। कई गाँवों में तो ग्राम पंचायत के कार्य को भी वनविभाग द्वारा रोक दिया जाता है। नौगढ़ ब्लाक के ही गोडटूटवा गाँव में तो वनविभाग द्वारा सरकारी स्कूल बनाने पर भी रोक लगा दी गयी है। स्कूल की केवल आधी बिल्डिंग ही बनी हुयी है। वन विभाग ने स्कूल के निर्माण को पूरा करने पर रोक लगा या है। वनाधिकार कानून 2006 लागू होने के बाद इस क्षेत्र के लोगो को इस कानून से एक आस जगी थी कि अब उनको अपनी जमीन पर मालिकाना हक़ मिलेगा और वनविभाग के दमन और शोषण से मुक्ति मिलेगी परन्तु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस कानून के तहत जब व्यक्तिगत दावे करने का प्रावधान चला और लोग जागरूक हुए तब इस क्षेत्र से लगभग 4500 दावे ग्राम सभा से पास होकर उपखंड स्तर समिति के पास भेजे गए। इसमें से कुछ दावा फाइलें एस.डी.एम महोदय के द्वारा निरीक्षण की गई। उन्होंने 40 साल के कागजात स्वीकार करते हुये बाकी फाइलें उसी के आधार पर बगैर निरीक्षण किये जमा करवा दी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पुनः उन 4500 दावों की फाइलों में से मात्र

86 दावों की फाइलें एस.डी.एम. के द्वारा पास करके डी.एम.के पास भेज दी गई है। उपरोक्त 4500 दावा फाइलों में से जो 86 फाइलें पास की गयी है वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों, जमींदार और उनके शागिर्दों की है। जब डी.एम. महोदय द्वारा ये प्रश्न किया गया की क्या तहसील में मात्र 86 फाइलें है ? तब पूर्व जिला पंचायत (नौगढ़) परमिला खरवार ने बताया कि पूरे तहसील से लगभग 4,500 दावे आयें है और 86 दावेदार पैसे वाले है, इसलिए उनके दावे तहसील से पास होकर जिले तक आ गए। जिनके पास पैसे नहीं है, उनके दावे यथास्थित पड़े है। यह बात सुनकर डी.एम. महोदय ने कहा कि बाकी सभी दावे पेश होने के बाद उनका अवलोकन किया जायेगा। परन्तु जब दावेदारों ने दोबारा उनकी कही इस बात का जिक्र किया तो उनसे प्रति फाइल 4000 रु. की मांग की गई जिससे लाचार, और विवश होकर इन गरीब लोगों ने चुप्पी साध ली। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दावे के निस्तारण में किसी भी दावाकर्ता को परेशान नहीं किया जाएगा। पूरे क्षेत्र से मात्र 7 गाँवो से ही सामुदायिक दावा पेश किया गया है जो कि अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन की मदद से किये गये। वन अधिकार कानून 2006, गाँव से सम्बंधित निर्णय लेने के सभी अधिकार वन विभाग को न देकर ग्राम सभा को देता है परन्तु इसके वाबजूद भी वनविभाग द्वारा आदिवासी वनाश्रित समुदाय का शोषण जारी है।

3.2 शैक्षिक अत्याचार

सभी क्षेत्रों में प्रत्येक घर से कोई न कोई परिवार का सदस्य विद्यालयों/कॉलेज में पढ़ता था। लॉक डाउन में शिक्षा संस्थान लगभग दो वर्ष तक बंद रहे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई जिसके लिए हर बच्चे के पास एक मोबाइल फोन और इन्टरनेट की सुविधा होनी चाहिए। सामान्य तौर पर गरीब परिवारों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं थी। सामाजिक दूरी अनिवार्य करने की वजह से बच्चे आपस में मिलकर खेल-कूद भी नहीं सकते थे। इस तरह घर में बैठे-बैठे उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया। जब स्कूल खुले तो उन बच्चों का बिना पढ़े ही ऊपरी कक्षा में दाखिला कर दिया गया। इस कारण बच्चों को पाठ्यक्रम समझ में नहीं आने की वजह से परेशानी होने लगी। इस तरह से बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया है।

केस संख्या 19

नाम: मुन्नर गोंड़

पता: ग्राम-बहुआर,

ब्लॉक-रोबर्ट्सगंज, तहसील-रोबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र

तालाबंदी के समय अत्याचार/अपराध की घटनाएँ

बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गयी क्योंकि लगभग दो साल कि छुट्टी से बच्चों का अभ्यास खत्म हो गया है। वे जो जानते थे वह भी भूलने लगे हैं। बच्चों को बिना पढ़ाए ही अगली क्लास में प्रवेश दे दिया जाता है। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है तो उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। अध्यापक सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं। इसलिए बच्चे मजबूरी में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। शिक्षा के गिरते स्तर के कारण अब बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो गया है।

3.3 जाति के आधार पर मूलभूत अधिकारों से बेदखल करने का अत्याचार

इन तीनो जिलों के वन क्षेत्रों में रहने वाले, मुख्यतया दलित और आदिवासी समाज के लोगों के सामने राज्य के मूल अधिकारों जैसे वोट देने, घर बनाकर उसमें रहने और खेती करके आजीविका चलाने जैसे मुलभुत सुविधाओं से वंचित होने जैसा खतरा बढ़ता जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी वन क्षेत्रों में रहने वाले इन लोगों के अधिकारों को मान्यता नहीं देते हैं और उन्हें सीधे तौर पर वन क्षेत्रों से भाग जाने के लिए कहते हैं। उसी स्थान पर पैसे लेकर वन विभाग बाहरी लोगों को बसाता है। सरकार के विभिन्न विभागों में जद्दोजहद करते हुए लोगों को यह उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा लेकिन सरकार सामूहिक तौर पर कुछ लोगों से उनके वोट देने और जमीन पर घर बनाकर रहने के अधिकार छीन चुकी है।

केस न०- 12 : अनुसूचित जाति की पूरी बस्ती को सरकारी योजना व मूलभूत अधिकारो से वंचित करना

नामः अमरेश, उम्र 55 वर्ष
पताः गाँव-ब्रह्मनाल, तहसील-नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

विवरण - ब्रह्मनाल गाँव नौगढ़ तहसील के अंतर्गत एक गाँव है, जो भैसोड़ा पंचायत के अंतर्गत आता है। इस गाँव में लगभग 100 दलित आदिवासी परिवार के लोग कई पीढ़ियों से निवास करते आ रहे है। जिसमे खरवार चमार और कोल जाति के लोग है। सभी लोग खेती करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते है। वर्ष 2020 में इस गाँव से लगभग 60 परिवारों ने वनाधिकार कानून के तहत व्यक्तिगत दावा पत्र जमा किया था। लेकिन अभी तक उन दावा पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में उपखंड स्तर समिति से कोई सूचना नहीं दी गई है। जब से इन परिवारों के लोगों के वनाधिकार कानून 2006 के तहत दावे जमा किये है तब से इन परिवार के लोगों पर वनविभाग के हमले और तेज हो गए है। इस बस्ती के लगभग 70-80 बच्चे हर प्रकार की शिक्षा से वंचित है, स्कुल लगभग 2 किलोमीटर दूर है। स्कूल की दूरी एवं जंगली व पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। गाँव में न कोई आंगनबाड़ी केंद्र है और न ही कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गाँव में आती है। पूरे गाँव में बिजली नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य हुआ है। यदि किसी भी प्रकार का विकास कार्य शुरू करने की कोशिश की जाती है तो उसे वनविभाग द्वारा रोक दिया जाता है। गाँव के किसी भी परिवार को सरकारी राशन (PDS) नहीं मिलता है। यहाँ तक कि कोविड के समय भी इस गाँव के किसी भी परिवार को राशन नहीं मिला। इस गाँव में 100 परिवार रहते है। इन 100 परिवारों के लोगों ने पिछले 10 सालों से किसी भी चुनाव में मतदान नहीं किया है क्योंकि इन परिवारों का मतदाता सूची में नाम तक नहीं है। इस तरह इस गाँव के 100 परिवारों को उनके मौलिक अधिकारों जैसे- भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मताधिकार, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार इत्यादि से सरकार की अनदेखी और वन विभाग के अत्याचारों द्वारा वंचित किया जा रहा है।

3.4 राज्य सरकार का अत्याचार

कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के तरीकों में सरकारी अत्याचारों के अनेको रूप देखे गए। कोर्ट-कचहरी बंद होने, लोगों को सामाजिक दूरी बनाने की शर्तों से अत्याचार करने वाले रसूखदार लोगों को खुली छूट मिल गयी थी। वन विभाग, पुलिस, राशन वितरण कि दुकानों, भू-माफिया और गाँव के दबंगों के अत्याचार सोशल मीडिया पर आने लगे। लोगों की फसलें जलाना, वन क्षेत्रों में लोगों की झोपड़ियों में आग लगाना, उन्हें बिना वजह जेल में बंद कर देना, फर्जी केस दर्ज कर देना इत्यादि कोविड काल में आम सी बात हो गयी थी।

केस संख्या 25: फसल को आग लगाना और खेत में गड्ढा खोदकर उसे बर्बाद करना

नाम: श्रीमती राजकुमारी
पता: ग्राम-नया बस्ती, घूमनगर
ब्लॉक-दुद्धी, थाना-विढमगंज,
तहसील-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

तालाबंदी में अत्याचार/अपराध कि घटना

राजकुमारी जी का परिवार धूमनगर में अपने पुश्तैनी जमीन और बनाधिकार के तहत काबिज 60 बीघे की जमीन पर बगीचा है और इसी में खेती भी करते आये हैं। तालाबंदी के समय 15 बिघे की जमीन में गेहूं और अरहर की खड़ी फसल को दबंगों ने आग लगा दिया और पुलिस ने हमें (पीड़ित पक्ष) यह कह कर घर में कैद कर दिया कि कोरोना बीमारी फ़ैल जाएगी। हम फसल में लगी आग भी नहीं बुझा सके। इसके अतिरिक्त 20 बिघे की जमीन में लगी फसल और पौधों को वन विभाग और पुलिस हथियारों से लैश होकर JCB से उजाड़ दिया और उसमें बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिए। वन विभाग और पुलिस के सभी आदमियों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। वन विभाग हमारे फलदार बगीचों में लगे फलों जैसे आम, महुआ आदि को दूसरे लोगों के माध्यम से चुनवाता है। अप्रैल-मई 2020 की घटना है।

तीन बीघे की बयनामा वाली जमीन पर पीढ़ियों से रहते आये हैं। दबंगों ने एक विधवा महिला को सामने से फर्जी तरीके से लड़वा कर हमारी फसल काट लिए। जब हमने रोका तो उल्टा हमारे उपर ही फर्जी केस करके घर भर को फंसा दिया। पुलिस ने मेरे बच्चों के हाथ में हथकड़ी बांधकर बुरी तरह से पिटा जिसकी वजह से वे आज भी बीमार हैं। दबंग, वन विभाग और पुलिस मिलकर हमें अपने पुश्तैनी जमीन से उजाड़ना चाहते हैं। {27 नवंबर से 30 नवंबर 2021 की घटना है}

3.5 आदिवासियों के साथ न्याय के नाम पर बाहरी लोगों को जंगल की जमीन बांटना

आदिवासियों को जंगल से उजाड़ने के लिए हो रहे अत्याचार को यदि क़ानूनी तरीके से जीत भी लिया जाता है तो उसके क्रियान्वयन के समय उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। कोरोना काल में इसका जीता जागता प्रमाण सामने आया।

केस संख्या 21: आदिवासियों के नाम पर बाहरी लोगों को जंगल की जमीन बांटना

नाम: धर्मजीत,
पता: ग्राम-सायल,
ब्लॉक-दुद्धी, थाना-विढम गंज
तहसील-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

तालाबंदी के समय अत्याचार/अपराध की घटनाएँ

कोरोना और लॉक डाउन की आड़ में जंगल की कटाई हो रही है और जंगल की जमीन बाहरी लोगों को बांटी जा रही है। धर्मजीत ने खेती के लिए वनाधिकार के तहत 10 बीघे जमीन के लिए दावा भरा था लेकिन इन्हें 2 बीघे ही जमीन मिला। दूसरी तरफ वर्ष 2019 में बाहरी लोगों द्वारा उम्भा (घोरावल) में जमीन के मामले में 10 आदिवासियों का नरसंहार हुआ। अदालती आदेश के बाद सरकार ने वनाधिकार के तहत आदिवासियों को जमीन देने के लिए वन समितियों से ग्राम प्रधान के माध्यम से दावा पत्र माँगा। 2020 में लॉक डाउन के समय ग्राम प्रधान और वन समिति के लोगों ने मिलकर गैर आदिवासियों और गिने-चुने चमचों को 50 बीघे से लेकर 100 बीघे तक की जमीन के लिए दावा पत्र दाखिल किया।

मई-जून 2021 में वन विभाग ने जंगल के बीच बाहरी लोगों को घर बनाने और खेती करने की छूट दे दी और वे वहां रहने लगे। लेकिन मुझे अपनी ही जमीन से उजाड़ने के लिए वन विभाग और दबंग तमाम तरह की परेशानियाँ पैदा करते हैं। पिछले तीन पीढ़ी से हम जंगल में पट्टे की जमीन पर घर बनाकर रहते आये हैं। घर के सामने हमारा महुआ का पेड़ और जंगल की जमीन है। दबंग लोगों ने मेरे घर के निकास और घर के चारों तरफ की जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर लिया और घर के निकास वाले भाग से आने-जाने से मना करता है। मजबूरी हम लोग जंगल की दूसरी जमीन को साफ़-सफाई करने लगे ताकि वहां घर बनाकर रह सकें। लेकिन वहां भी दबंग ने मना कर दिया और कहा कि उसने पैसे देकर वहां की सारी जमीन जंगल विभाग से खरीद लिया है। जंगल विभाग के पास जाते हैं तो वे सुनते नहीं हैं और ज्यादा शिकायत करने से डर लगता है क्योंकि दबंग और वन विभाग आपस में मिलकर आदिवासियों को मारते हैं और वहां से उजाड़ते हैं।

3.6 सरकारी विभागों का संगठित अत्याचार

वन क्षेत्रों में सभी जगहों पर यह देखने को मिला कि अक्सर वन विभाग और पुलिस संगठित होकर वनाश्रित समुदाय पर चौतरफा हमला करती है और फर्जी मामले बनाकर जबरन उनके अंगूठे का निशान ले लेती है। उनसे उनके अंगूठे का निशान लेने के बाद पुलिस संगठित होकर 10 से लेकर 150 तक की संख्या में दलबल के साथ गाँवों में जाकर दहशत पैदा करती है। पुलिस लोगों से ऐसे सवाल करती है जिसका कोई जवाब नहीं है और जब लोग जवाब नहीं दे पाते तो उन्हें उठाकर थाने ले जाकर पुलिस बुरी तरह से मारती है।

केस संख्या 16: पुलिस और वन विभाग का अत्याचार

नाम: श्रीमती किस्मतिया गोंड़
पता: ग्राम-लिलासीकला,
ब्लॉक-म्योरपुर, थाना-म्योरपुर,
तहसील-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

तालाबंदी के समय अपराध / अत्याचार कि घटना

श्रीमती किस्मतिया का परिवार सामुदायिक दावे की जमीन पर रहते हैं। उस जमीन पर अप्रैल-मई में दबंगों ने रातो-रात दीवार बनाकर कब्ज़ा कर लिए। दुसरे दिन बाकी जमीन पर भी चारो तरफ से नीव खोद दिए और खुद ही पुलिस बुला लिए थे। जब बस्ती के 15-20 लोग मिलकर विरोध किये तो वे रुक गए। उसके बाद दबंगों ने इनके खेतों की फसल को पालतू जानवरों से चराने लगे। इनके बच्चों ने उसका विरोध किया तो वे झगड़ा करने लगे। रात में इनकी झोपड़ी में आग लगा दिया। जब ये शिकायत करने गए तो ग्राम प्रधान ने इनकी दरखास्त पर दस्तखत करने से मना कर दिया। जब इन्होने खुद से दरखास्त लिखवाकर पुलिस थाने में दिया तो दूसरे दिन पुलिस दबंगों से मिलने गयी लेकिन इनसे नहीं मिली। एक हफ्ते बाद पुलिस इनसे कुछ कागजों पर अंगूठा निशान लेने आयी तो इन्होने मना कर दिया। उसके बाद करीब 150 पुलिस हथियारों से चाक-चौबंद होकर आई और इनको चारो तरफ से घेर करके जबरन अंगूठा निशान ले लिया। उसके बाद भी कई बार अंगूठा निशान लिया। इन्हें यह नहीं मालूम कि कितने तरह के क्या-क्या कागज थे जिसपर उन्होंने अंगूठा निशान लिया। कोरोना काल में इनकी आदिवासी बस्ती में पुलिस बार-बार आती है, फालतू पूछताछ करती है, बिना वजह इन्हें धमकाती है और हमेशा दहशत पैदा करती है। अनजान कागजों पर जबरदस्ती अंगूठा निशान या दस्तखत करवाती है। अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे लोग सरकारी भाषा को समझ भी नहीं पाते हैं। इनके आलावा दुसरे सभी आदिवासियों से भी पुलिस जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा निशान लेकर चली जाती है और 10 दिन के बाद फिर से आती है और कहती है कि थाने जाकर अपनी जमानत करवाओ।

3.7 दलितों पर जातिगत अत्याचार

जिन दलितों की बस्तियां वन क्षेत्रों में नहीं हैं वहां पर भी कोरोना काल में जातिगत उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ गए। जातिगत भेदभाव की मानसिकता से सवर्ण लोगों ने सरकारी महकमों के साथ मिलकर दलितों को केवल मारा ही नहीं बल्कि उनके ऊपर झूठे मुकदमें करके उन्हें झूठे केसों में भी फंसाया।

केस न०- 5: दबंग उच्च जाति द्वारा दलित बस्ती पर हमला और आगजनी

नाम: इंदरदेव राम
पता: गाँव-भर्थरा कला,
ब्लाक-चंदौली, थाना-चंदौली, तहसील-चंदौली
जिला-चंदौली

समस्या-गाँव के दबंग ठाकुरों द्वारा दलित बस्ती पर हमला और आगजनी
विवरण-चंदौली जिले का भर्थरा कला गाँव चंदौली थाना के अन्तंर्गत आता है जो एक राजपूत बाहुल्य गाँव है, जिसमें लगभग 40 दलित परिवारों की एक बस्ती है और इसके समीप ही लगभग 250 राजपूत परिवारों की बस्ती है। दलित बस्ती के सामने ही ठाकुरों की काश्त की जमीन है। 8 जून 2021 इन्दरदेव का बेटा एकादशी, ठाकुरों के खेत में चला गया जो खेत इन्दरदेव के घर के सामने था। इस पर ठाकुरों के लड़के गालियाँ देने लगे जिसका एकादशी ने विरोध किया तो ठाकुर के लड़कों ने उसे मारने के लिए दौड़ाया। एकादशी किसी तरह भाग कर अपने घर आया और उसने घर के अन्दर अपने आप को बंद कर लिया। गुस्साए ठाकुर के लड़के बिट्टू सिंह, अन्नू सिंह, मोहन सिंह ने एकादशी के घर का दरवाजा तोड़ कर उसे घर से बाहर निकाल कर बुरी तरह से मारा-पीटा। जिसका गाँव और घर के लोगों द्वारा जब तक विरोध किया गया तब तक ठाकुरों की बस्ती से और लड़के आ गए और उन्होंने पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। उन्होंने घर के महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा और उनके घरों और झोपड़ियों में आग लगा दी। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि "तुम लोगों का मन बढ़ गया है, अगर किसी और प्रकार की कार्यवाही किये तो इससे भी बुरा हाल करेंगे"। इस पूरी घटना को घर की एक छोटी बच्ची द्वारा रिकार्ड किया गया था जिसका वीडियो बाद में सोशल मिडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना राष्ट्रीय मीडिया के न्यूज चैनलों पर दिखाई जाने लगी जिसके बाद देश के कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस घटना पर दुख और आक्रोश जाहिर करते हुए तत्काल क़ानूनी कार्यवाही की मांग की। जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने दबाव में आकर एफ.आई.आर दर्ज कर के दोषियों को गिरफ्तार किया परन्तु कुछ ही घंटों में दोषियों को छोड़ दिया गया। एफ.आई. आर दर्ज करने से पहले पीड़ित दलित परिवार को जिसमे महिलाये भी थी, उनको कई घंटों तक थाने में बैठाया रखा गया और साथ ही उन पर पुलिस द्वारा भी किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही न करने का दबाव बनाया जाता रहा। पीड़ित दलित परिवार का मेडिकल भी नहीं कराया गया परन्तु दलित परिवार किसी भी प्रकार के दबाब के आगे

नहीं झुकें। घटना के दूसरे दिन पीड़ित परिवार का मेडिकल कराया गया परन्तु दूसरे दिन पीड़ित दलित परिवार के ऊपर पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष (दबंग पक्ष) के साथ छीना झपटी और मारपीट करने का फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिसमे 6 दलितों को आरोपी बनाया गया। आरोपी ठाकुर परिवार आर्थिक और राजनैतिक रूप से काफी मजबूत है जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने विवेचना के दौरान दलितों द्वारा दर्ज एफआईआर में आगजनी और घर में घुसकर मारने जैसे गंभीर धाराओं को ख़त्म करवा दिया। पुलिस ने अपनी जांच में कुछ लोगो के हलफनामे पर दिए गए बयान के आधार पर इन धाराओं को खत्म कर दिया जिससे कि आरोपियों की जमानत आसानी से हो सके जबकि घटना के विडियो और अन्य सबूतों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। इसके साथ-साथ दबंग ठाकुरों ने पीड़ित दलित परिवार और गाँव वालो को सबक सिखाने के मकसद से:

- 17 दलितों के ऊपर 107/116 का नोटिस उपजिलाधिकारी द्वारा दिया गया जिसकी जमानत करवाने में सभी दलित परिवारों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
- 5 दलित परिवार के लोगो ने किसी प्रकार से इन्दरदेव को मदद की थी, उन लोगों के खिलाफ लेखापाल द्वारा उनके घरो की पैमाइश करवाई गयी उसके बाद लेखपाल ने रिपोर्ट में यह लिखा कि इन सभी लोगो का घर ठाकुर की खतौनी में है, जबकि दलित परिवार कई पीढियों से उस जगह पर रह रहा है।
- बस्ती के 5 दलित परिवारों का सरकारी आवास स्वीकृत हो चुका है, परन्तु ग्राम प्रधान ठाकुर जाती का है, जिसके प्रभाव में आकर ग्राम सचिव द्वारा आवास निर्माण में आवंटित धनराशि की 07-09-21 तक वसूली का भी नोटिस दिया जाता है। धनराशी वापस न किये जाने की स्थिति में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किये जाने की बात कही जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण की शिकायत अगर दलितों द्वारा उच्च अधिकारियों को की जाती है तो कोई भी अधिकारी उनका प्रार्थना पत्र भी लेने को तैयार नहीं होता है। दलितों को सीधे तौर पर अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि आप के यहाँ जो विवाद है उसे सुलझा लो तो आप लोगो की सारी समस्या हल हो जायेगी। ग्राम प्रधान द्वारा भी यह कहा जाता है कि आप लोग अपना मुकदमा उठा कर सुलह कर लो, उसके बाद घर बना सकते हो, आपको आवास का पूरा पैसा भी मिल जाएगा जबकि इस गाँव में ठाकुरों द्वारा दलितों के ऊपर अत्याचार की घटना आम बात है। हर साल ऐसी कई क्रूर घटनाएं घटती रहती है लेकिन दलित जाति के लोग ठाकुरों के सामाजिक प्रभाव के कारण हर बार सुलह कर लेते है। इस गाँव में पहली बार दलितों ने ठाकुरों के अत्याचार के विरोध में कानूनी कार्यवाही करने की हिम्मत दिखाई है जिसका खामियाजा उस गाँव के अन्य दलित परिवारों को चुकाना पड रहा है। लेकिन फिर भी दलितों ने हिम्मत नहीं हारी है और ये लोग इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

जूरी सदस्यों की टिप्पणी

तीनो जनसुनवाईयों में यह साफ़ दिखा कि कोरोना से निपटने के लिए जो तरीके अपनाये गए उसमें लोगों की समस्याओं के प्रति राज्य में काफी बेरुखी थी। महामारी और तालाबंदी के दौर में सही सूचना देने का कोई प्रयास नहीं किया गया। कोई भी स्वास्थ्यकर्मी गाँवों में नहीं पहुंचा और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लॉक डाउन के पहले चरण में बिलकुल गायब थी लेकिन दूसरे चरण में लोगों को कोविड का टीका लगवाने पर मजबूर करने के लिए इसे चालू किया गया। जब तक परिवार के सभी सदस्य टीका नहीं लगवा लेते थे तब तक उन्हें राशन नहीं मिलता था।

स्कूल और कॉलेज बंद करके शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दी गयी। गरीब बच्चे, मुख्य रूप से दलित एवं आदिवासी, वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होने लगे। दूर- दराज के क्षेत्रों में गरीब परिवारों के बच्चे एक पीढ़ी पीछे चले गए। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में गरीबों को स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों से दूर भगाया गया जिससे निजी अस्पतालों में जाना उनकी मजबूरी हो गयी। इलाज के लिए कर्ज का बोझ, अपनों को खोने की पीड़ा, मृत्यु प्रमाण पत्र में COVID का जिक्र न होना, बीमा की राशि का न मिलना, जैसी तमाम स्थितियां इस बात की प्रमाण हैं कि सरकार गरीबों के लिए पूर्ण रूप से उदासीन थी।

त्रासदी के समय सरकार लोगों के साथ खड़ी नहीं थी और न ही उनकी रक्षा करने में सफल रही; बल्कि उसने क्रूरता को बढ़ावा दिया। तीनों जनसुनवाईयों में केस और बयान सरकार की सुनियोजित हिंसा की तरफ इशारा कर रहा है। अवैध गिरफ्तारी, स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरी तरह से गायब होना, पुलिस की प्रताड़ना, वन विभाग के अनगिनत फर्जी केस, दूसरे शहरों से घर वापस आते मजदूरों को प्रताड़ित करना, अधिकारियों द्वारा उत्पीडन, जबरन टीकाकरण, आदि सैकड़ों तरह की चौतरफा समस्याएं पैदा हो गयीं। वन विभाग और पुलिस की मिली जुली क्रूरता सोनभद्र जिले में एक बड़ी चिंता का विषय है। जिस समय मानिकपुर में जनसुनवाई चल रही थी उसी समय मानिकपुर में वन विभाग लोगों के घर उजाड़ रहा था। चंदौली में वन क्षेत्रों से लोगों को उजाड़ने के लिए जातिगत अत्याचार के साथ अन्य अत्याचार होते रहे।

निष्कर्ष

पूरी जनसुनवाईयों में लोगों के अंदर स्थितियों के अनुसार जीने, दृढ़ विश्वास, उत्साह और अन्याय से लड़ने का जज्बा दिखाई दिया। ज्यादातर केसो में पुलिस, वन विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्था, सार्वजानिक वितरण प्रणाली और शिक्षा प्रणाली में स्थापित कानून व्यवस्था का उलंघन देखने को मिला।

लोगों की गवाही और बयानों से वनाधिकार कानून का उलंघन साफ दिखाई देता है। राज्य न केवल कोविड महामारी से निपटने में असफल रहा बल्कि वह स्पष्ट रूप से लोगों के साथ हुए अत्याचार का अपराधी है। महामारी किसी गरीब या धनी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करती लेकिन बयानों से साफ़ है कि ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर खड़े दलित आदिवासियों के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया गया है। इसलिए ये उलंघन महामारी का नतीजा नहीं बल्कि संरचनात्मक जातिगत भेदभाव का फैलाव है।

लोग बहुत स्पष्ट थे कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। राज्य ने सक्रिय रूप से संवैधानिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

साक्ष्य के साथ मामलों की जांच और दस्तावेजीकरण की सख्त जरूरत है, ताकि साक्ष्यों की जवाबदेही तय करने के लिए विश्वसनीय मामलों में बदला जा सके। इस तरह की जनसुनवाई को वनाधिकार अधिनियम, 2006 के उल्लंघन के खिलाफ एक बड़े आन्दोलन की दिशा में पहले कदम के रूप में देखना चाहिए।

राज्य की कमियों की जांच करने के लिए सार्वजानिक जांच समितियों और जन आयोग की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए यूनियन को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। इस प्रक्रिया में स्थानीय वकीलों और संगठनों तक पहुंचने की आवश्यकता है जो मामलों की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने में मदद कर सकें।

ये साक्ष्य देश भर में लोगों के सामने आने वाली समस्याओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए राज्य की विफलताओं, इसके झूठ और लीपापोती का मुकाबला करने के लिए लोगों की जुबानी उनकी कहानियों को इकट्ठा करने की जरूरत है।

जन आयोग

जन आयोग

अनुलग्नक (क)
केस स्टडी - जिला सोनभद्र
केस संख्या 1

नाम: श्रीमती पारवती गोंड़
पता: गाँव-बिरसा नगर, मझौली,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. मेरा लड़का हैदराबाद में पाइप लाइन की कंपनी में काम करता था। लॉक डाउन के बाद काम बंद हो गया और मजदूरी भी नहीं मिली। खाने के लिए पैसे नहीं थे तो पैदल ही घर आने लगा। रास्ते में वह लड़का भीख मांगकर खाता था और थक जाने के बाद रास्ते में कहीं भी सो जाता। एक महीने में वह घर आया। घर आने के बाद चेक हुआ तो उसे कोरोना नहीं था लेकिन वह बीमार हो गया। जड़ी बूटी से उसका इलाज किये तो अब वह ठीक है।
2. वन विभाग बहुत परेशान करता है। जब तक हम उन्हें 500 रूपये देते नहीं तब तक खेत में कुछ भी काम नहीं करने देता है और जंगल से सुखी लकड़ी भी नहीं लाने देता है।
3. पोते हैं जिनकी पढ़ाई मुश्किल हो गयी है। स्कूल बंद होने से उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया अब वे अगली क्लास में गए हैं तो उनका मन नहीं लग रहा है।

केस संख्या 2

नाम: श्रीमती बुधनी गोंड़
पता: गाँव-बिरसा नगर, मझौली,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. लॉक डाउन में बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है। मेरे बेटे और बहु का निधन हो गया है। मैं ही बच्चों की परवरिश करती हूँ। लॉक डाउन में कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी। जीना बहुत मुश्किल हो गया है।
2. छोटा लड़का दखल वाली जमीन पर खेती करता है और कभी-कभार मजदूरी मिल जाती है तो उससे घर का खर्चा चलता है। कोरोना टिका लगवाने से डर लगता है लेकिन जब तक घर के सभी लोगों को टीका नहीं लग जाता तब तक सरकार राशन नहीं देती है। टिका लगवाने के बाद हम बीमार पड़ गए। जड़ी बूटी खाकर हम ठीक हुए।
3. हम जब भी अपने खेत में जुताई करते हैं तो वन विभाग हमसे 500/- रूपये लेता है। इसके बाद भी वन विभाग अनेको तरह की समस्याएं पैदा करता है और भद्दा व्यवहार करता है।

केस संख्या 3

नामः श्री नन्दलाल
पताः गाँव-प्रेम नगर (पड़रक्ष), मझौली,
तहसील-कोन,
थाना-ओबरा, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. बिना सूचना दिए कोन थाना से पुलिस घर में आ गयी। मैं घर में नहीं था। पुलिस और वन विभाग के आदमी मेरे लड़के से डरा-धमकाकर धोखे से दस्तखत कराकर ले गए। उसके बाद धरा 5/36, 41/42 वन संरक्षण अधिनियम व 29/39/51 वन्य जीव अधिनियम व 147, 148, 353, 504, 506, IPC के तहत केस दर्ज करके जेल में डाल दिया।
2. लॉक डाउन में बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। दो साल से पढ़ाई नहीं हो रही है और बच्चे भूलते जा रहे हैं।

केस संख्या 4

नामः श्रीमती देवकलिया
पताः सुंदरी, मझौली,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. कोरोना काल में बच्चा स्कूल नहीं जा सका और घर पर खाली बैठा रहा जबकि हमारे गाँव में कोरोना नहीं आया और लोगों के स्वास्थ्य पर कोरोना का कोई असर नहीं था।
2. मेरा लड़का अहमदाबाद, गुजरात में काम करता था। लॉक डाउन के बाद काम बंद हो गया। वह कभी गाड़ी से तो कभी पैदल चलकर 5 दिन में घर पहुंचा। उसे मजदूरी नहीं मिली थी।
3. हमारा घर और खेत कनहर बाँध के डूब क्षेत्र में आता है। लेकिन सरकार न तो मुवाजा दे रही है और न ही जमीन। उल्टा फर्जी केस करके हमें फंसा रही है। सरकार हमें यहाँ से भगाना चाहती है। हमारे पास चार बीघे जमीन है और हम चाहते हैं कि हमें जमीन के बदले जमीन मिले। धरने स्थल पर सरकार ने मारकर हाथ तोड़ दिया। मुझे और मेरे पति को जेल में डाल दिया। अभी भी पुलिस बार-बार नोटिस देती है और जेल में डालने की धमकी देती है। सरकार ने बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है।

केस संख्या 5

नाम: श्रीमती पारवती गोंड़
पता: बिरसा नगर-मझौली,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. वन विभाग हमें अपनी पैतृक जगह से चले जाने के लिए बार-बार धमकी देता है। जब हम मना करते हैं तो वह केस में फंसाने की धमकी देता है। कई बार सरकार ने जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा निशान लिए हैं।
2. लॉक डाउन में मजदूरी नहीं मिली। खाने-पिने की बहुत परेशानी हुई। किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं।
3. बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं क्योंकि दो साल से स्कूल बंद है। बच्चे जो पढ़े थे वह भी भूल रहे हैं।

केस संख्या 6

नाम: श्री शिव मंगल गोंड़
पता: सायल-सरडीहा,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. अपने पुश्तैनी जमीन पर ज़माने से खेती करते आये हैं। लगभग चार बीघे जमीन है जिसमें 120 महुआ के पेड़ हैं। गाँव के दबंग मिन्ताज यादव उसपर जबरदस्ती कब्ज़ा कर रहा है और हमको वहां से भगाने की योजना बना रहा है। वन विभाग और पुलिस उसी का साथ दे रही है और हमें अपना घर बनाने और खेती करने से मना कर रही है। जबकि वहीँ पर मिन्ताज यादव का पक्का पकान है और उसको सब काम करने के लिए वन विभाग और पुलिस ने छूट दे रखी है।
2. एक सात साल की बच्ची स्कूल में पढ़ रही है लेकिन पिछले दो सालों में उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गयी क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई।

केस संख्या 7

नाम: मान कुवंर गोंड़
पता: सायल-सरडीहा,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. पिछले 34 वर्षों से 5 बीघे जमीन पर हम खेती करते आ रहे थे। अचानक महावीर यादव ने उसपर कब्ज़ा करने के लिए वन विभाग और पुलिस के साथ सांठ-गाँठ की। उसने वन विभाग और पुलिस से मिलकर हमारी झोपड़ी उजाड़ दी और खाने का सामान, अनाज, बर्तन, कपड़े वगैरह लेने नहीं दिया। उस जमीन पर महावीर यादव ने अब अपना घर बना लिया है। अब वन विभाग हमें कहीं भी अपने रहने के लिए घर या झोपड़ी भी बनाने नहीं दे रहा है।
2. लॉक डाउन में मनरेगा के तहत जो काम किया उसकी मजदूरी अभी तक नहीं मिली। प्रधान कहता है कि "अब तुमको काम करने की जरूरत नहीं है इसलिए काम पर मत जाओ"।
3. तीन बच्चे पढ़ते है लेकिन लॉक डाउन में उनकी पढ़ाई बर्बाद हो गयी।

केस संख्या 8

नाम: श्री सुशाश खरवार
पता: सरडीहा,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. बाप-दादे के समय से अपनी जमीन पर खेती करते आ रहे थे। लेकिन रमेश यादव और प्रेमनाथ ने आकर हमें अचानक धमकाया और कहा कि "यह जमीन हमारी है और यहाँ से खाली करके जल्दी से भाग जाओ"। उसने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया। पुलिस वाले हमको मारे और थाने में बंद कर दिया। सुबह पुलिस ने घुमा चालान कर दिया। 16-17 दिन के बाद जमानत हुआ और जब हम घर आये तो देखे कि हमारी जमीन पर रमेश यादव और प्रेमनाथ खेती कर रहे हैं और पौधे भी लगा दिए हैं। अब हम लोग अपनी ही जमीन के लिए मुक़दमा लड़ रहे हैं।
2. लॉक डाउन में मजदूरी का काम भी नहीं मिला और खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है।
3. बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो गयी। बच्चे पढ़ने जाते थे लेकिन दो साल से स्कूल बंद है इसलिए बच्चे घर पर बैठे रहे। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं।

केस संख्या 9

नामः नन्हकू अगरिया
पता: बिरसा नगर, मझौली
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. वन विभाग के आदमी घर-घर आकर मास्क लगाने और घर में ही रहने के लिए कह रहे थे लेकिन वे खुद मास्क नहीं लगाते थे। वन विभाग ने खुद जंगल के पेड़ों को कटवाकर बेंच दिया और हमारी बस्ती के 22 लोगों के उपर फर्जी केस करके फंसा दिया। उसमें से अभी भी चार लोगों के ऊपर केस चल रहा है।
2. कुवां खोदने से पहले जब हम कुवां खोदने की जगह आदि के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसके दूसरे दिन पुलिस वाले आये और नान्हक और रामधीन को उठाकर थाने ले गए। वहां उनको बहुत बुरी तरह से मारा और गन्दी-गन्दी गलियां दिया और शाम को छोड़ दिया।
3. मेरा बेटा खेत जोत रहा था वन विभाग वालों ने उसे पकड़ कर रेंज ऑफिस में ले गए जहाँ उसे बहुत मारा और जमीन छोड़कर भाग जाने के लिए धमकी दिया।
4. घर के मुखिया ने बड़ौदा बैंक से 86,000/- रूपये लोन लेकर मशीन ख़रीदा था। वह छः साल पहले गुजर चुके हैं। कुछ लोन दे दिया था और कुछ लोन माफ़ हो गया था। लेकिन अब बैंक हम लोगों को परेशान कर रहा है। धमकी देता है और कुर्की करने के लिए कहता है।

केस संख्या 10

नामः सुंदर मनिया गोंड़
पता: बिरसा नगर, मझौली
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. मेरे दो बच्चे चेन्नई में मजदूरी करते थे और लॉक डाउन के बाद उनका काम बंद हो गया। उनकी मजदूरी नहीं मिली और पैसे भी नहीं थे। वे पैदल घर आने लगे तो आधे रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और दो हफ्ते के लिए उन्हें अलग जगह पर बंद कर दिया। वहां से चोरी-छुपे वे निकलकर बाहर आये तो उन्होंने घर पर फोन किया। हमने कर्ज लेकर उन्हें पैसा भेजा तो वे बहुत मुश्किलों से घर आ पाए।
2. लॉक डाउन में कोई आमदनी नहीं है। खेती से मुश्किल से गुजारा हो पाता है।
3. दो बच्चियां हैं जो पढ़ती हैं लेकिन स्कूल बंद होने से वे पढ़ नहीं पाए और अब स्कूल में पढ़ाई करने में मुश्किल होती है।

केस संख्या 11

नामः महेंदर चेरो
पताः प्रेमनगर-पड़रछ,
तहसील-ओबरा,
थाना-कोन, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर कुल सात बच्चे हैं। सभी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कोरोना महामारी में स्कूल बंद होने से सबकी पढ़ाई चौपट हो गयी। थोड़ी सी खेती से जीवन यापन करते हैं। महंगाई से जीना मुश्किल हो गया है। बच्चे घर में ही बैठे रहते हैं।
2. कोरोना काल में ही 2020 में वन विभाग ने हमारी खेती उजाड़ दिया और JCB लगाकर खेत में बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिया। जब हमने रोका और 23 मार्च 2018 का अपना दावा फॉर्म दिखाया तो उसने कहा कि "हम कोई दवा फॉर्म नहीं मानते हैं"। वह हाई कोर्ट का आदेश मांगने लगा। वह वहां से हमें भगाता है और जब कभी घर बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो वह अत्याचार करता है। सरकार की तरफ से शौचालय, नरेगा के तहत रास्ता और हैण्ड पंप आया तो वन विभाग ने उसे रोक दिया। हम लोग नदी और नाले का पानी पीते हैं। जब भी कोई बात करते हैं तो वन विभाग मारता है और जेल में बंद करने की धमकी देता है।
3. एक तरफ हमारी बस्ती के सभी लोग जमीन के मालिकाना हक़ के लिए संघर्ष कर रहे थे तो दूसरी तरफ लॉक डाउन में वन विभाग हमारी बस्ती के कुछ लोगों को गुमराह करके कहा कि "पट्टा ले लो तुम्हें मालिकाना हक़ नहीं मिलेगा"। झांसे में आकर कुछ लोगों ने पट्टा ले लिया और जिन्होंने पट्टा नहीं लिया उन्हें वन विभाग पुलिस के साथ मिलकर धमकाता है।

केस संख्या 12

नामः राम वृक्ष
पताः बोम
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-विधम गंज, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. पड़ोस के एक आदमी की कोरोना टिके लेने से मृत्यु हो गयी और हम लोग डर गए थे। फिर भी प्रधान ने राशन लेने के लिए टिके की शर्त लगा दी। मजबूरी में हमें टिका लगवाना पड़ा।
2. बस्ती में 85 घर आदिवासियों का है लेकिन न तो बिजली है, न रास्ता है और न ही हैण्ड पंप है। वन विभाग कोई काम नहीं होने देता है।
3. बच्चे मजदूरी करते थे लेकिन लॉक डाउन में मजदूरी नहीं मिलने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।

केस संख्या 13

नाम: अमरसाय
पता: करचा टोला,
ब्लॉक-म्योरपुर, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. अपने पुश्तैनी जमीन पर हम रहते हैं। इस जमीन का पट्टा करने के लिए वन रक्षक, लेखपाल, वन समिति के सचिव ने मिलकर कभी दो हजार तो कभी दस हजार रूपये मांगते हैं। पैसा दे दिया लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ।
2. हमारा खेत कन्हार डूब क्षेत्र में आता है। लेकिन सरकार उसे आंशिक डूब बताती है। खेती हम नहीं कर पाते हैं और मुवावजा भी नहीं मिलता है।

केस संख्या 14

नाम: श्रीमती राजवंती गोंड़
पता: बिरसा नगर, मझौली,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. लॉक डाउन में मेरे पति अपने खेत में हल चला रहे थे। थोड़े समय के बाद जब मैं अपने खेत में देखी कि बैल हल से बंधे हैं और खड़े हैं तो दौड़कर खेत में गयी और उन्हें खोलकर बाँध दिया। बस्ती वालों को इकठ्ठा करके पूछ-ताछ करने लगी तो पता चला कि वन विभाग का फारेस्ट गार्ड शम्भू, वचार रमेश और एक अन्य आदमी आये थे। वे मेरे पति से बोले कि "चलो तुम्हे साहब बुला रहे हैं"। वे तीनो आदमी मेरे पति को मोटर साइकल पर बैठाकर दुद्धी थाने ले गए थे। जब हम लोग थाने गए तो देखा कि मेरे पति के कपडे उतार कर दूर फेंक दिए हैं और उन्हें मुर्गा बनाकर बुरी तरह से मार रहे हैं। हम लोगों को भी धमकाने लगे कि "तुमको भी मारेगें नहीं तो भाग जाओ और प्रधान को बुलाओ तभी छोड़ेगें"। जब हम प्रधान के पास गए तो वह भी धमकाने लगा कि "तुम सब खेत क्यों जोतते हो"। प्रधान थाने आया और मेरे पति को छोड़ने के लिए कहा लेकिन पुलिस वाले दो हजार रूपया मांगने लगे। हमारे पास पैसा नहीं था तो प्रधान ने ही पैसा दिया और घर आकर हम उधार पैसा लिए और प्रधान को दिया।
2. जब हम घर बना रहे थे तो वन विभाग के आदमी आकर फावड़ा हाथ से छीन लिए और 5,000/- रूपये मांगने लगे। हमारे पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने घर नहीं बनाने दिया। कोई मजदूरी भी अब नहीं है और जीना मुश्किल हो रहा है।
3. बच्चों की पढ़ाई बिलकुल ख़राब हो गयी है। दो साल से स्कूल बंद है और बच्चों को बिना पढ़ाए ही पास कर देते हैं। बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है।

केस संख्या 15

नाम: श्रीमती पान कुंवर गोंड
पता: बिरसा नगर, मझौली,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. मार्च 2021 में वन विभाग ने हमें कुंवा खोदने के आरोप में पुलिस को बुलाकार बुरी तरह से मारा और गाली-गलौज करके कुंवां खोदने से रोक दिया।
2. कोरोना काल में वन विभाग हमारे घर को बुलडोजर से गिरा दिया और हमारे बर्तन और चारपाई तोड़ दिया। घर के सभी सामान जैसे अनाज, खाना और कपडे भी उसने बर्बाद कर दिया।
3. कोविड का टीका लेने से कुछ लोग मर गए थे तो हम लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। लेकिन राशन की दुकान वाले ने टीका नहीं लेनेवालों को राशन देने से मना कर दिया। मजबूरी में मेरे बहु और बेटे को भी टीका लगवाना पड़ा। गाँव में मैं सबसे गरीब हूँ फिर भी मेरा कार्ड BPL का है और जो संपन्न हैं उनका कार्ड अन्त्योदय का है।
4. जब हम अपना दावा फार्म भरते हैं तो ग्राम प्रधान उसपर दस्तखत नहीं करता है। जमीन का पट्टा करने के लिए वन विभाग 3 हजार रूपये मांगता है। जब हम लोग इकठ्ठा होकर उसे बुलाते हैं तो वह आता ही नहीं है। जब खाना बनाने के लिए जंगल में सुखी लकड़ी लेने जाते हैं तो वन विभाग के अधिकारी गन्दी-गन्दी गलियां देते हैं, मारते हैं और फर्जी केस कर देते हैं।
5. मेरे तीन बच्चे लखनऊ में मजदूरी करते थे। तालाबंदी में उन्हें मजदूरी नहीं मिली और वे 7 दिनों तक भूखे रहे। उसके बाद पैदल चलकर वे 25 दिन में घर आ पाए। उनके पैरों में गहरा जख्म हो गया था। गाँव वाले उन्हें गाँव में घुसने नहीं दे रहे थे। जैसे-तैसे मिनती करके उन्हें घर लायी और दो दिनों तक उन्हें अलग जगह पर रखा। उसके बाद पुलिस आई और उसे उठा कर 16 दिन के लिए स्कूल में रख दिया।

केस संख्या 16

नाम: श्रीमती किस्मतिया
पता: लिलासी कला,
ब्लॉक-म्योरपुर, तहसील-दुद्धी,
थाना-म्योरपुर, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. सामुदायिक दावे की जमीन पर हम रहते हैं। उस जमीन पर अप्रैल-मई 2020 में दबंगों ने रातो-रात दीवाल बनाकर कब्ज़ा कर लिए। दुसरे दिन बाकी जमीन पर भी चारो तरफ से नीव खोद दिए और खुद ही पुलिस बुला लिए थे। हम 15-20 लोग मिलकर विरोध किये तो वे रुक गए। उसके बाद दबंगों ने हमारे खेतों की फसलों को पालतू जानवरों से चराना शुरू कर दिया। हमारे बच्चों ने उसका विरोध किया तो वे झगड़ा करने लगे। रात में हमारी झोपड़ी में आग लगा दिया। जब शिकायत करने गए तो ग्राम प्रधान ने हमारी दरखास्त पर दस्तखत करने से मना कर दिया। जब हमने खुद से दरखास्त लिखवाकर पुलिस थाने में दिया तो दूसरे दिन पुलिस दबंगों से मिलने गयी लेकिन हमसे नहीं मिली। एक हफ्ते बाद पुलिस हमसे कुछ कागजों पर अंगूठा निशान लेने आयी तो हमने मना कर दिया। उसके बाद करीब 150 पुलिस हथियारों से लैस होकर आई और मुझे चारो तरफ से घेर करके जबरन अंगूठा निशान ले लिया। उसके बाद भी कई बार अंगूठा निशान लिया। हमें यह नहीं मालूम कि कितने तरह के क्या-क्या कागज थे जिसपर उसने अंगूठा निशान लिया।
2. कोरोना काल में हमारी आदिवासी बस्ती में पुलिस बार-बार आती है, फालतू पूछताछ करती है, बिना वजह हमें धमकाती है और हमेशा दहशत पैदा करती है। अनजान कागजों पर जबरदस्ती अंगूठा निशान या दस्तखत करवाती है। अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे लोग सरकारी भाषा को समझ भी नहीं पाते हैं। मेरे आलावा दुसरे सभी आदिवासियों से भी पुलिस जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा निशान लेकर चली जाती है और 10 दिनों के बाद फिर से पुलिस आती है और कहती है कि थाने जाकर अपनी जमानत करवाओ। हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब कौन सा अपराध कर दिया। सरकार हमारे उपर फर्जी केस करके उसी में फ़साये रखना चाहती है ताकि जब हम कमजोर हो जाएँ तो वह सबको बारी-बारी से उजाड़ सके।

केस संख्या 17

नामः शिव प्रसाद
पताः करचा टोला,
ब्लॉक-म्योरपुर, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. नवंबर 2019 में वन विभाग ने 8 बीघे की जमीन का पट्टा करने के लिए रु० 10,000/- लिया। वन विभाग और लेखपाल फिर से पैसा मांगते हैं। पैसे देने के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ।
2. लॉक डाउन के समय मैं और क्षेत्र के 35 अन्य लोग विजयवाड़ा में मजदूरी करते थे और वहीँ फंस गए। हमें नजरबंद कर दिया गया। सबने मिलकर रु० 90,000/- में प्राइवेट बस किया और घर आये।
3. हमारी जमीन कन्हर बाँध के डूब क्षेत्र में आती है लेकिन सरकार इसे डूब क्षेत्र घोषित नहीं करती है इसलिए हमें न तो मुवावजा मिल रहा है और न ही हम खेती कर पाते हैं।

केस संख्या 18

नामः सुकवरिया नंदू
पताः लिलासी,
ब्लॉक-म्योरपुर, तहसील-दुद्धी,
थाना-म्योरपुर, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. मेर एक बेटा राजस्थान में पाइप लाइन में ठेकेदार के यहाँ काम कर रहा था। लॉक डाउन के बाद मालिक ने एक हफ्ते के लिए खाना दिया। उसके बाद उसके पास पैसा नहीं था तो वह कई बार भूखा ही रहने लगा। एक ही कमरे में रहने लगा और बीमार पड़ गया। इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। उसने अपने किसी साथी से 500 रूपये लेकर घर आने लगा-कभी पैदल तो कभी किसी साधन से। वह 7 दिनों में घर पहुंचा।
2. तीन पोते पढ़ते थे लेकिन स्कूल बंद होने से उनकी पढ़ाई बर्बाद हो गयी। अब वे स्कूल जा रहे हैं।
3. 14 बीघे की पट्टे वाली जमीन पर खेती कर रही हूँ। मेरे खेत के बगल में राम वृक्ष बनिया की जमीन है। वह हमारे जमीन पर कब्ज़ा करने लगा तो हमने मना किया। उसके बाद 25 पुलिस वाले आये और मेरे पति को मारा और उठाकर जेल में बंद कर दिया। आज तक हम उसे देख भी नहीं पाए क्योंकि जेलर हमें मिलने नहीं देता है। तीन महीने से मैं अपने पति को नहीं देख पाई हूँ; पता नहीं कि पुलिस उनके साथ क्या कर रही है। मेरे पति के बड़े भाई को भी पुलिस ने बहुत मारा।
4. हमारे पट्टे वाली जमीन में वन विभाग रास्ता नहीं दे रहा है और उसमें खेती करने के लिए ट्रैक्टर भी नहीं ले जाने देता है।

केस संख्या 19

नामः मुन्नर गोंड़
पताः बहुआर,
ब्लॉक-रोबर्ट्सगंज, तहसील-रोबर्ट्सगंज,
थाना-रोबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. बच्चा बाहर शहर में मजदूरी करने गया था। कोरोना में काम बंद हो गया तो उसे मजदूरी नहीं मिली। वह पैदल चलकर 20 दिनों में गाँव आया। गाँव आने के बाद गाँव वालों ने उसके गाँव में घुसने नहीं दिया। लड़का बिना खाना खाए बाहर भूखे सो गया। सुबह में डाक्टर ने चेक किया तो बताया कि उसे कोरोना नहीं है। इस अपमान से बच्चे और पुरे परिवार को आघात पहुंचा और अपमानित महसूस हुए।
2. बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गयी और जो बच्चे कुछ जानते थे वे अब भूलने लगे हैं। अध्यापक सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं। बच्चों को बिना पढ़ाए उपरी क्लास में दाखिला मिल गया और अब वे कुछ समझ नहीं पाते हैं।
3. जिस जमीन पर हम चार पीढ़ियों से रहते आये हैं वहां अब जंगल विभाग न तो घर की मरम्मत करने देता है और न ही नए सिरे से घर बनाने देता है। वह बार-बार हमें अपनी जमीन छोड़कर भाग जाने के लिए कहता है अन्यथा हाई कोर्ट का आदेश दिखने के लिए कहता है।
4. राशन के बदले टिका अनिवार्य कर दिया इसलिए हमें मजबूरी में टिका लगवाना पड़ा।

केस संख्या 20

नाम: राम रुथाल गोंड़
पता: गोहणा,
ब्लॉक-म्योरपुर, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. बच्चों की पढ़ाई पर लॉक डाउन का बहुत बुरा असर पड़ा है। परिवार के चार बच्चे दो साल से घर पर बैठे रहे। घर पर बैठे-बैठे मानसिक रूप से वे बेचैन होने लगे थे। अब वे स्कूल जा रहे हैं।
2. हम कनहर डूब क्षेत्र में आते हैं लेकिन न तो कोई मुवावजा है और न ही कोई दूसरी सरकारी मदद है। मजदूरी भी नहीं मिलती है।
3. जो जमीन हमारी है उसको बल्केश्वर यादव दबंग ने 2020 में पटवारी के साथ मिलकर अपने नाम करवा लिया है। जब हम लोग खेती के लिए जमीन कोड़ (खोद) रहे थे तो बल्केश्वर ने नक्शा दिखाया। इसके बाद धीरे-धीरे पता चला कि पुरे बस्ती के लोगों की जमीन बल्केश्वर ने अपने नाम करवा रखी है। जिले पर DM के सामने जब खुलासा हुआ तो गाँव के सभी लोग बल्केश्वर से लड़ने लगे। उसके बाद दुसरे दिन पुलिस आई और गाँव के सभी लोगों पर FIR करके उनको मारा और जेल में डाल दिया।

केस संख्या 21

नाम: धर्मजीत
पता: सायल,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-विढमगंज, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. मैं दिल्ली के पास गुडगाँव में सिक्यूरिटी गार्ड का काम करता था। लॉक डाउन के समय मेरा RTPCR टेस्ट हुआ तो मुझे संदिग्ध घोषित कर दिया। यह बात किसी ने मकान मालकिन से बताया तो उसने शाम 5 बजे मुझे घर से भगा दिया। मैं कंपनी के गेट पर गया और अपने सुपरवाईजर से बोला तो उन्होंने और बाकी साथियों ने माकन मालकिन से बात किया लेकिन वह नहीं मानी। ठंड में मुझे रात भर बाहर रहना पड़ा। दूसरे दिन बाकी किरायेदारों ने मकान मालकिन को धमकी दी कि यदि वह मुझे नहीं रखेगी तो बाकी सभी भी कमरे खाली कर देगें। इसके बाद मकान मालकिन मान गयी। जब मैंने फिर से अपना टेस्ट कराया तो मेरा रिजल्ट निगेटिव आया। संदेह के आधार पर मुझे परेशान और अपमानित किया गया।
2. कोरोना और लॉक डाउन की आड़ में जंगल की कटाई हो रही है और जंगल की जमीन बाहरी लोगों को बांटी जा रही है। मैंने खेती के लिए 10 बीघे जमीन के लिए दावा भरा था लेकिन इसे दो बीघे में समेट दिया गया। 2019 में बाहरी लोगों द्वारा उम्भा (घोरावल) में जमीन के मामले में 10 आदिवासियों का नरसंहार हुआ। अदालती आदेश के बाद सरकार ने वनाधिकार के तहत आदिवासियों को जमीन देने के लिए वन समितियों से ग्राम प्रधान के माध्यम से दावा पत्र माँगा। 2020 में लॉक डाउन के समय ग्राम प्रधान और वन समिति के लोगों ने मिलकर गैर आदिवासियों और गिने-चुने चमचों को 50 बीघे से लेकर 100 बीघे तक की जमीन के लिए दावा पत्र दाखिल किया।
3. मई-जून 2021 में वन विभाग ने जंगल के बीच बाहरी लोगों को घर बनाने और खेती करने की छूट दे दी और वे वहां रहने लगे। लेकिन मुझे अपनी ही जमीन से उजाड़ने के लिए वन विभाग और दबंग तमाम तरह की परेशानियाँ पैदा करते हैं। पिछले तीन पीढ़ी से हम जंगल में पट्टे की जमीन पर घर बनाकर रहते आये हैं। घर के सामने हमारा महुआ का पेड़ और उसके बगल में जंगल की जमीन है। दबंग ने मेरे घर के निकास और घर के चारों तरफ की जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर लिया और घर के निकास वाले भाग से आने-जाने से मना करता है। मजबूरी में हम लोग जंगल की दूसरी जमीन को साफ़-सफाई करने लगे ताकि वहां घर बनाकर रह सकें। लेकिन वहां भी दबंग ने मना कर दिया और कहा कि उसने पैसे देकर वहां की सारी जमीन जंगल विभाग से खरीद लिया है। जंगल विभाग के पास जाते हैं तो वे सुनते नहीं हैं और ज्यादा शिकायत करने से डर लगता है क्योंकि दबंग और वन विभाग आपस में मिलकर आदिवासियों को मारते हैं और वहां से उजाड़ते हैं।

केस संख्या 22

नामः राम दलन
पताः मुरता,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

हमारी 10 बीघे की जमीन है जिसमें हम तीन पीढ़ियों से खेती करते आये हैं। इसमें तीन बीघा की जमीन धारा 20 की है और बाकी जमीन हमारे मालिकाना हक़ में है। दिनांक 20 नवंबर 2021 को धारा 20 की जमीन और इसके अतिरिक्त अन्य दो बीघे की जमीन पर दबंगों ने जबरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। जब मैंने विरोध किया तो वे लोग खुद ही पुलिस बुलाकर मेरे उपर झूठा केस कर दिया। 22 नवंबर को जब मैं चन्दौस इंटर कॉलेज लिलासी से चौकीदारी की ड्यूटी करके वापस आ रहा था तो शाम करीब 4 बजे चितवा नाला की चढ़ाई के बगल से कुछ लोगों ने मुझपर अचानक हमला कर दिया। जब मैंने चिल्लाया तो कुछ दुसरे लोग आकर मुझे बचाए। पुलिस में शिकायत करने गए तो उसने शिकायत दर्ज नहीं किया और मुझे भगा दिया। दिनांक 23 नवंबर को मेडिकल करवाकर कोर्ट के माध्यम से केस दर्ज कराया। अभी मामला चल रहा है।
आदिवासी होने की वजह से दबंग लोग हमें यहाँ से उजाड़ना चाहते हैं। यहाँ गाली गलौज, मार-पीट, फर्जी मुकदमें आम बात है। पुलिस और प्रसाशन हमारी कोई भी बात नहीं सुनती है और दबंगों के इशारे पर जुर्म करती है।
नोटः धरा 20 कि जमीन अर्थात जमीन के जिस टुकड़े पर व्यक्ति खेती करता है वह अभी उसके नाम से भू-लेख रजिस्टर में दर्ज होना बाकी है।

केस संख्या 23

नामः श्री मटुकधारी
पताः सायल,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-विढमगंज, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

जुलाई 2020 में वन विभाग ने मेरी झोपड़ी उजाड़ दिया और जाति सूचक गलियां देकर भाग जाने के लिए कहा। घटना की पृष्ठिभूमि यह है कि मेरे पास 5 बीघा की जमीन है जिसमें 60 महुआ के पेड़ हैं। इसपर हम पिछले 34 वर्षों से खेती करते आये हैं। मेरे जमीन के चारो तरफ सामान्य वर्ग के लोगों का पक्का घर है। वन विभाग सामान्य वर्ग के लोगों को घर बनाने से नहीं रोकता। लेकिन हम लोगों को कच्चा घर बनाने से भी रोक देता है। वन विभाग ने हमारी आधी जमीन को जबरदस्ती एक दबंग को दे दिया। उसके बाद वन विभाग ने इस जमीन को लेकर मेरे भतीजे को झूठी बातें बताया और उसे भड़काकर मुझसे झगड़ा कराया। ओक्टूबर 2021 में एक दिन रात में करीब 9 बजे मेरे भतीजे ने मेरी पत्नी को मारा और उसके कमर पर कूद गया जिससे मेरी पत्नी की कमर टूट गयी। इलाज में अब तक एक लाख रूपये खर्च हो चुके हैं जिसमें रु० 22,000/- कर्ज हो गया है।

केस संख्या 24

नाम: रामवृक्ष
पता: सरडीहा,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-विढमगंज, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. जुलाई 2021 में मेरा बेटा और पोता साइकल से जा रहे थे तो पीछे से मोटरसाइकल से एक व्यक्ति ने धक्का मार दिया। दुर्घटना में मेरे बेटे को गहरी चोट आ गयी। मोटरसाइकल वाले ने इलाज का पूरा खर्च देने के लिए कहा लेकिन उसने मात्र रु० 15,000/- दिया। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाया क्योंकि वहां कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए मुझे निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। इलाज के लिए मुझे रु०1,50,000/- में जमीन बेचनी पड़ी।
2. पिछले पांच पीढ़ी से हम 10 बीघे की जमीन पर बसे हैं। इस जमीन में 12 महुआ के पेड़ हैं। अचानक जगत नारायण यादव इसे अपना बताकर हमारी जमीन पर कब्ज़ा करना चाहता है। उसने पुलिस को बुलाकर मुझे और मेरे भतीजे देवकुमार को जेल भेजवाया और जगत नारायण के कहने पर पुलिस ने हमें बुरी तरह से मारा। पुलिस वाले और जगतनारायण यादव हमें जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। ये लोग हमें अपनी ही जमीन से उजाड़ना चाहते हैं और फिर हमारी जमीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं।

केस संख्या 25

नाम: श्रीमती राजकुमारी भुईयां
पता: नया बस्ती, घूम नगर,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-विढमगंज, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. धूमनगर में पुश्तैनी और बनाधिकार के तहत काबिज 60 बीघा की जमीन पर बगीचा है और इसी में खेती भी करते आये हैं। तालाबंदी के समय 15 बिघे की जमीन में गेहूं और अरहर की खड़ी फसल को दबंगों ने आग लगा दिया और पुलिस ने हमें (पीड़ित पक्ष) यह कह कर घर में कैद कर दिया कि कोरोना बीमारी फ़ैल जाएगी। हम फसल में लगी आग भी नहीं बुझा सके। इसके अतिरिक्त 20 बिघे की जमीन में लगी फसल और पौधों को वन विभाग और पुलिस हथियारों से लैस होकर JCB से उजाड़ दिया और उसमें बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिया। वन विभाग और पुलिस के सभी आदमियों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। इस तलाबन्दी में हमारे फलदार बगीचों में लगे फलों जैसे आम, महुआ आदि को बन विभाग दूसरे लोगों के माध्यम से चुनवाता है। यह घटना अप्रैल-मई 2020 की है।
2. तीन बीघे की बयनामा वाली जमीन पर हम पुश्तों से रहते आये हैं। दबंगों ने एक विधवा महिला को सामने से फर्जी तरीके से लड़वा कर हमारी फसल काट लिए। जब हमने रोका तो उल्टा हमारे उपर ही फर्जी केस करके घर के सभी लोगों को फंसा दिया। पुलिस ने मेरे बच्चों के हाथ में हथकड़ी बांधकर बुरी तरह से पिटा जिसकी वजह से वे आज भी बीमार हैं। दबंग, वन विभाग और पुलिस मिलकर हमें अपने पुश्तैनी जमीन से उजाड़ना चाहते हैं। 27 नवंबर से 30 नवंबर 2021 की घटना है।
3. स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बंद थी। जब स्कूल खुला तो टीचर बच्चों को कापी-किताब और ड्रेस की कमी बताकर वापस भेज देते हैं। लम्बी छुट्टी से बच्चे जो पहले पढ़े थे वह भी भूल गए हैं। उनको पढ़ने में मन नहीं लगता।
4. मेरे बच्चे दिल्ली, सतना और बेंगलोर में काम करते थे। तालाबंदी के समय 24 घंटे बिना पानी और खाना के वे रहे तो अंत में वे भूखे-प्यासे पैदल घर वापस आने लगे। ठेकेदारों ने किसी भी बच्चे को मजदूरी नहीं दी। जब वे पैदल नहीं चल पा रहे थे तो उन्होंने घर पर फोन किया। हमने कर्ज लेकर उनको पैसे भेजे तो वे किसी तरह घर वापस आये। घर वापस आने पर उन्हें गाँव से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया जबकि उनको कोरोना नहीं था।

केस संख्या 26

नामः श्रीमती केवलपति
पताः सुंदरी,
ब्लॉक-बभनी, तहसील-दुद्धी,
थाना-विढमगंज, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. कोरोना काल में एक बच्चे की पढ़ाई इसलिए छूट गयी कि उसका एडमिशन नहीं हुआ और दूसरा बच्चा पढ़ने नहीं जाता क्योंकि स्कूल बहुत दूर है और जाने पर पढ़ाई नहीं होती है।
2. हम लोग निजी अस्पताल में इलाज कराते हैं जो बहुत महंगा होता है। दुद्धी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वे रोबर्ट्स गंज भेज देते हैं। राबर्ट्सगंज जाने से वे बनारस भेज देते हैं। इस तरह सरकारी अस्पताल में ज्यादा पैसा आने जाने के किराया में खर्च हो जाता है और समय बहुत लगता है।
3. राशन की दुकान पहले गाँव में करीब थी लेकिन अब 25 किलोमीटर दूर चला गया है। वहां कई बार जाने से एक बार राशन मिलता है। इसलिए अब हम वहां जाते भी नहीं और बाजार से खरीदकर काम चलाते हैं।
4. कोरोना काल में वन विभाग और पुलिस का अत्याचार देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे साथ पहले से पुलिस ने अत्याचार किया है। कनहर बाँध के विरोध में जब धरना दे रहे थे पुलिस ने बुरी तरह से मारा था। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो सका तो निजी अस्पताल में कुछ इलाज कराया लेकिन अब पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए।

केस संख्या 27

नामः श्रीमती सोनी गोंड़
पताः सायल,
ब्लॉक-म्योरपुर, तहसील-दुद्धी,
थाना-विढमगंज, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. वन विभाग वाले घर में आकर धमकाते और डाँटते हैं। हमारे आम और फल के पौधों को उखाड़कर फेंक देते हैं और वहां कटीले और दूसरे पौधे लगा देते हैं। जमीन की दखल नहीं करने देते हैं। ग्राम प्रधान भी वन विभाग और पुलिस वालों के साथ मिलकर हमको धमकाता है। रोजगार गारंटी में 100 दिन का काम मिलना था तो अभी एक दिन का भी काम नहीं मिला।
2. मेरे पति के भाई अनपरा में काम करते थे। वहां कोरोना के दूसरी लहर में उनको बुखार हुआ तो अस्पताल में भर्ती होने के एक ही दिन में उनकी मृत्यु हो गयी। एम्बुलेंस से लाश लेकर घर आये लेकिन प्रशासन ने उनकी लाश को ले जाकर जला दिया और किसी को लाश दिखाया ही नहीं। अब पति के भाई के बच्चों की देखभाल मुश्किल हो रही है। सरकार से कोई मदद नहीं मिली।

3. मेरे पास दो बीघा जमीन है। इतनी खेती में गुजारा नहीं हो पाता है। मजदूरी का काम कोरोना में नहीं मिला। खाने-पीने की बहुत परेशानी हुई।

केस संख्या 28

नामः गौरीशंकर
पताः मझौली,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी,
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. मैं गुजरात काम करने गया था और वहां पर सरिया शटरिंग का काम करता था। मेरे साथ यहाँ से 4 अन्य लोग भी गए थे। जब लॉक डाउन शुरू हुआ तो ठेकेदार भाग गया। हम लोग भूखे मरने लगे तो वहां से पैदल ही घर के लिए चल दिए। 20 दिन में पैदल चलकर हम घर आये। रास्ते में कहीं-कहीं पुलिस वाले बहुत मारते थे। ठेकेदार का नाम जगेश्वर यादव, गाँव भालू कूदा, थाना कच नरवा, तहसील ओबरा और जिला सोनभद्र का ही रहने वाला है।
2. जंगल में जलावन के लिए सूखी लकड़ी लेने जाते है तो वन विभाग वाले परेशान करते हैं। पिछले दिनों जब हम जंगल गए थे तो वन विभाग वाले ने मुझसे रु० 500/- वसूला उसके बाद छोड़ा।
3. डेढ़ बीघा जमीन है जो बहुत कम है इसलिए दूसरे का खेत लेकर उसमें बटाई की खेती करते हैं। हमें गाँव में आवास भी नहीं मिला है।

केस संख्या 29

नाम: श्री सुखदेव
पता: लिलासी कला,
ब्लॉक-म्योरपुर, तहसील-दुद्धी,
थाना-म्योरपुर, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. मेरा एक लड़का धन सिंह इलाहाबाद में काम करता था। तालाबंदी लगने के बाद ठेकेदार मजदूरी नहीं दिया लेकिन काम करने की जगह पर ही खाने और रहने के लिए कहा। एक हफ्ते के बाद खाना देना भी बंद कर दिया। हमने कर्ज लेकर रु० 6,000/- भेजा तो वह गाड़ी बुक करके घर आ पाया। उसे कोरोना नहीं था फिर भी घर आने के बाद गाँव वालों ने उसे एक महीने तक सबसे अलग रहने के लिए दबाव डाला। वह चार महीने तक खेती-बारी का काम देखा। फिर वह काम करने के लिए शहर गया तो फिर से वहां तालाबंदी और कोरोना की वजह से काम छोड़ना पड़ा और उसे मजदूरी भी नहीं मिली। वहां से उसने तीसरे जगह काम तलाशा और अभी वहीं पर काम कर रहा है।
2. एक बेटा डिग्री की पढ़ाई पढ़ रहा था लेकिन कॉलेज बंद होने से उसकी पढ़ाई बंद हो गयी और वह BA की परीक्षा भी नहीं दे पाया। अब वह भी शहर जाकर मजदूरी कर रहा है।
3. हमारा सामूहिक दावा हो चुका है। जहाँ हम रहते हैं वहां दबंग लोग, वन विभाग और पुलिस को बुलाकर हमसे मार-पीट करते हैं और फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज देते हैं। अभी तक तीन लोग जेल में हैं। जेल में महिलाओं को पुलिस बुरी तरह से मारती है। मेरे साथ 15 महिलाओं को पुलिस ने बुरी तरह से मारा। दबंग लोग और उनके साथ वन विभाग एवं पुलिस विभाग घर-घर जाकर धमकी देते हैं। अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन हमारा केस लड़ रहा है। अभी भी पुलिस लोगों को उठाकर ले जा रही है। वन विभाग हमें कुवां और घर नहीं बनाने दे रहा है।
4. तीन साल पहले पुलिस ने मुझे चार महीने जेल में रखा। जेल से वापस आने के बाद मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया और जिला बदर कर दिया। नोटिस मिलने के बाद मुझे 4 महीना दुद्धी के बगल में गाँव में रहना पड़ा।
5. थाने में शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस वाले केस लिखने की बजाय उल्टा हमें ही धमकाते हैं।
6. लोढ़ी सरकारी अस्पताल में महिलाएं चुपचाप इलाज करा रही थीं तो पुलिस ने बिना वजह उन्हें मारा। उन्हें हमसे इतनी नफरत है कि वे हमें देखना नहीं चाहते हैं।

केस संख्या 30

नाम: श्री रामगोपाल
पता: कादल,
ब्लॉक-म्योरपुर, तहसील-दुद्धी,
थाना-म्योरपुर, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. मेरे कुल 4 लड़के और एक लड़की है। मेरा एक लड़का राय सिंह उम्र 21 वर्ष उदयपुर (राजस्थान) में मजदूरी का काम कर रहा था। कोरोना काल में काम बंद हो गया तो वहां की पुलिस ने मेरे बच्चे की मदद की और मेरा बच्चा ठीक से घर आ गया। घर आने पर उसे 14 दिन के लिए संगरोधन (quarantine) किया गया। सरकार उसे केवल खिचड़ी देती थी और कुछ अच्छा खाना छूने नहीं देती थी। साल भर घर में रहा उसके बाद फिर से वहीँ काम पर चला गया है। दूसरे बच्चों की पढ़ाई लॉक डाउन में बंद हो गयी तो वे पढ़ाना ही छोड़ दिए।
2. दखल की गयी जमीन पर हम खेती करते हैं और रहते हैं। एक दिन जब मैं अपने जानवरों को चराने के लिए बाहर गए थे तो वन विभाग वाले मेरी झोपड़ी उजाड़ दिया, चारपाई, बिस्तर, खाने के बर्तन, गाय बांधने की रस्सी, और घर का सारा सामान लेकर चले गए। मेरे उपर फर्जी केस काटकर और मुकदमा लगाकर फंसा दिया। ऐसे ही झूठे केस बनाकर वन विभाग हमको परेशान करता है।
3. कोरोना काल में मैं बीमार हो गया था तो अस्पताल में दवा नहीं मिला। दुकाने भी बंद थीं तो जड़ी-बूटी से इलाज करके हम ठीक हुए।

केस संख्या 31

नाम: श्री रामप्यारे
पता: पनकिया,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-ओबरा
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. मेरा बेटा अरविन्द और एक अन्य लड़का राज नारायण गुजरात में स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। लॉक डाउन में काम बंद हो गया। वे 7 महीने बिना काम के कमरे में थे और इन्तजार कर रहे थे कि फैक्ट्री चालू हो जाएगी। लेकिन फैक्ट्री चालू नहीं हुई और उनका वेतन भी नहीं मिला। जो कमाए थे वह सब खाने में खर्च हो गया। वे भूखे रहने लगे। फिर पैदल ही घर चल दिए, रास्ते में कहीं कहीं कोई साधन मिल जाता था। वे 12 दिन में घर पहुंचे। डेढ़ साल से ज्यादा हो गया है वे घर में बैठे हैं।
2. मैं राज मिस्त्री का काम करता हूँ। मेरे पास दखल की कोई जमीन नहीं है। पुश्तैनी जमीन पर ही हम रहते हैं और खेती करते हैं। लॉक डाउन में कोई काम नहीं मिल रहा था इसलिए खाने-पिने की बहुत परेशानी हुई।
3. एक बेटी 11 क्लास में पढ़ती है लेकिन उसकी पढ़ाई छूट गयी। ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं है।

केस संख्या 32

नाम: श्रीमती लीलावती
पता: बीडर,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

बीडर स्कूल में खाना बनाती हूँ। एक दिन की मजदूरी रु० 50/- है। लॉक डाउन में स्कूल बंद होने से मजदूरी नहीं मिली और कोई दूसरा काम भी नहीं मिला। घर में मेरे मजदूरी से ही सब काम चलता है। मेरे पति को 6 साल से घुटने में समस्या है इसलिए वह विकलांग हैं और मेरी ननद भी विकलांग है जो मेरे साथ ही रहती हैं। राशन की दुकान पर राशन भी नहीं मिलता है क्योंकि कम्प्यूटर में अंगूठा का निशान नहीं मिलता है। जब खाने की समस्या ज्यादा हो गयी तो रिश्तेदारों से मदद लेकर हम खाना खाने की व्यवस्था कर पाए। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। घर में कोई बीमार हो जाता है तो दवा कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं और सरकारी अस्पताल से भगा देते हैं। दो लड़कियां और एक लड़का है।

केस संख्या 33

नाम: गोपाल चन्द्र
पता: सुंदरी,
ब्लॉक-बभनी, तहसील-दुद्धी
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. मैं ओड़िशा में NTPC की एक कॉलोनी कन्या कुमारी में काम करने गया था। 14 दिन बैठे रहे उसके बाद काम मिला। कंपनी का ठेकेदार ही हमको खाना देता था। हम कुल 8 लोग थे और 45 दिन काम किये थे। उसके बाद लॉक डाउन लग गया। 5 लोगों को ठेकेदार ने 5 हजार से लेकर 6 हजार रुपये तक दिया। बाकी पैसा नहीं मिला। घर वापस आने में बहुत समस्या हुई। घर आने के बाद भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। कहीं और काम भी नहीं मिल रहा था। इसी बीच भाई की पत्नी की डिलीवरी थी और सरकारी अस्पताल बंद थे। कोई डाक्टर छू भी नहीं रहे थे। किसी तरह हम लोग पैसा इकठ्ठा करके गाड़ी बुक किया और बीडर लाये जहाँ पर डिलीवरी हुई। कर्ज लेकर डाक्टर का पैसा चुकाया तब जाकर छुट्टी हुई।
2. मेरा छोटा लड़का कक्षा 6 में पढ़ता है। लॉक डाउन के समय बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, उसे पोषक आहार और यूनिफार्म भी नहीं मिल पाया और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि ट्यूशन पढ़ा सकूँ। बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो गयी।
3. मेरा घर और साढ़े सात बीघा जमीन कन्हर डूब क्षेत्र में है-एक तरफ कनहर दूसरी तरफ पांगन नदी है। हमें न तो मुवावजा मिला और न ही सरकार कहीं रहने की व्यवस्था कर रही है।

केस संख्या 34

नाम: श्री श्यामलाल पासवान
पता: बिलारुआ टोला (हरा),
ब्लॉक-चोपन, तहसील-ओबराय
थाना-कोन, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. कोरोना काल की तालाबंदी में मेरे उपर 9 बार से ज्यादा अत्याचार हुआ। नवंबर 2020 में दबंगों ने जबरदस्ती मेरी फसल को जानवरों से चराया और उसे जोत दिया। पुलिस में शिकायत करने पर वे थाने में समझौता कर लिया लेकिन बाद में तनाव ज्यों का त्यों बना रहा। 26 जनवरी 2021 को सुबह 7 बजे पुलिस अचानक मेरे घर में घुस गयी और बुरी तरह से मुझे मारा। उसके बाद मेरे उपर गुंडा एक्ट लगाकर जिलाबदर कर दिया। बार-बार शांति भंग करने का आरोप लगाकर पुलिस तंग करती है। दबंगों, पुलिस और वन विभाग से तंग आकर हमने DM, SP, SDM और SC/ST आयोग को पत्र लिखा की वे हमारी सारी जमीन ले लें और बदले में मुझे शांति से जीने दें।
2. सभी मुकदमों में पुलिस बिना मतलब का मेरी पत्नी श्रीमती लालती को भी आरोपी बनाती है। लालती जी के उपर अलग से भी कम से कम 23 मुकदमें हैं। इस तरह लालती जी के उपर कुल 60 फर्जी केस दर्ज हैं।
3. 2007 में वनाधिकार कानून लागू होने के बाद जब हमने 83 लोगों का सामूहिक दावा भरा। उसके बाद वन विभाग और पुलिस ने मेरे ऊपर फर्जी मुक़दमा किया। इसके बाद डर कर 28 लोगों ने अपना दावा वापस ले लिया। बचे हुए 55 लोगों के कब्जे में 55 हेक्टेयर जमीन है। परन्तु 2007 से लेकर 2010 तक वन विभाग ने 21 और पुलिस ने 6 फर्जी केस में फंसा दिया। साल 2011 से लेकर 2019 तक वन विभाग ने कुल 10 फर्जी मुक़दमे किये हैं।
4. वन विभाग और पुलिस के अत्याचार का संभावित कारण यह है कि मैंने दलितों और आदिवासियों के बीच वनाधिकार कानून के प्रावधानों का प्रचार किया ताकि वे अपना सामूहिक और व्यक्तिगत दावा भर सकें। वन विभाग और पुलिस हमारे इस काम से नाराज हो गए और हमारी बस्ती में आकर अक्सर लोगों को गुमराह करके आपस में लड़ाने लगे। एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के उपर फर्जी केस कर देती है, बाद में जिसके नाम से फर्जी केस होता है वह यदि सच बोलता है कि उसने केस नहीं किया है तो पुलिस उसे ही मारने लगती है। दबंग लोग सभी दलितों और आदिवासियों को वहां से उजाड़ना चाहते हैं इसलिए इन सभी अनपढ़ लोगों को आये दिन गुमराह करते हैं, अत्याचार करते हैं और जो लोग इस चाल को समझते हैं उनके ऊपर वन विभाग और पुलिस के साथ मिलकर फर्जी मुकदमों में फंसाते हैं।
5. मेरे उपर अभी तक वन विभाग और पुलिस ने कुल 72 फर्जी केस किये हैं।

केस संख्या 35

नाम: श्रीमती बिरजो देवी
पता: मझौली,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. हमारे पास वन विभाग से दखल की हुई जमीन नहीं है। मेरे पति श्री लक्ष्मण ने रेलवे में कुली का काम करके 7 बीघा जमीन 20 साल पहले ख़रीदा था। वह खेती और कुली का काम करते हैं।
2. मेरा बेटा लखनऊ में पाइप लाइन में मजदूरी कर रहा था। लॉक डाउन लगने के बाद उसकी मजदूरी नहीं मिली और काम बंद हो गया। वह कभी पैदल तो कभी किसी गाड़ी वाले से मदद मांगकर घर आया। घर आते समय उसके पास पैसे नहीं थे तो मांग मांग कर खाना खाता था। कभी दुकान पर बिस्कुट वगैरह लेने जाता तो दुकानदार उसे फेंककर कर बिस्कुट देता था। अब वह शहर जाने का नाम नहीं लेता है। जंगल से सूखी लकड़ी लाकर बेंचता है और गाँव में ही कभी-कभी काम मिलने पर सामान ढोने का काम करता है।
3. बड़ा बेटा घर पर ही सिलाई का काम करता है। लॉक डाउन के समय उसको कोई काम नहीं मिला। घर की खेती से गुजारा होता है।
4. मैं और मेरे पति वृद्ध हैं लेकिन हमें वृद्ध पेंशन नहीं मिलता है। हमारा आवेदन प्रधान लेता ही नहीं है।

केस संख्या 36

नामः हरी शंकर
पताः सोननगर (जोरूखाड़),
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

1. एक बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है। स्कूल बंद होने से बच्चा इधर उधर घूमता था। बिना पढ़े ही उसे अगली कक्षा में दाखिला मिला गया। उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गयी।
2. लॉक डाउन के समय बाजार में एक तरफ दुकाने बंद रहती थी तो दूसरी तरफ जो दुकाने खुली होती थीं वहां भीड़ हो जाती थी और पुलिस आकर डंडे से मारती थी। सामान भी इतना महंगा होता है कि खरीदना मुश्किल हो जाता।
3. 2009 में व्यक्तिगत और 2018 में सामूहिक दावा फॉर्म भरा लेकिन उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। 2008 में वन विभाग ने पशुओं से हमारी फसल चरवा दिया जिसमें हमारे गाँव के दबंग लोग भी शामिल थे। मेरे उपर फर्जी केस करके मुझे जेल में बंद कर दिया। गाँव के ही अन्य लोग मेरी जमानत कराये। 2009 में विवेचना के बाद पुनः मुझे जमानत करानी पड़ी। आज तक मुकदमा चल रहा है।

केस संख्या 37

नामः राम दुलारे
पताः सोननगर (जोरूखाड़),
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

मेरा बेटा एक प्रवासी मजदुर है। हम सामुदायिक वन भूमि में अपने हिस्से की खेती करते हैं। फसली सीजन में हम कृषि मजदूरी करते हैं और कभी नाबार्ड में भी मजदूरी करते हैं। हमारे व्यक्तिग्त वनाधिकार के दावे दस साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। हमारा दावा साल 2018 में हुआ था। COVID 19 महामारी के समय मेरा बेटा गुजरात के सूरत में एक पाइपलाइन ठेकेदार के यहाँ काम कर रहा था। ठेकेदार ने उसे 10,000 रुपये प्रति माह की मजदूरी देने का वादा किया। उन्होंने कड़ी मेहनत से काम किया और अपनी बचत से कुछ पैसे हमें घर पर भेजा। जब भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो मेरा बेटा सूरत में फंस गया। अपने दूसरे साथियों के साथ कई दिनों तक वह सूरत में फंसा रहा। वहां पर उन्हें रहने और खाने की काफी परेशानी होने लगी। बेटे ने पैदल ही घर आने का फैसला किया। भीषण गर्मी और सड़क पर पैदल चलने के कारण उसके जूते फट गए और पैरों से खून निकलने लगा। किसी तरह वह घर पहुंचा और हमें अपनी मुश्किलें बताया। कई जगहों पर पुलिस ने उसे बिना वजह लाठियों से मारा भद्दी-भद्दी गालियाँ दीं। वह दर्द से बीमार हो गया और उसे बेचैनी होने लगी तो हमने घर पर ही उसका इलाज कराया। अचानक COVID 19 लॉकडाउन लागू होने के कारण, उनके ठेकेदार ने भी उनके वेतन देने से मना कर दिया। ठेकेदार को भी कंपनी की ओर से भुगतान नहीं किया गया।

केस संख्या 38

नामः राम दुलारे
पताः सोननगर (जोरूखाड़),
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

23 मार्च 2018 को, रॉबर्ट्सगंज उप-मंडल कार्यालय में 16 गांवों के सामुदायिक वन अधिकार दावे दायर किए गए और प्रस्तुत किए गए। 2009 में व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे किये गए थे जिनपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
COVID 19 महामारी के दौरान मुझे PDS राशन से वंचित कर दिया गया था। जब मैंने पूछा कि मुझे PDS राशन से वंचित क्यों किया जाता है तो उन्होंने मुझे गालियां दीं और कहा कि मुझे टीका नहीं लगा है। मैं COVID 19 टीकाकरण लेने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था लेकिन मुझे टीका लगाने के लिए मजबूर किया गया था। मैंने अधिकारियों से कहा कि मैं उम्र में एक बूढ़ा आदमी हूं जो हमेशा जंगल में रहता हूँ। कोरोना वायरस बाहर से आया और देश में आग की तरह फैल गया। लेकिन सौभाग्य से हम वनवासियों को वह बीमारी नहीं हुई, तो हम क्यों मजबूर होकर टीकाकरण करा रहे हैं? अधिकारियों ने मुझे चुप करा दिया और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। अंत में उन्होंने मुझे COVID 19 टीका लगया, जिसका नाम भी मैं नहीं जानता हूँ।

मैं बस इतना चाहता हूं कि वनाधिकार कानून 2006 लागू हो। मैं अपने खेत की जुताई करूंगा और घर में उगाई सब्जियां खाऊंगा और स्वस्थ रहूंगा। COVID 19 महामारी के दौरान वन विभाग ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। वे हमें हमारे वन भूमि से बेदखल करने के लिए कई आदिवासी समुदायों पर दबाव डालते रहे। उन्होंने जंगल में मामूली लकड़ी और वन उपज इकट्ठा करने के लिए हमारे आंदोलन को रोक दिया, जिसने COVID 19 के दौरान हमारे आर्थिक संकट को बढ़ा दिया।

केस संख्या 39

नामः श्री रामदास
पताः मझौली,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी
थाना-दुद्धी, जिला-सोनभद्र

<u>तालाबंदी के समय अत्याचार / अपराध की घटनाएँ</u>

हमारे वन गांव में पीने के पानी की कमी है। COVID 19 महामारी की अवधि के दौरान हमारी स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। पानी की कमी के कारण हम अपनी सामुदायिक फसलों की खेती नहीं कर पा रहे थे और अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे। उस वर्ष बारिश भी कम हुई थी।

हमारे गांव के लोगों ने मिलकर कुआं खोदने का फैसला किया लेकिन हमें कुआं खोदने से मना कर दिया गया। वन अधिकारियों ने आकर कुएं के ऊपर की जमीन को फिर से भर दिया और पानी प्राप्त करने की हमारी सारी कोशिशें ठप हो गईं। हमें अपने आर्थिक संकट के दौरान आपूर्ति पानी की टंकियों से पानी खरीदना पड़ा। इससे पहले दिसंबर 2020 को वन रेंजर शंभू नाम के वन अधिकारी हमारे जंगल में आए और हमारे एक साथी के घर को तोड़ दिया। वन अधिकारियों द्वारा हम पर इस तरह के हमले COVID 19 महामारी के दौरान हम सभी के लिए आम बात हो गयी है। जमीन के जिस भू-भाग पर हम रहते उसे हम सभी ने 23 मार्च 2018 को सामूहिक रूप से अपने सामुदायिक वन अधिकारों का दावा किया है।

केस संख्या 40

नामः श्रीमती फुलबासी
पताः लिलासी,
ब्लॉक-दुद्धी, तहसील-दुद्धी
थाना-म्योरपुर, जिला-सोनभद्र

तालाबंदी के समय अत्याचार/अपराध की घटनाएँ

दिसंबर 2020 को, मुझ पर और 14 अन्य महिलाओं के साथ, जिनमें दो नाबालिग लड़कियां भी शामिल थीं, 30 पुरुष पुलिस कर्मियों ने हमला किया था। हम पर पुलिस ने डंडों, लातों और घूंसों द्वारा बेरहमी से हमला किया। हमें कीड़ों की तरह जमीन पर घसीटा गया और जानवरों की तरह पुलिस वैन में फेंक दिया गया। हम उनकी रहम के लिए चिल्लाते रहे लेकिन वे हमें लाठियों से पीटते रहे। मैं बीच-बीच में बेहोश हो गयी और जब मुझे होश आया तो देखा कि हमें म्योरपुर थाने में लाया गया है। हमारे ग्रुप की एक बूढी महिला जिसका नाम फुलजरिया है की कोहनी से खून बह रहा था। गुप्ता नाम के व्यक्ति द्वारा हम पर लगाए गए आरोप की वजह से पुलिस हमारे खिलाफ होकर हमें गालियां दीं और हमें थाने बुलाया गया। गुप्ता ने हम पर अपनी संपत्ति पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। गुप्ता ही हमारे सामुदायिक वन अधिकार की जमीन पर अवैध कब्ज़ा करके मकान बना रहे हैं; यह केस 2018 से रॉबर्ट गंज पुलिस स्टेशन में लंबित हैं। इसके विपरीत गुप्ता ही हैं जो हमें हमारे कृषि क्षेत्रों में काम करने से रोक रहे हैं। जब हमने पुलिस कर्मियों को इन तथ्यों के बारे में बताया, तो उन्होंने हमें गालियां दीं

और हम पर फिर से लाठियां बरसाईं। हम तड़प-तड़प कर चिल्लाए लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद मुझे जो याद है वह कि इस घटना के बाद में हमें म्योरपुर के पास के सार्वजनिक अस्पताल में भेजा गया था। हममें से कुछ लोगों ने पुलिस से मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछताछ की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने हमारी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया।
बाद में शाम तक हम सभी को दुधी थाने ले जाया गया। शाम को करीब 8 बजे हमारे वकील श्री बिहारी बनियाल आए और फुलगरिया समेत हम में से 9 को थाने से रिहा कर दिया। लेकिन हम में से 6 महिलाओं को "गुर्मा जेल" भेज दिया गया। 6 महिलाओं में से दो नाबालिग थीं और बाकी युवा महिलाएं थीं। मुझे याद नहीं कि सभी 6 युवतियों को गुर्मा जेल भेजने से पहले किसी जिला मजिस्ट्रेट अदालत में भेजा गया या नहीं। 7 दिनों के बाद सभी 7 युवतियों को गुर्मा जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस बल द्वारा हम पर इस तरह के क्रूर हमले के बाद भी भारत सरकार हम पर सैकड़ों फर्जी मामले थोपती है। हमारे CFR दावे 23 मार्च 2018 से रॉबर्टगंज उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय में लंबित हैं।

न आयोग
28 दिसम्बर 2021 नौगढ़ चंदौली उ.प्र.
दिसम्बर 2021, मानिक पुर चित्रकूट उ.प्र.
दलित आदिवासी अधिकार मंच, कैमूर मुक्ति मोर्चा
ग्राम वनाधिकार
पो.-बहुआर

ग्राम वनाधिकार
ग्राम-बहुआर

न आयोग
2021 मानिक पुर चित्रकूट उ.प्र.
वनाधिकार

अनुलग्नक (ख)
केस स्टडी - जिला
चंदौली

केस न०- 1: वनविभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं पर हमला और बेदखल करना

नाम: रीता
पता: गाँव-सुखदेवपुर, तहसील-नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

समस्या: वनविभाग द्वारा गाँव पर किसी पूर्व सूचना के लोगो के खेतो को उजाड़ना

विवरण: सुखदेव पूर नौगढ़ ब्लॉक का गाँव है, जो पंचायत मगरही के अंतर्गत है। गाँव में कुल लगभग 100 दलित परिवार है। इस गाँव से 2010 में 40 परिवार ने वनाधिकार कानून 2006 के तहत व्यक्तिगत दावा प्रपत्र जमा किया था। 7 दिसम्बर 2021 जब गाँव में कोई पुरुष नहीं था, उस दिन वनविभाग के लोग जेसीबी द्वारा लोगो के खेतो में खुदाई के लिए बिना किसी पूर्व सुचना या किसी नोटिस के आ गए। जिस पर समुदाय और वनविभाग के बीच काफी झड़प हुई। वनकर्मी इमरान खान, फारेस्ट गार्ड-पप्पू सोनकर, वन दरोगा-गुरुदेव यादव महिला गार्ड के साथ समुदाय की महिलाओं के काफी धक्का मुक्की हुयी। लेकिन महिलाओं ने अपने खेतो में जेसीबी नहीं चलाने दिया। कई पीढियों से यह लोग इस जमीन पर निवास करते चले आ रहे है। लोगो के पास यही आजीविका का साधन है। महिलाओं का कहना था की आप हमारे दावो का निस्तारण किये बिना हमें जबरदस्ती बेदख़ल नहीं कर सकते। लेकिन वन विभाग के कर्मी समुदाय की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वनकर्मी गुरुदेव और पप्पू सोनकर महिलाओं को पकड़कर जबरदस्ती वहां से हटाने का प्रयास कर रहे थे। जिन महिलाओं ने विरोध किया। उन से वनविभाग द्वारा जमीन का कागजात दिखाने के लिए कहा गया। इन महिलाओं ने कहा की आप पहले अपना कागज़ दिखाओ की आप किससे आदेश से यहाँ पर आये है। इस बात पर वनविभाग और समुदाय की महिलाओं में काफी बहस हुई। समुदाय की महिलाए ने संगठित होकर वनविभाग के कर्मियों को वापस भेज दिया। लेकिन बाद में वनविभाग द्वारा 10 महिलाओं के ऊपर पुलिस केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया लेकिन अभी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। पुलिस द्वारा समुदाय पर वनविभाग से सुलह का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन समुदाय के किसी भी प्रकार की सुलह करने व अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है।

केस न०- 2: कोरोना काल में बंद छात्रवृत्ति गरीबो की शिक्षा पर संकट

नामः शांति
पताः ग्राम-परसहवां, पोस्ट/थाना-चकरघट्टा,
तहसील-नौगढ़, जिलाः चन्दौली,

समस्याः कोरोना काल के दौरान शिक्षा व सराकर द्वारा गरीब छात्र-छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का बंद किया जाना

विवरणः शांति, उम्र 19 साल, परसहवां ग्राम निवासी जो पिछड़ा वर्ग से है, चौधरी महादेव सिंह महाविद्यालय, नाई चतरा, राबर्टसगंज, सोनभद्र, बी.ए.तृतीय वर्ष की विद्यार्थी है। शांति ने उनकी और उनके साथियों की शिक्षा की हो रही दुर्गति के बारे में बताया। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल कॉलेज बन्द कर दिये गये जिससे सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। एक तरफ तो पढ़ाई की दुर्गति हुई, दूसरी तरफ कॉलेज द्वारा उनसे और उनके साथ पढ़ने वाले और सभी छात्र-छात्राओं से पूरी पूरी फीस ली गई। यहां तक की कॉलेज बन्द होने के कारण इनका कोई प्रेक्टिकल नही हुआ फिर भी सभी छात्र और छात्राओ से पूरी पूरी प्रेक्टिकल फीस ली गई। शांति के शब्दों में "लॉकडाउन में जब स्कूल- कॉलेज बन्द थे, हम लोगों ने जब क्लास नही लिया, हमारा कोई प्रेकिटकल नही हुआ तो हमसे किस बात की फीस ली गई? "लॉकडाउन के दौरान सरकार ने ऑनलाइन क्लास का निर्णय तो दे दिया परन्तु जिन लोगो के पास ऑनलाईन क्लास लेने की सुविधाओं का अभाव है उनके लिये सरकार ने क्लास लेने की कोई व्यवस्था नही की जिससे ऑनलाईन क्लास की बात सिर्फ पूंजीपतियो को शिक्षा देने की बात लगती है। सरकार ने जब यह निर्णय लिया तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी छात्र-छात्राओं की शिक्षा सुनिश्चित करें चाहे वह अमीर हो या गरीब।

ऑनलाईन शिक्षा न ले पाने और स्कूल-कॉलेज की ट्यूशन फीस और प्रेक्टिकल फीस की समस्या के अलावा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृति सही न दिया जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। कोरोनाकाल में सरकार ने पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति भी ठीक ढंग से नही दी है। किसी छात्र को आधी छात्रवृति तो किसी को एक रूपया भी छात्रवृति नही मिली है। शांति का कहना है कि "छात्रों को छात्रवृति नही मिलेगी तो वह अपनी पढ़ाई किस प्रकार करेंगें? कॉलेज लगभग 11 किलोमीटर से ज्यादा दूर है जिसके लिये ऑटो या पिकअप लेना पड़ता है। कोरोना व लॉकडाउन में परिवार वालें बेरोज़गार हो गये है। वह छात्रों की फीस देंगें या स्कूल-कॉलेज जाने का किराया? "ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा स्कॉलरशिप न देना या ठीक प्रकार से न देने की वजह से पिछड़ा वर्ग की छात्र-छात्राएं जो अनेक बाधाओं के बावजूद पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे है, की शिक्षा पर एक प्रकार का हमला है।

केस न०- 3: कोरोना काल के दौरान सही इलाज व ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत्यु

नामः रामनाथ यादव
पताः गाँव-गढ़वा, ब्लॉक-नौगढ़,
तहसील-नौगढ़, थाना-चकरघट्टा,
जनपद-चंदौली
समस्या की अवधिः 23/4/2021से 25/4/2021

समस्याः कोरोना काल के दौरान सही इलाज व ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत्यु

विवरणः रामनाथ यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके भाई बिमलेश यादव की कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल में समय से सही इलाज व ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। बिमलेश यादव जिनकी उम्र 32 वर्ष थी जो ग्राम गढ़वा के रहने वाले थे, उनकी अप्रैल 2021 में तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई तो उन्हें 23/4/2021 को जिला अस्पताल, लोढ़ी (सोनभद्र, राबर्टगंज) में भर्ती कराया। उनके भाई रामनाथ यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब वह अपने भाई विमलेश यादव से कोविड स्पेश्यलिटी अस्पताल में मिलने गये तो उनके भाई ने उन्हें अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और सांस लेने में हो रही दिक्कत के बारे में बताया। जिसके बाद रामनाथ यादव ने डाक्टर के पास जाकर उनके लिये दवाई और ऑक्सीजन की मांग की। जब वह डाक्टर से दवाई और ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे तो डाक्टर ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन नही है और दवाईयों के नाम पर वह केवल एक-दो गोली दूर से ही मरीज़ को खाने के लिये दे रहे थे। परन्तु डाक्टर मरीज के आस-पास तक नही आ रहे थे। बिमलेश यादव का आक्सीजन का स्तर अत्यधिक गिरने से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली गई। उनके घरवालों ने ऑक्सीजन के लिये सीएमओ से भी कई बार सम्पर्क किया परन्तु उसने भी ओक्सीजन की व्यवस्था करा पाने में अपनी असमर्थता बताई कहीं से भी ऑक्सीजन नही मिल पाया और ऑक्सीजन की कमी तथा अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिमलेश यादव के परिवार में उनकी बीवी और दो बच्चे है जिनका भरण-पोषण वह दूध बेचकर करते थे। वह अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को न तो कोई सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिवारिक लाभ योजना का ही लाभ मिला और न ही सरकार द्वारा घोषित कोई कोरोना मृत्यु मुआवज़ा ही प्रदान किया गया है। उनकी पत्नी को विधवा पेंशन का लाभ भी नही मिल रहा है।

केस न०- 4: सरकार द्वारा जारी आयुष्मान स्वास्थ कार्ड की हकीकत

दिनांकः 23/12/2021
नामः श्याम देई
पताः गाँव-लक्ष्मणपुर, तहसीलः नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

समस्याः सरकार द्वारा जारी किये गये हेल्थ कार्ड के काम न करने के कारण कर्ज का दबाव

विवरणः श्यामदेई, लक्षमणपुर निवासी ने हेल्थ कार्ड का उपयोग न हो पाने के कारण लिये गये कर्ज के बारे में जानकारी दी। श्यामदेई की बहू सुनीता जिसकी उम्र 30 वर्ष के करीब है। उसकी तबीयत वर्ष 2021 मई के महीने में खराब हुई। उसका इलाज राबर्टगंज के प्राईवेट अस्पताल से चल रहा था। तबीयत जब ज्यादा खराब होने लगी तो वो अपनी बहू को सर सुन्दरलाल चिकित्सालय जिसे लोग बीएचयू अस्पताल के नाम से जानते है, ले गई। वहां इलाज के दौरान जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उनकी बहू के पेट में टयूमर पाया गया। बीएचयू अस्पताल में इलाज के अन्तर्गत आपरेशन के लिये कहा गया जिसके लिये श्याम देई और उनके परिवार के पास पैसा नही था। उन्होने इलाज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना के तहत जारी किए गए बीमा कार्ड का उपयोग करने के लिये कई निजी अस्पतालों में सम्पर्क किया परन्तु अस्पताल द्वारा उन्हे यह बताया गया कि उनका बीमा कार्ड निष्क्रिय है और उस हेल्थ कार्ड से इलाज का पेमेंट नही किया जा सकता है। इलाज के लिये कहीं से किसी प्रकार की मदद न मिलने की स्थिति में श्यामदेई ने लगभग डेढ़ लाख तक का कर्जा अलग-अलग जगह से लिया। लगभग एक लाख रूपये उन्होन अपने रिश्तेदारो से लिया, 20 हजार रूपये दस प्रतिशत ब्याज पर लिया और 50 हज़ार रूपये समूह से लिया। इस प्रकार हेल्थ कार्ड का उपयोग न कर पाने के कारण श्यामदेई को अपनी बहू का समय से इलाज कराने के लिये अलग-अलग माध्यम से कर्जा लेना पड़ा जिसका भुगतान वो आज तक कर रही है।

केस न०- 5: दबंग उच्च जाति द्वारा दलित बस्ती पर हमला और आगजनी

दिनांकः 21/12/2021
नामः इंदरदेव राम
पताः गाँव-भर्थरा कला, ब्लाक-चंदौली,
थाना-चंदौली, तहसील-चंदौली, जिला-चंदौली

समस्याः गाँव के दबंग ठाकुरों द्वारा दलित बस्ती पर हमला और आगजनी

विवरणः चंदौली जिले का भरथरा कला गाँव चंदौली थाना के अन्तंर्गत आता है जो एक राजपूत बाहुल्य गाँव है। जिसमें लगभग 40 दलित परिवारों की एक बस्ती है। जिसके समीप लगभग 250 राजपूत परिवार की बस्ती है। दलित बस्ती के सामने ही ठाकुरों की काश्त की जमीन है। 8 जून 2021 इन्दरदेव के लडके एकादशी ठाकुर के खेत में चला गया जो खेत इन्दरदेव के घर के सामने था जिसपर ठाकुरों के लड़कों ने एकादशी को गालीयां देने लगे। जिसका एकादशी ने विरोध किया इस बात पर ठाकुर के लड़कों ने इसे मारने के लिए दौड़ाया एकादशी किसी तरह भाग कर अपने घर आया और घर के अन्दर अपने आप को बंद कर लिया । गुस्साए ठाकुरो के लड़को बिट्टू सिंह, अन्नू सिंह, मोहन सिंह ने घर का दरवाजा तोड़ा, एकादशी को घर से बाहर निकला और बुरी तरह से मारा जिसका गाँव और घर के लोगों ने विरोध किया तब तक ठाकुरों की बस्ती से और लड़के आये और पुरे परिवार पर हमला बोल दिए घर के महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत बुरी तरह से मारा-पिटा और उनके घरों और झोपड़ियों में आग लगा दिए और धमकी देते हुए कहे कि अगर किसी और प्रकार की कार्यवाही किये तो इससे भी बुरा हश्र करेंगे तुम लोगों का मन बढ़ गया है । इस पूरी घटना को घर की एक छोटी बच्ची द्वारा रिकार्ड किया गया था, जो विडिओ बाद में सोशल मिडिया पर वायरल हो गया। सोशल मिडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना राष्ट्रीय मिडिया के न्यूज चैनलों पर दिखाई जाने लगी जिसके बाद देश के कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस घटना पर दुख और आक्रोश जाहिर करते हुए तत्काल क़ानूनी कार्यवाही की मांग की जिस पर स्थानीय पुलिश प्रशासन दबाव में आकर एफ.आई.आर दर्ज कर के दोषियों को गिरफ्तार करी, परन्तु कुछ ही घंटों में दोषियों को छोड़ दिया गया। एफ.आई.आर दर्ज करने से पहले पीड़ित दलित परिवार को जिसमे महिलाये भी थी, उनको कई घंटों तक थाने में बैठाया रखा जाता है और पुलिस द्वारा भी किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही ना करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित दलित परिवार का मेडिकल भी नहीं कराया गया। लेकिन दलित परिवार किसी भी प्रकार के दबाब के आगे नहीं झुके। घटना के दूसरे दिन पीड़ित परिवार का मेडिकल कराया गया। लेकीन दूसरे दिन पुलिस द्वारा दुसरे पक्ष का भी छिनैती और मारपीट का फर्जी मुकदमा पीड़ित दलित परिवार के ऊपर दर्ज किया गया। जिसमे 6 दलितों को आरोपी बनाया गया है। आरोपी ठाकुर परिवार आर्थिक और राजनैतिक रूप से काफी मजबूत है। जिसका इस्तेमाल उन्होंने विवेचना के दौरान करके दलितों द्वारा दर्ज एफ आई आर में आगजनी और घर में घुसकर मारने जैसे गंभीर धाराओं को ख़त्म कर दिया गया है। पुलिस ने अपनी जांच में कुछ लोगो के हलफनामे पर दिए गए बयान के आधार पर इन धाराओं को खत्म कर दिया जिससे आरोपियों की जमानत आसानी से हो सके। जबकि घटना के विडियो और अन्य सबूतों को नजर अंदाज किया गया। इसके साथ-साथ पीड़ित दलित परिवार और गाँव वालो को सबक सिखाने के मकसद से :-

- 17 दलितों के ऊपर 107/116 का नोटिस उपजिलाधिकारी द्वारा दिया जाता है। जिसकी जमानत करवाने में सभी दलित परिवारों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है।
- 5 दलित परिवार जीन लोगो ने किसी प्रकार से इन्दरदेव को मदद की थी, उन लोगों के खिलाफ लेखापाल द्वारा उनके घरो की पैमाईस लेखपाल द्वारा करवाई किया गया है, जिसके बाद लेखपाल रिपोर्ट में यह लिखता है की इन सभी लोगो का घर ठाकुर के खतौनी में है, जबकि कई पीढियों से दलित परिवार उस जगह पर आबाद रहा है।
- बस्ती के 5 दालित परिवारों का सरकारी आवास स्वीकृत हो चुका है, परन्तु ग्राम प्रधान ठाकुर जाती का ही है, जिसके प्रभाव में आकर ग्राम सचिव द्वारा आवास निर्माण में आवंटित धनराशी की 07-09-21 रिकवरी का भी नोटिस दिया जाता है। धनराशी वापस न किये जाने की स्थिति में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किये जाने की धमकी दी गई।

उपरोक्त प्रकरण की शिकायत अगर दलितों द्वारा उच्च अधिकारियों से किया गया पर कोई भी अधिकारी उनका प्रार्थना पत्र भी लेने को तैयार नहीं होता है। दलितों को सीधे तौर पर अधिकारियों द्वारा कहा जाता है की आप के यहाँ जो विवाद है उसे सुलझा लो आप लोगो की सारी समस्या हल हो जायेगी। ग्राम प्रधान द्वारा भी यह कहा जाता है की आप लोग अपना मुकदमा उठा कर सुलह कर लो। उसके बाद घर बना सकते हो आपको आवास का पूरा पैसा भी मिल जाएगा। जबकि इस गाँव में ठाकुरों द्वारा दलितों के ऊपर अत्याचार की घटना आम बात है, हर साल कई घटना घटती रहती है लेकिन दलित जाति के लोग ठाकुरों सामाजिक प्रभाव के कारण लोग सुलह कर लेते है। उस गाँव में पहली बार ठाकुरों के अत्याचार के विरोध में कानूनी कार्यवाही करने की हिम्मत दलितों ने दिखाई है। जिसका खामियाजा उस गाँव के अन्य दलित परिवार को चुकाना पड रहा है। लेकिन फिर भी दलितों ने हिम्मत नहीं हारी है लोग इस जुल्म और ज्यातती के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

केस न०- 6: कोरोनाकाल में मनरेगा मजदूरों का मजदूरी भुगतान न होना

नामः रामजतन
पताः गाँव-लक्ष्मणपुर, तहसील-नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

समस्याः कोरोनाकाल में मनरेगा मजदूरी ना मिलना

विवरणः कोरोना काल में सितम्बर 2020 के आस पास लक्षमणपुर गांव के लगभग 150 से 200 लोगो ने मनरेगा के अन्तर्गत तालाब की मेढ़ मरम्मत, नाली निर्माण, कच्ची सड़क निर्माण का कार्य किया। मनरेगा के अन्तर्गत यह कार्य लगभग तीन महीने चला। सरकार के द्वारा किये गये वादे के अनुसार गांव मे मनरेगा कार्य तो चला पर उसकी मजदूरी अभी तक बकाया है। कुछ लोगों की एक सप्ताह तो कुछ की दो और कुछ लोगो को तीन सप्ताह की मजदूरी बाकी है। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण लोगों की नौकरियां तथा काम धन्धे ठप्प पड़ गये और शहरों में काम करने वाले प्रवासियों के गांव वापिस लौटने से बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई, उस स्थिति में सरकार ने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की संख्या या

वेतन बढ़ाने के बजाय उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी भी समय से न देकर उन पर पड़ने वाले दबाव को और बढ़ा दिया।

मनरेगा की वेबसाइट चेक करने पर हमने पाया कि लोगो का दावा बिल्कुल सही है। सरकारी आंकड़े के अनुसार कुल 166 परिवारों को मनरेगा के अन्तर्गत काम मिला। इन 166 परिवारों में से 251 लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत कुल 5603 दिन काम किया किया जिसका औसत प्रति व्यक्ति 22 दिन का काम निकल रहा है। सरकारी आंकड़ो के हिसाब से दो परिवारों ने 100 दिन का भी काम किया। मनरेगा कानून के हिसाब से सरकार को इसकी मजदूरी लोगो को काम पूरा होने के एक सप्ताह के अन्दर डायरेक्ट ऑनलाईन ट्रांसफर के द्वारा करनी होती है और मजदूरी में देरी होने पर सरकार को कानून के अनुसार लोगो को बेरोज़गारी भत्ता देना अनिवार्य है। परन्तु बेरोजगारी भत्ता तो बहुत दूर की बात है सरकार द्वारा अभी तक एक वर्ष से ज्यादा हो जाने पर भी लोगो की पूरी मजदूरी नही दी गई। मनरेगा में कार्य करने के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ लोगां की एक सप्ताह तो कुछ की दो तो कुछ लोगों की तीन सप्ताह तक की मजदूरी नही मिली है। मनरेगा मे मजदूरी की ये भयावह स्थिति सरकार द्वारा लॉकडाउन में बेरोज़गारी को सम्भालने के बड़े-बड़े दावों की पोल खोलती है।

केस न० - 7: कैशपार द्वारा गरीबो से धनउगाही

नाम - कैलाशी/कृष्णा
पता: गाँव-लक्ष्मणपुर
ब्लाक-नौगढ़, थाना-चकरघट्टा,
तहसील-नौगढ़, जिला-चंदौली

समस्या: कोरोना काल में कैश पार और अन्य माइक्रो फाइनेंस कंपनीयो द्वारा जबरन धन उगाही

विवरण: कैशपार/उत्कर्ष समूह और अन्य कई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो जरूरतमंद गरीब समुदाय की महिलाओं को समूह बनाकर आर्थिक मदद कर्ज के रूप में देती है। कर्ज के रूप में दी गयी राशि को कंपनी कुछ ब्याज के साथ किस्तों में वसूल करती है। जिसकी क़िस्त एक हफ्ते, 15 दिन, या एक महीने की हो सकती है। कर्ज देते समय कंपनी द्वारा तय किये क़िस्त के दिनाक को पैसा जमा करने की शपथ दी जाती है जो समूह की हर महिलाए करती है। समूह की जो महिला पहले से तय तारीख पर अगर किश्त नहीं जमा कर पाती है तो उसका भुगतान समूह की अन्य सभी महिलाओं को करना पड़ता है। क्षेत्र के लगभग हर गाँव में 15 से 20 महिलाए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज ली है। कर्ज वसूली में यह सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनीयां आर. बी. आई. के दिशा निर्देशों का खुले तौर से धज्जियाँ उड़ाते हुए कर्ज वसूली करती है। किश्तों की भरपाई में जबरन समूह द्वारा दबाव डलवाकर भी कराया जाता है। कोरोना काल के दौरान 3-4 महीने आर.बी.आई द्वारा किसी भी प्रकार के कर्ज के क़िस्त की वसूली पर रोक लगा दिया गया था। उसके बाद जब कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू हुयी तो इन कम्पनियों द्वारा पिछली किश्तों का भुगतान ब्याज सहित लिया जा रहा है। किश्त ना जमा कर पाने की स्थिति में गाँव लक्ष्मणपुर में कंपनी के एजेंट ने स्थानिय पुलिस स्टेशन चकरहट्टा से सिपाही को बुलाकर महिलाओ को धमका कर कर्ज की किश्त जमा करवाने का काम करते है। इन कंपनियों के कारण गरीब समुदाय कर्ज के बोझ के निचे दबता चला जा रहा है।

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास के चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम का फ़ायदा इस समाज को होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस समाज के विकास के लिए चलाई जा रही स्पेशल कॉम्पोनेन्ट योजना भी इस क्षेत्रो में निष्क्रिय है।

केस न०- 8: नौगढ़ क्षेत्र में वनाधिकार-कानून की स्थिति

नामः राममूरत गोंड़
पताः गाँव-लक्ष्मणपूर, तहसील-नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

समस्याः नौगढ़ क्षेत्र में वनाधिकार - का अनुपालन ना किया जाना

विवरण: वर्तमान नौगढ़ तहसील पहलें चकिया तहसील के अंतर्गत था। नौगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा आदिवासी दलित समुदाय के लोग है। जो कई पीढ़ियों से यहा पर रहकर अपना जीवन-यापन करते चले आ रहे है। जिस जमीन पर लोग आज अपने खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है। आज वह जमीन वन विभाग के खाते में दर्ज है, जबकि उन जमीनों पर समुदाय के लोग कई पीढियों से रहते और खेती करते आ रहे है। अब यह जमीने कैसे वनविभाग के खाते में दर्ज है इसकी कोई भी जानकारी समुदाय को नहीं है। जबकि इनमे से कई लोगो के पास आजादी के समय के पहले के जमीन के पट्टे के कागजात है जिसमे मकबूल अंशारी जी भी एक है। अब वन विभाग द्वारा इन लोगो को खेती करने से रोका जाता है। इन जमीनों पर समुदाय के लोग कोई निर्माण कार्य भी नहीं करने देता। कई गाँवों में तो ग्राम पंचायत के कार्य को भी वनविभाग द्वारा रोक दिया जाता है। नौगढ़ ब्लाक के ही गोडटूटवा गाँव में तो वनविभाग ने सरकारी स्कूल बनने पर भी रोक लगा दिया था। स्कूल की केवल आधी बिल्डिंग ही बनी हुयी है। वनविभाग ने आगे के निर्माण के लिए रोक लगा दी है। वनाधिकार कानून 2006 लागू होने के बाद इस क्षेत्र के लोगो को इस कानून से एक आस जगी थी, अब उनको अपनी जमीन पर मालिकाना हक़ मिलेगा और वनविभाग के दमन और शोषण से मुक्ति मिलेगी। परन्तु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस कानून के तहत जब व्यक्तिगत दावे का प्रावधान चला और लोग जागरूक हुए तब इस क्षेत्र से 4500 दावे ग्राम सभा से पास कराकर उपखंड स्तर समिति के पास भेजे गए। जिसमे कुछ दावा फाइलें एस.डी.एम महोदय के द्वारा निरिक्षण की गई। जिसमे उन्होंने 40 साल का कागजात स्वीकार करते हुये बाकी फाइलें उन्होंने उसी फाइल के आधार पर बगैर निरिक्षण किये जमा करवा दिए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पुनः 4500 दावों की फाइलों में मात्र 86 दावों की फाइलें एस.डी.एम. के द्वारा पास करके डी.एम.के पास भेज दी गई है उसमे जो 86 फाइलें पास की गयी है वह बड़े-बड़े पूंजीपति व् जमींदार उनके के लोगों की है। जब डी.एम. महोदय ने ये प्रश्न किया की क्या किया तहसील में मात्र 86 फाइलें है? तब पूर्व जिला पंचायत (नौगढ़) पर मिला खरवार ने बताया कि पुरे तहसील से 4500 दावे आयें है। और 86 दावेदार पैसे वाले है, इसलिए इनके दावे तहसील से पास होकर जिले तक आ गए, जिनके पास पैसा नहीं है उनके दावे यथास्थित पड़े है, यह बात सुनकर डी.एम. महोदय ने कहा की बाकी सभी दावे कुछ पेश होने के बाद उनका अवलोकन किया जायेगा। जब दावेदार इसका जिक्र किये तो उनसे प्रति फाइल 4000 रु. की मांग की गई, जिससे लाचार, विवश गरीब लोग चुप्पी साध लिए। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया की बिना दावे के निस्तारण के किसी भी दावा करता को परेशान नहीं किया जाएगा। पूरे क्षेत्र से मात्र 7 गाँव से ही सामुदायिक दावा पेश किया गया है। जिसके तहत उन गाँवों में वनविभाग से

अधिकार लेकर ग्राम सभा को देता है। इसके वाबजूद भी वनविभाग द्वारा आदिवासी वनाश्रित समुदाय का शोषण जारी है।

केस न० - 9: वनविभाग द्वारा वनाश्रित समुदाय का परंपरागत अधिकार से वंचितीकरण व शोषण करना

दिनांकः 23/12/2021
नामः श्याम लाल चेरो/बालकिशन/मक़बूल
पताः ग्राम-परसहवां, तहसील-नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

घटना स्थलः टिकुरिया गांव, घटना की तारीख और समयः 8 नवम्बर 2021, शाम लगभग 5:30बजे
समस्याः वन विभाग के रेंजर द्वारा जबरदस्ती पकड़कर ले जान,प्रताड़ित करने और जबरदस्ती 5हज़ार रूपये लेना
विवरण: श्याम लाल, नवम्बर माह में छठ से दो दिन पहले त्यौहार के लिये लकड़ी लेने के लिये जंगल गये। पूजा के लिये लकड़ी लेने के दौरान वन विभाग के रेंजर उन्हें टिकुरिया गांव से जबरदस्ती पकड़कर नवगढ़ रेंजर ऑफिस लेकर गये। उन्होने जब रेंजर से उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने का कारण पूछा तो जवाब में यह कहा गया कि उन्हे जंगल से लकड़ी लेने की इजाजत नही है। वन विभाग के रेंजर और लगभग 8-10 अधिकारियों द्वारा उन्हे न केवल जबरदस्ती पकड़कर ले जाया गया बल्कि उनकी साईकिल तोड़ने की भी कोशिश की गई। रेंजर ने उन्हे छोड़ने के लिये उनसे 5हजार रूपये कि मांग की। इस बात पर बहस करने पर उन्हें डराया-धमकाया गया और यह कहा गया कि "अगर यह बात न माने तो इसे पंखे से लटकाकर गोल-गोल घुमा दो" और उनकी साईकिल और कुल्हाड़ी भी वन विभाग के रेंजर द्वारा रख ली गई। श्याम लाल के शब्दो में "रेंजर ने यह कहा कि या तो साइकिल ले लो या फिर कुल्हाड़ी ले लो"। ऐसी स्थिति में श्याम लाल ने अपनी साईकिल तो वन विभाग के रेंजर से ले ली परन्तु उन्होने उनकी कुल्हाड़ी वापिस नही दी। रेंजर द्वारा 5 हजार जुर्माना मांगने पर श्याम लाल द्वारा उन्हें यह जानकारी दी गई कि उन्होने भूमि का सामूहिक दावा किया हुआ है और इस अधिकार के तहत वह जंगल से लकड़ी ले सकते है परंतु वन विभाग के रेंजर द्वारा उनकी एक भी नही सुनी गई और वह उन पर और ज्यादा गुस्सा करने लगे और यह कहा कि बिना पाँच हजार रूपये लिये उनको नही छोड़ेगे। श्याम लाल का कहना है कि वह बहुत ज्यादा डर गये थे और इस स्थिति में श्याम लाल ने अपने दामाद को फोन करके अपने खाते में 6 हजार रूपये डलवाये और उसमें से 5 हजार रूपये वन विभाग के रेंजर को दिये। उसके बाद जाकर ही रेंजर ने श्याम लाल को उसके घर जाने दिया। रेंजर ने श्याम लाल से 5 हजार रूपये तो ले लिये परन्तु उसकी किसी भी प्रकार की रसीद नही दी। लगभग इसी तरह की घटना बालकिशन के साथ घटित हुई जिनकी उम्र 55 साल गांव जनकपुरी है, के साथ लगभग सितम्बर 2021 के महीने में पेश आया। उनके कहे अनुसार वह अपनी दखल की हुई जमीन पर खेती कर रहे थे, उसी वक्त वन विभाग कर्मी उनको अगवा कर चकिया ले गये और वहां डरा धमकाकर उनसे पांच हजार रूपये लिये और उसके बाद जाकर उन्हें छोड़ा। बाल किशन को किसी भी प्रकार की कोई रसीद नही दी गई। इस प्रकार के कई मामले यहां हर गांव में बहुत आम है।

केस न०- 10: कोरोना काल में अस्पतालों द्वारा इलाज में लापरवाही और असंवेदनशीलता

नाम: विरेन्दर
पता: ग्राम-सुखदेवपुर, थाना-चकरघट्टा,
तहसील-नौगढ़, जिला-चन्दौली,
फोन: 8090811447
समस्या की अवधि: मई 2020 से मई 2021 तक

समस्या: कोरोनाकाल में अस्पतालों द्वारा इलाज में लापरवाही और असंवेदनशीलता

विवरण: विरेन्दर, ग्राम सुखदेवपुर निवासी जो जाति से अनुसूचित वर्ग से है। उनके द्वारा कोरोनाकाल में अस्पतालों द्वारा इलाज में की जाने वाली लापरवाही और असंवेदनशीलता की आपबीती बयान की गई। विरेन्दर की पत्नी रूकमनी देवी जिनकी उम्र 36 वर्ष है, उनकी तबीयत मई 2020 में खराब होनी शुरू हुई (तारीख याद नहीं है)। विरेन्दर के कहे अनुसार रूकमनी देवी को मई 2020 में बुरी तरह से उल्टी दस्त होने लगे जिससे उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उस स्थिति में विरेन्दर ने एम्बुलेंस बुलाकर अपनी पत्नी को वहिनी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सोनभद्र) ले गये जहाँ उसका ठीक से इलाज नही किया गया और उनकी पत्नी को उन्होनें दवाई और इलाज के नाम पर दूर से ही एक-दो गोली दे दी परन्तु न तो ठीक से इलाज किया और न ही अस्पताल में भर्ती लिया। उनकी पत्नी की हालत ठीक न होने के कारण जब उन्होने वापिस ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की तो उन्हें मना कर दिया गया जिस कारण वह किसी और से साईकिल मांगकर 9 किलोमीटर अपनी बीमार पत्नी को साईकिल पर वापिस लेकर आये। विरेन्दर ने बताया कि उनकी पत्नी का ठीक से इलाज न होने के कारण उसकी तबीयत बिगडती रही और जून में फिर से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे खून की उलटी और दस्त होने लगा जिससे विरेन्दर को अपनी पत्नी के टीबी ग्रसित होने की आशंका हुई। जिसके लिये वह उसे जिला अस्पताल लेकर गये जहां अस्पताल द्वारा उसका कोई भी इलाज नही किया गया। अस्पताल की ओपीडी बन्द थी और यहां तक की कोविड महामारी की भयावह स्थिति होने के बावजूद भी अस्पताल में उसकी कोई कोविड जांच तक नही की गई। जिला अस्पताल में किसी भी प्रकार का इलाज न मिलने पर विरेन्दर अपनी पत्नी को प्राईवेट अस्पताल लेकर गये और वहां उसका इलाज कराया जिसमें शुरूआती उनके 6000 रूपये और कुल खर्च लगभग 25 से 30 हज़ार रूपये लगे। विरेन्दर के पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना के तहत जारी किए गया बीमा कार्ड था परन्तु वह उसका उपयोग नही कर पाये क्योकि अस्पताल ने उन्हें बताया कि उनका कार्ड निष्क्रिय है। एक तरफ तो विरेन्दर ने सरकारी अस्पतालों द्वारा इलाज मे लापरवाही और असंवेदनशीलता की मार झेली तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा जारी किये गये निष्क्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्ड के झूठ और धोखे की मार झेली।

यह दोहरी मार झेलने वाले केवल विरेन्दर ही नही बल्कि गांव के अन्य लोग भी है। लाल बहादुर जिनकी उम्र 45 वर्ष है उन्होने भी वहिनी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और लोढ़ी जिला अस्पताल द्वारा असंवेदनशीलता झेली। तबीयत खराब होने पर इन दोनो अस्पतालों ने उन्हें न तो भर्ती किया और न ही उन्हे और किसी अस्पताल में रेफर किया। उनका स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी निष्क्रिय पाया गया।

इसी प्रकार का केस निर्मला जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है इनका केस भी सामान है जिसे इन सरकारी अस्पतालों ने असंवेदनशीलता दिखाते हुये इलाज करने मना कर दिया और उन्हें अपना इलाज प्राईवेट अस्पताल से कराना पड़ा जिसमें उनका लगभग 35 हज़ार रूपये के करीब खर्च हुआ।

केस न० - 11: वनविभाग द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना

नाम: अमरेश, उम्र: 55 वर्ष
पता: गाँव-ब्रह्मनाल, तहसील-नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

समस्या: वनविभाग द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना और खेती करने से रोकना

विवरण: अमरेश, अनुसूचित जाति का चमार है पीढ़ियों से ब्रह्मनाल जोकि भैसोड़ा पंचायत का एक टोला है, वहां पर कई पीढियों से निवास करते चले आ रहे है, वहां पर लगभग 6 बीघा भूमि पर खेती करते चले आ रहे है वह भूमि वन विभाग के नाम कैसे दर्ज है इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गयी है । वनाधिकार कानून 2006 आने के बाद अमरेश जी ने अपना व्यक्तिगत दावा पत्र उस भूमि पर कानून के तहत दाखिल किया, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है न ही इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी अभी तक दी गयी है। दिनांक 06-12- 2021 को जब अमरेश जी गेहूं की बुवाई के तैयारी के लिए अपने खेतों की जुताई कर रहे थे, उस समय लगभग दोपहर 2 बजे वनकर्मी आये और उनसे बोले की रेंजर्स साहेब आयें है वह आपको बातचीत के लिए बुलाएँ है, चलिए बातचीत कर लिजिये। इन्होने कहा की चलिए खेत की जुताई करके कार्यालय में आकर कल मिल लूँगा। वन कर्मियों ने कहा कि वह यही पर आये है और गाडी में बैठे है आप चलिए बातचीत करके वापस चले आना। जिस पर वह चलने के लिए तैयार हो गए, जैसे ही वह गाडी के पास पहुचे उन्हें वन कर्मियों ने जबरदस्ती गाडी में बैठा लिया जिसका उन्होंने विरोध किया। रेंजर्स ने कहा घबराओ मत कार्यालय ले जाकर बातचीत करके आपको छोड़ देंगे। उसके बाद उन्हें नौगढ़ वन-विभाग कार्यालय ले जाया गया और जिसकी कोई भी जानकारी परिजनों को नहीं दी गयी ना ही किसी और के द्वारा परिजनों तक इसकी जानकारी पहुचाई गयी। गाँव वालो से परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो नौगढ़ वन-विभाग कार्यालय पहुचे तो पता चला कि उन्हें चकिया भेज दिया गया है, परिजन जब चकिया पहुचे तो अधिकारीयों द्वारा बताया गया की उनके ऊपर वन-विभाग द्वारा जमीन कब्ज़ा करने और पेड़ कटाने का मुकदमा दर्ज है और इस जुर्म में उन्हें जेल भेज दिया गया है, अब जमानत करानी पड़ेगी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके जमानत कराये। जिसके बाद 14-12-2021 को अमरेश जी जेल से रिहा हुए।

केस न०- 12: अनुसूचित जाति की पूरी बस्ती को सरकारी योजना व मूलभूत अधिकारो से वंचित करना

नाम: अमरेश, उम्र: 55 वर्ष
पता: गाँव-ब्रह्मनाल, तहसील-नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

समस्या: अनुसूचित जाति के लोगो को सरकारी योजना व अधिकारो से वंचित करना

विवरण: ब्रह्मनाल गाँव नौगढ़ तहसील के अंतर्गत एक गाँव है, जो भैसोड़ा पंचायत के अंतर्गत आता है। इस गाँव में लगभग 100 दलित आदिवासी परिवार के लोग कई पीढ़ियों से निवास करते आ रहे है। जिसमे खरवार, चमार और कोल जाति के लोग है। सभी लोग खेती करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते है, 2010 में गाँव में लगभग 60 परिवार वनाधिकार कानून के तहत व्यक्तिगत दावा प्रपत्र जमा किये थे। लेकिन अभी तक उन दावा प्रपत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में उपखंड स्तर समिति से कोई सूचना नहीं दी गई है। जब से इन परिवार के लोगों के वनाधिकार कानून 2006 के तहत दावा जमा किया है तब से इन परिवार के लोगों के ऊपर वनविभाग के हमले और तेज हो गए है। इस बस्ती के लगभग 70-80 बच्चे हर प्रकार की शिक्षा से वंचित है, स्कुल लगभग 2 किलोमीटर दूर है। स्कूल की दूरी एवं जंगली व पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते है। गाँव में न कोई आंगनबाड़ी केंद्र है ना ही कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गाँव में आती है। पूरे गाँव में बिजली नहीं है ना ही किसी प्रकार का कोई विकास कार्य हुआ है। किसी भी प्रकार का विकास कार्य वनविभाग द्वारा रोक दिया जाता है। गाँव के किसी भी परिवार को पी.डी.एस का राशन नहीं मिलता है। कोविड के समय भी किसी भी परिवार को राशन नहीं मिला। यह 100 परिवार के लोग है। यह 100 परिवार के लोग पिछले 10 साल से किसी भी प्रकार के वोट में हिस्सा नहीं लिए है। इन परिवारों का वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है।

केस न० - 13: दबंगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल पर सामूहिक पाबंदी लगाना

नाम: रामवृक्ष गोंड
पता: गाँव-जयमोहनी पोस्ता, तहसील-नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

समस्या: दबंगों द्वारा प्राकृतिक संसाधन नदी के पानी के इस्तेमाल पर सामूहिक पाबंदी लगाना

विवरण: नौगढ़ ब्लाक के अंतर्गत जयमोहानी पोस्ता गाँव है। इस गाँव के अंतर्गत 80 परिवार कई पीढ़ियों से निवास करते आ रहे है। खेती करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते है। सन 2018 में वनाधिकार कानून कानून के तहत 80 परिवार ने वन संसाधनों पर अपना सामुदायिक दावा प्रपत्र जमा किया है। आज तक उनके इस दावे पर उपखंड स्तर समिति से क्या निर्णय लिया गया इसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी है। जबकि वनविभाग द्वारा लोगों को ट्रैक्टर से खेती नहीं करने दिया जाता है। अपने जमीन पर समुदाय कोई निर्माण कार्य भी नहीं कर सकते जिसके कारण आज भी लोग झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। वन-विभाग द्वारा तो लोगों को परेशान किया ही जाता है इसके साथ-साथ दावा कर्ताओं को प्राकृतिक संसाधनों के

उपयोग पर दबंगों द्वारा विरोध किया जाता है। जिस जगह पर दावाकर्ता बसे है उसके बगल में एक नदी बहती है। जिसके पानी के उपभोग गाँव के दबंगों द्वारा रोक लगाई जाती है। दावा कर्ता नदी से पानी अपने खेतों के सिचाई के लिए लेते है तो लोग इसका विरोध करते है। कई बार दबंग लोग मारपीट पर उतारू हो जाते है की वनाधिकार कानून का उलंघन है। सिचाई का पानी न मिल पाने के कारण लोगों की खेती प्रभावित होती है।

केस न०- 14: वन विभाग द्वारा वनाश्रित समुदाय को उनके पुस्तैनी जमीन से बेदखल करना

नामः राजकुमार यादव/ मुसाफ़िर
पताः गाँव-चिकनी, तहसील-नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

समस्या: वन विभाग द्वारा वनाश्रित समुदाय को उनके पुश्तैनी जमीन से बेदखल करना

विवरण: चिकनी ग्राम सभा में आदिवासी और वनाश्रित समुदाय के लगभग 250 परिवार कई पीढ़ियों से निवास करते चले आ रहे है, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन केवल कृषि है, जिस जमीन पर लोग कई पीढ़ियों से खेती करते चले आ रहे है। वह भूमि किस तरह वनविभाग के नाम हो गयी इसकी कोई जानकारी समुदाय को नहीं है। अब वनविभाग लोगों को खेती करने से रोक रहा है और लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देता है। जुलाई महीने में जब समुदाय के लोग खेती की तैयारी कर रहे थे और धान की फसल के लिए नर्सरी तैयार हो गयी थी, उस समय वन विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के लोगों के घरों को अवैध तरीके से गिराने और लोगो को बेदखल करने के लिए पूरी टीम के साथ आता है, जिसमे वन विभाग द्वारा राजकुमार यादव, रामल्क्ष्मन, रामजीत के घर को गिरा दिया और उनकी धान की नर्सरी को बर्बाद कर दिया। राजकुमार जी के मकान से सामान निकालने की मोहलत नहीं देता, जिससे उनका लगभग 50000 रूपए का सामान नुकसान हो गया है। लोगो के धान की नर्सरी बर्बाद कर दी जाती है जिससे इस वर्ष लगभग 40 परिवार धान की खेती नहीं कर पाये है। मकान गिराने और खेती को नुकसान पहुचाने की कोई पूर्व सूचना वनाश्रित समुदाय को नहीं दी गयी थी।

केस न०- 15: कोरोना काल के बीच ठेकेदार द्वारा मजदूरों का शोषण

नाम: मुनिया/पुष्पा
पता: गाँव-परसहवा, तहसील-नौगढ़,
थाना-चकरघट्टा, जिला-चंदौली

समस्या: कोरोना काल के दौरान ठेकेदार द्वारा गरीब मजदूरों का मजदूरी नहीं देना

विवरण: कोरोनाकाल के दौरान होली के बाद मार्च 2021 में नंदू परसहवा से 14 मजदूर और अन्य गांव से 8 मजदूरों के साथ बिहार के डेहरी आन सोन में काम करने के लिए गए थे। इन मजदूरों को गाँव के ही एक व्यक्ति नियाजू साह जो पर्सह्वा के ही रहने वाला है मजदूरों को अपने साथ ठेके पर काम करने के लिए ले गया था। जिसमे मजदूरों को 400 रूपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी देने की बात तय हुयी थी और इसके साथ हर 15 दिन पर नगद मजदूरी का भुगतान देने की बात तय हुयी थी। परन्तु 1 महीने काम करने के बाद भी किसी भी मजदूर के मजदूरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया। सभी मजदूरों को केवल खाने का पैसा दिया जाता था। जिसके बाद मजदूर किसी तरह किराए की व्यवस्था करके वहां से ठेकदार को बता कर चले आये। वापस आने के बाद नंदू की तबियत अचानक खराब हो गयी और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गयी। उनकी पत्नी मुनिया द्वारा जब ठेकदार से मजदूरी के पैसे की मांग की जाने लगी तो वह पैसे देने की बात तो स्वीकार किया लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी मजदूरी नहीं दी गयी। अभी तक ठेकदार ने किसी भी मजदूर की मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। ठेकेदार द्वारा मजदूरी के लिए सभी मजदूरों के परिजनों को बार बार दौडाया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा काम के लिए मजदूरों को बाहर लेकर जाया गया है। उनसे बाहर ठेके पर काम कराया जाता है लेकिन मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। इस प्रकार क्षेत्र की गरीब दलित आदिवासी मजदूरों का ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जाता है। क्षेत्र में कोई रोजगार का जरिया नहीं है जिसके कारण लोग पलायन के लिए मजबूर है। कोरोना काल में भी ठेकेदारों द्वारा उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

अनुलग्नक (ग)
केस स्टडी - जिला
चित्रकूट

केस न०-1: गलत स्वास्थ्य सेवा से विकलांगता

नाम: भोला प्रसाद
पता: गाँव-रानीपुर, ब्लॉक-कल्याणगढ़,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

भोला प्रसाद कोल अप्रेल 2020 में कोरोनाकाल के दौरान बीमार हो गए थे, उन्हें तेज बुखार आने लगा, जिसका इलाज कराने वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर गए। लेकिन वहां पर उनका इलाज नहीं किया गया। इसके बाद वह जिला अस्पताल कर्वी गए लेकिन कोई डाक्टर उनका इलाज करने के लिए तैयार नहीं हुआ, ना ही उनकी कोरोना की जांच की गयी। कोरोना काल में निजी अस्पताल के डॉक्टर भी इलाज करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, अगर कोई अस्पताल तैयार भी होते तो उनकी फीस बहुत अधिक होती थी। भोला प्रसाद की कृषि कार्य में मजदूरी के अलावा आजीविका का कोई साधन नहीं है। कोरोनाकाल में मजदूरी कार्य भी बंद था, जिससे कारण घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा पाए। सही इलाज नहीं होने के कारण, उनके एक पैर में विकलांगता आ गयी जिसके कारण वह कहीं काम भी नहीं कर सकते। मजदूरी के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत होने के कारण उनके घर की आर्थिक हालत और भी बहुत खराब हो गयी। उनकी एक लड़की जिसका नाम सुकंती कोल हाईस्कूल की छात्रा है घर की आर्थिक स्थिति खराब होने कारण उसे अपनी पढाई बीच में छोड़नी पड़ी, इसके साथ उनकी अन्य दो लडकियों की पढाई सत्र 2021-2022 से बंद है।

केस न०-2: कोरोना टिके से नुकसान

नाम -चुन्नू कोल
पता: गाँव-गिदुरहा, ब्लॉक-मानिकपुर
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

चुन्नू पुत्र फूले कोल जाति से है। जिन्होंने जून महीने में कोरोना का टीका लगवाया था। टीके लगने के बाद हॉस्पिटल में उन्हें पेरासिटामोल की गोली दी गई जिसके बाद उनको बुखार हो गया। दो-तीन दिन इंतजार करने के बाद जब बुखार ठीक नहीं हुआ तो नजदीक में कर्वी के सरकारी अस्पताल मे लेकर गए लेकिन वहां पर भी इनको इलाज नही मिला। इसके बाद उनको कर्वी के सुरेंद्र अस्पताल में ले कर गए। कोरोना के कारण वंहा भी इनको भर्ती नही किया और केवल दवाई देकर घर भेज दिया। लगातार तीन माह दवाई करने के बाद भी यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाये और इस पूरी प्रक्रिया में इनका लगभग 40 हजार रुपये खर्च हुआ।

केस न०- 3: स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने से नुकसान

नाम: महदेइया
पता: गाँव-रानीपुर कल्याणगढ़, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

महदेइया पत्नी-लाली कोल ग्राम रानीपुर कल्याणगढ़ की निवासी हैं। 2021 मे कोरोना कि दूसरी लहर मे लॉकडाउन के दुसरे महीने में महदेइया 9 माह की गर्भवती महिला को डीलवरी का समय पूरा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर ले जाया गया जहाँ पर उन्हें अस्पताल के अन्दर भी नहीं जाने दिया गया। डॉ. उसे देखते ही जिला अस्पताल कर्वी चित्रकूट भेज दिये। फिर उनको कर्वी के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए लेकिन वहां भी स्टाफ न होने के कारण इनको भर्ती नही किया गया। फिर इनको इलाहबाद के सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। डॉ ने जब जाँच किया तब बच्चे के मृत होने की बात कही। अस्पतालों का चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा समय इनको यात्रा में लग गया जिसके वजह से बच्चे की मौत हो गई। अव्यवस्था के कारण आज इनका बच्चा अब इनके बीच नहीं रहा। इस पूरी प्रक्रिया में इनके लगभग 80 हज़ार रूपए खर्च हुवे। जो इन लोगों ने अब तक कमाया पूरी रकम थी। पैसे जब कम पड़े तो उनको अपना पूरा अनाज भी बेचना पड़ा। एक ही झटके में सब खर्च हो गया। अब इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गयी है।

केस न०- 4: गलत स्वास्थ्य सेवाओं से नुकसान

नाम: कुलदीप
पता: गाँव-मुरकटा, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

सोमनाथ के पुत्र कुलदीप - ग्राम मुरकटा ग्राम पंचायत ऊँचाडीह जिला चित्रकूट के निवासी हैं जिन्हें मार्च 2021 में कोरोना महामारी के दौरान सामान्य बुखार आया। उन्होंने आस पास के झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना शुरू किया-उन्होंने अपने तरफ से कुछ दवाइयां दी और कहा बुखार है ठीक हो जायेगा। तब भी बुख़ार ठीक नहीं हुआ। तब उसे मानिकपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ भी उसे गेट के बहर से ही बुख़ार की गोली देकर भेज दिया गया। तब भी बच्चे की हालत ठीक नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने शहर जाने और वहां इलाज कराने का इरादा किया। न ही कोई प्राइवेट डॉक्टर ना ही सरकारी अस्पताल बुखार के मरीज को भर्ती कर रहे थे। इस वजह से वे कुलदीप को कर्वी के डॉ सुरेन्द्र अग्रवाल के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट कराया ताकि उसे अच्छा इलाज मिल सके। लेकिन नर्सिंग होम में 2 से 3 दिन बिताने के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में इनकी मृत्यु हो गई। इस से परिवार को, जो की एक कोल जनजातीय परिवार है, कुलदीप के इलाज में लाखों रुपये खर्च करना पड़ा। इस पैसे को जमा करने के लिए उन्हें अपने पुश्तैनी जमीन को गिरवी रखना पड़ा। आज इनकी स्थिती बहुत ख़राब है। इनके पास न तो कोई रोजगार है और न ही जमीन है।

केस न०- 5: तालाबंदी में प्रवासी मजदूरी का न मिलना और पैदल घर वापसी

नाम: रंजीत
पता: गाँव- मुरकटा/उचाडीह, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

रंजीत पुत्र बालिंद्र कोल जो ग्राम मुरकटा ग्राम पंचायत ऊंचाहड़ी जिला चित्रकूट का निवासी है। यह एक प्रवासी मज़दूर है जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक कारखाने में काम करने गया था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री के द्वारा 21 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई, कारखाने में इनका काम भी बंद हो गया। लोगो के बीच में इतनी अफरा तफरी का माहौल बन गया कि लोग कुछ ज्यादा समझ नही पा रहे थे कि वे क्या करे। लेकिन रनजीत और उनके साथियों ने घोषणा के 10 दिन बाद तक स्थिति के सामान्य होने का इंतजार किया। कारखाने मैं काम बंद हो गया और मालिक उन्हें खाने के लिए भोजन भी नहीं दे रहा था। इससे परेशान होकर इन लोगों ने अपने घर लौटने का फैसला किया। इन्होंने अपने ठेकेदार से कहा हमे अपने घर जाना है और अपनी मजदूरी की मांग की। लेकिन ठेकेदार ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। खाना और पैसा न होने की वजह से इन लोगों ने वहां से अपने घर लौटने का फैसला किया और कारखाने से घर के लिए निकल गये। कारखाने से 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुख्य रास्ते पर पंहुच पाये। फिर पुलिस की मदद से एक ट्रक में लिफ्ट ली और भोपाल तक पंहुचे। भोपाल से पैदल चलते हुए लगभग 10 दिनों में अपने गांव तक पंहुच पाए। लेकिन इनकी समस्या अभी खत्म नहीं हुई; इनको गांव में भी 15 दिनों के लिए "होम आइसोलेशन" में रहना पड़ा। जहाँ पर खाने-पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। इतना सब सहने के बाद भी इनको किसी तरह की सरकारी मदद नही मिली, उल्टा इनका रोजगार भी छीन गया। आज उन्हें अपनी आजीविका के लिए दूसरे के खेतों पर मजदूरी करना पड़ रही है।

केस न०- 6: तालाबंदी में प्रवासी मजदूरी का न मिलना और पैदल घर वापसी

नाम: रामदयाल
पता: गाँव-मुरकटा/ऊंचाडीह, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट
रामदयाल ग्राम मुरकटा ग्राम पंचायत ऊंचाडीह जिला चित्रकूट के निवासी 2 साल पहले से उड़ीसा के भुवनेश्वर अद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण कंपनी में काम बंद कर दिया गया था। इस वजह से इन सभी को घर लौटना पड़ा। रामदयाल मध्य प्रदेश के ग्रुप के साथ भुवनेश्वर से पैदल चलना शुरू किया। पैदल चलते हुए इन्होने सड़क के पास अपनी राते गुजरी और बिस्कुट नमकीन खाकर आगे बढ़ते रहे। इतनी लम्बी दूरी तक पैदल चलने की वजह से इनके पैर के नाख़ून भी फट गए। इनको खुद भी नही पता कि इनको कितना पैदल चलना पड़ा। इनको अपने घरों तक पहुंचने के लिए लगभग 15 दिनों तक चलना पड़ा। रस्ते में गर्मी, भूख और प्यास का सामना करते हुए ये अपने घर पहुंचे। ग्राम प्रधान के द्वारा इन्हें कोरेंटीन में 15 दिनों के लिए मुर्कुटा के स्कूल में रखा गया जहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविध नहीं थी।

केस न०- 7: तालाबंदी में नरेगा मजदूरी का न मिलना

नाम: संजना
पता: गाँव-अमरपुर, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट,

मनरेगा के घोटाले: कोरोना महामारी के दौरान जब प्रवासी मजदूर अपने गाँव मे लौटने लगे तो सरकार द्वारा उन्हें गांव में रोज़गार देने के इरादे से मनरेगा के तहत काम देना शुरू किया गया जिससे कि लोगो को उनके गाँव मे ही रोजगार मिल सके और लोगो की आजिविका चल सके। इसी योजना के तहत 20 अप्रैल 2020 से अमरपुर और मुरकटा गांव के बीच एक तालाब में निर्माण कार्य शुरू हुआ। जिसमे 100 मजदूरों ने लगभग 45 दिन काम किया। यह लॉकडाउन का समय था इसमें अमरपुर, मुरकटा, टिकरी और ऊंचाडीह के लोग सभी ने काम किया। इन लोगों को पूरी मजदूरी नहीं मिली-किसी का कम और किसी का ज्यादा। उदहारण के लिए संजना पत्नी हरिमोहन को 32 दिनों का पैसा नहीं मिला, कुसुमकली पत्नी रामबक्स को 30 दिनों का पैसा नही मिला, अर्मना पत्नी राजमन को 16 दिन का पैसा नही मिला है। जिस लॉकडाउन के समय दैनिक मजदूर अपने परिवार का सही से भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा था उस स्थिति मे सरकार द्वारा मजदूरी का भुगतान ना करना सरकार कि असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ-साथ मनरेगा कानून का भी उलंघन है।

केस न०- 8: तालाबंदी में वन विभाग का तांडव

नाम: राजकुमारी,
पता: गाँव-सकरौहा, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

राजकुमारी पत्नी बालिंदर, सुमित्रा पत्नी चुनकौना, प्रेमवती पत्नी पुदुलू, सरोज पत्नी देवराज, कुसुमकली पत्नी रामसरन, निर्मला पत्नी रामबहोर, फूला पत्नी रामसुख, माया पत्नी मोहन, तिजिया पत्नी मुंशी, शुखीनंद s/o समारे, सीमा पत्नी रंजीत, गुलीनिया पत्नी चिनकौना सकरौन्हा ग्राम पंचायत सकरौंहा जिला चित्रकूट इन सब लोगों ने मिलकर अपने पुरखों की जमीन पर खेती कर रहे है। इनके खेतों में सरसों, चना, मसूर, मटर, जौ, अलसी, फसलों को देख कर वनविभाग इनको अपने खेतो से भगाने की कोशिश करते रहते है, जैसे - इनकी ज़मीनों में गड्ढा खोदना, इनके घरों में आग लगाना, इनको धमकाना, तथा इनको नोटिस देना और इन सब में लोकल पुलिस और साहूकार भी वनविभाग के साथ रहती है। राजस्व सरकारी पटवारी और वनविभाग का दारोगा मिलकर इन लोगों को उल्टा सीधा नक्शा दिखाकर भरमाता रहता है इनकी तरफ से झूठ बोला जाता है कि अगर आप इस जमीन को छोड़ देंगे तो आपको अन्य जगह जमीन के पट्टे दे दिए जायेंगे और इसके बदले में इन लोगों से मुफ्त में अनावश्यक मजदूरी कराई जाती है जैसे गड्ढे खुदवाना, जंगल नपवाना, पत्थर की दीवार बनवाना आदि काम करते रहते है। जब ये लोग अपना पट्टा लेने के लिए तहसील गए तो इन्हे भागा दिया गया। चित्रकूट के जिला अधिकारी ने उनसे कहा कि 'तुम्हे जमीन से क्या लेना देना, और तुम्हारा काम तो मजदूरी करना है'। चित्रकूट के जिलाधिकारी के ये शब्द थे की शूद्रों को खेती की जमीन की क्या जरूरत है तुम सब लोग नरेगा में काम करो। जबकि उस जमीन में इनके पुरखों की आज भी डीह (पूर्वजों के खंडहर) बने है और बहुत सारी निशानिया मौजूद है। इनके द्वारा वनाधिकार कानून के तहत अपने दावे फार्म भर कर अपने उपखंडीय समिति मानिकपुर में जमा है जिसकी एक कॉपी इनके पास उपलब्ध है। इसके बावजूद

भी वनविभाग हमेशा इनसे लड़ता झगड़ता रहता है। वन विभाग पूरी तरह से वनाधिकार कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है।

केस न०- 9: कोरोना टिका के बदले राशन न मिलने कि समस्या और बीमारी

नाम: राजालाल
पता: गाँव-रानीपुर कल्याणगढ़, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

राज लाल पुत्र मिठाईलाल इनकी समस्या यह है की इन लोगों को PDS के तहत मिलने वाला राशन पिछले 4 महीने से नहीं मिल रहा है। उनसे कहा गया कि "पहले वैक्सिनेशन कराओ फिर राशन लेना"। राशन लेने के लिए इनकी पत्नी सीमा और पति राजलाल दोनो ने टीका एक साथ लगवाया था। लेकिन दोनो ही लोग टीका लगवाते ही बीमार हो गए। आज इनकी स्थिति यह है कि इनके पति राजलाल का एक पैर खराब हो चुका है और उनकी पत्नी बहुत महंगा इलाज कराने के बाद वह बमुश्किल ठीक हो पायीं। लेकिन इनके पति राजलाल अभी भी ठीक से चल नही पाते हैं।

केस न०- 10: तालाबंदी में मजदूरी का न मिलना और पैदल घर वापसी

नाम: विनोद
पता: गाँव-रानीपुर कल्याणगढ़, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

कोल आदिवासी विनोद पुत्र दुखी, अमित और अजय पुत्र दादोले, शुखनंदन पुत्र राजबहादुर बेंगलोर की पेंट कंपनी में काम करने के लिए गए थे। मार्च 2020 में लॉकडॉउन लगने के कारण कंपनी का काम भी बंद हो गया। तब इन लोगों के पास न तो रहने का और न ही खाने का कोई अन्य ठिकाना रह गया तब ये लोग बेंगलोर से मुंबई तक पैदल ही चलकर आ गए थे। इन्हें मुंबई पहुचने में 8 दिन लगा। उन्हें अपना रास्ता तय करने के लिए तेज़ गर्मी भूख और प्यास का सामना किया। इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था वह मुंबई से आते आते खत्म हो गया था। जब इन लोगों ने अपने घर वालों से बात की तो इनके घर वालों ने कर्ज लेकर 20 हजार रुपये इनके बैंक अकाउंट में जमा किया। ये किसी तरह भूखे प्यासे चलते हुए मुंबई से अपने गांव तक पंहुंच पाए इन लोगों का कहना था। पैदल चलने के कारण इनके नाखून फट गए थे उनसे खून आ रहा था। गांव पंहुचने पर भी इनकी समस्याएँ खत्म नही हुई और 15 दिनों के लिए इनको कोरेन्टाइन में रहना पड़ा।

केस न०- 11: **कोरोना टिके कि वजह से मृत्यु**

नाम: केशकली
पता: गाँव-रानीपुर कल्याणगढ़, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

केशकली के ससुर मोहन उम्र 59 वर्ष कोल जाति से है, कोरोना महामारी कि दूसरी लहर मे लॉकडाउन के समय उन्हें बुखार हुआ जिसके बाद उनको मानिकपुर जिला सरकारी अस्पताल मे निजी साधन से ले जाया गया। परिजनों के कथनानुसार मोहन को जिला अस्पताल मे एक टिका लगाया गया। जिसके बाद उन्हें वापस एम्बुलेंस से घर भेज दिया जाता है। घर आने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और 24 घंटे के अन्दर ही उनकी मौत हो गयी। परिजनों के मुताबिक़ उनकी मौत टिके लगाने के कारण हुई। क्योकि जब वह घर से अस्पताल गए थे तो उनकी बीमारी सामान्य थी। अस्पताल में ही उनका स्वास्थ्य गंभीर होने लगा था क्योंकि यदि टिका लगाने के बाद भी उनका स्वास्थ्य सामान्य था तो उन्हें एम्बुलेंस से घर क्यों भेजा गया। वह अस्पताल जाते समय वह अपने निजी साधन से गए थे।

केस न०- 12: **स्वास्थ्य सेवाओं कि अव्यवस्था से मृत्यु**

नाम: बिट्टी
पता: गाँव-रानीपुर कल्याणगढ़, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

बिट्टी पत्नी स्वर्गीय बुधियन उम्र 50 वर्ष रानीपुर कल्याणगढ़ ग्राम पंचायत रानीपुर कि निवासी है। इनके पति बुधियन 2020 कोरोना महामारी की पहली लहर में बीमार हुए। उन्हें सामान्य बुखार था। ग्रामीण इलाके मे इलाज की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। कोई भी डॉक्टर समान्य बुखार का भी इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके कारण उनकी तबियत बिगड़ती जा रही थी। कोरोना का प्रकोप बड़ता जा रहा था, जब उनकी तबियत ज्यादा खराब होने लगी तब इनको मानिकपुर सामुदायिक केंद्र पर ले जाया गया। लेकिन वहां पर कोई भी डॉक्टर उनका इलाज़ करने के लिए तैयार नहीं हुआ ना ही उनकी कोरोना कि जांच कराई गयी। सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मे उनका इलाज न होने के कारण उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जहा पर उनका 40,000/- रूपए इलाज मे खर्च हुआ। पैसे की व्यवस्था उनके परिवार ने घर का राशन और अपनी बकरियों को बेच कर किसी तरह किया। परिवार का इतना पैसा खर्च हो जाने के बाद भी इनके व्यक्ति की जान नहीं बची और घर की आर्थिक हालात काफी खराब हो गयी। 2021 मे कोरोना की दूसरी लहर के बाद इनका बड़ा लड़का रामगोपाल भी अक्तूबर मे इसी तरह बीमार हुआ जिसे कर्वी के जिला सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। जहा पर किसी डॉक्टर ने इलाज के लिए हाथ तक नहीं लगाया डाक्टरों ने बताया कि उनके पास कोई सुविधा नही है और उन्हें वापस भेज दिया। दो हफ्ते बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। एक ही परिवार से 2 लोगों की मृत्यु कि वजह से परिवार में बहुत भारी संकट आ गया। सरकार की पारिवारिक लाभ योजना का कोई भी लाभ इनको नहीं मिला है। रामगोपाल के 2 छोटे छोटे बच्चे और पत्नी पीछे छूट गए है। इनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही विधवा पेंशन का कोई लाभ मिलता है। इसी प्रकार इसी गाँव का एक और लड़का कुंजल पुत्र चुनका भी बुखार के बीमार हुआ और इनको भी सरकारी अस्पताल मे इलाज की

कोई सुविधा नहीं मिली जिसके कारण इनको भी बचाया नही जा सका। इस प्रकार सरकारी अस्पताल की लापरवाही से एक ही गाँव के 3 लोगो की जान चली गयी। सरकार द्वारा उन परिवारों को ना कोई मुआवजा ना ही अन्य कोई सराकरी सुविधाओं का लाभ ही मिल रहा है।

केस न०- 13: तालाबंदी में प्रवासी मजदूर की पैदल गाँव वापसी

नाम: सोभा, सोनू, रबी
पता: गाँव-ऊंचाडीह, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

सोभा, सोनू, रबी शिवप्रसाद ग्राम ऊंचाडीह ग्राम पंचायत ऊंचाडीह और एक अन्य परिवार समूरत पुत्र सोनीलाल भूमिहीन आदिवासी परिवार है। आजिविका के तलाश मे परिवार के यह सभी सदस्य तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक धागा फैक्ट्री में काम करते थे। मार्च 2020 मे कोरोना वैश्विक महामारी के समय जब पूरे देश मे लॉकडाउन लगाया गया तो धागा फैक्ट्री भी बंद हो गई। काम बंद होने के बाद ये सभी लोग किराये के एक छोटे से मकान मे कैद हो गए। लोगो के पास जो बचत के पैसे थे उसी पैसे से 15 दिन तक अपने खाने-पीने की व्यवस्था कर पाए थे। जब इनके बचत के पैसे खत्म होने लगे तो ऐसी हालात मे उन सभी लोगो ने अपने मूलनिवासी स्थान पर आना के बारे मे निर्णय किये। पैसे के अभाव मे और सम्पूर्ण लॉकडाउन के कारण इनके पास घर आने के आलावा कोई विकल्प नही था। जिसके बाद लोग पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। 35-40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद चेन्नई मुख्य शहर मे पहुचे। उसके बाद उन लोगो ने घर वालो को अपनी समस्या बतायी। तब इनके घर वालो ने 40,000/- रुपया साहूकार से 10 रूपए महीने ब्याज कि दर पर कर्ज लेकर इन लोगो के बैंक खाते में ट्रांसफर किया। किसी तरह लोगो ने बैंक से पैसा निकाला और 40,000/- मे एक प्राइवेट गाड़ी बुक करके अपने गांव तक पहुंच पाए। गाँव में आने के बाद इनको 15 दिनों के लिए कोरेंटिन रहना पड़ा। गाँव मे आने के बाद इन्हें रोजगार का कोई साधन नहीं मिल पा रहा था। परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। परिवार के लोगो द्वारा ब्याज पर लिए गए कर्ज का भुगतान करने के लिए उन्हें फिर से काम करने के लिए वापस चेन्नई जाना पड़ा।

केस न०- 14: तालाबंदी के समय वन विभाग का तांडव

नाम: मुनिया, कौसल्या, सुमन, शकुंतला
पता: गाँव-ऊंचाडीह, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

ग्राम ऊंचाडीह में मुनिया, कौसल्या, सुमन, शकुंतला, बिटोल, महारनिया इन सब लोगों के खेत है जिसमे ये कई पीढ़ियों से खेती करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते आ रहे है। इसके अलावा इन लोगो के पास खेती की कोई अन्य जमीन नहीं है। परन्तु जिस जमीन पर ये कई पीढियों से खेती करते आ रहे है, उस जमीन का उन्हें आज तक कोई मालिकाना हक़ नहीं मिला है। वह जमीन वनविभाग के खाते मे दर्ज है। यह जमीन वन विभाग के खाते मे कैसे दर्ज है इसकी जानकारी इन लोगो को नहीं है। वनविभाग इन्हे बार-बार परेशान करता है। वनविभाग के ऑफिसर द्वारा यह कहा जाता है कि यहाँ से अपनी फसल हटाओ और उसकी जगह पर पौधों की नर्सरी लगाओ। कोरोना की लहर जब नवम्बर 2021 में फिर से चला, उस वक़्त वनविभाग द्वारा इनके घरो मे आग लगाई गयी और इनकी लहलहाती फसलो को ट्रैक्टर से रौद दिया गया। यह कृत्य वनविभाग द्वारा कोरोना काल मे किया गया। लेकिन दोबारा इन लोगों ने खेतों को फसलों के लिए तैयार किया और जब कोरोना की फिर से लहर आई तब फिर इनके खेतों में फसलें को उजाड़ा गया और खेतों में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए। जाते हुए अधिकारियों ने इन लोगो पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी और शिकायत करने पर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी। हर साल वनविभाग इनको झूठे मुकदमों की नोटिस देता रहता है। लोकल पुलिस और सामंत वनविभाग के साथ है। जबकि इन सब लोगों ने वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक दावा पत्र उपखंड स्तर समिति मे जमा किया है जिसके तहत यह साफ़ है कि जब तक लोगों के दावो का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वनविभाग किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही कर सकता। इसके सबंध मे वनाधिकार कानून और सुप्रिम कोर्ट ने भी अपने निर्णय मे यह कहा है। लेकिन समय-समय पर वनविभाग अपनी गुंडागर्दी से भोले भाले गांव वालों को परेशान करता रहता है।

केस न०- 15: तालाबंदी में स्वस्थ्य सेवाएं नहीं मिलने से मृत्यु

नाम: अवध नरेश
पता: गाँव-अमरपुर ऊंचाडीह, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

श्रीमती शांति पत्नी श्री अमरनाथ सम्पूर्ण लॉकडाउन में बीमार हुई। उनकी बीमारी एक साधारण बीमारी थी लेकिन कोरोना के समय साधारण बीमारी भी बड़ी बीमारी दिख रही थी। इनके पुत्र अवध नरेश ने अपनी माता जी को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र और जिले के सरकारी अस्पताल मे इलाज कराने हेतु ले गए। लेकिन किसी भी अस्पताल मे डाक्टर ने इनके मा का इलाज नहीं किया। सभी डॉक्टर डर के चलते उन्हें दूर से ही दवा और मेडिकल सलाह देते थे। कभी भी उनकी कोरोना की जांच नहीं की गयी। किसी भी डाक्टर ने यह जानने की कोशिश नही की कि ये कोरोना संक्रमण से पीड़ित है या नहीं। इलाज के दौरान इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा यातायात मे खर्च हुआ। कोरोना बीमारी के समय सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी

प्राइवेट गाड़ी वाले एक जगह से दूसरी जगह जाने का सामान्य से 10 गुना ज्यादा किराया वसूलते थे। अवध नरेश की माताजी का चार महीने बीमारी से लड़ने के बाद 7 अक्टूबर 2021 को देहान्त हो गया। अवध नरेश के पास 40 बकरियां थी जिनको इलाज के खर्चे जुटाने के लिए बेचना पड़ा और घर में जो जेवरात थे उन्हें भी गिरवी रख दिया। अब इनको कोई रोजगार भी नही मिल पा रहा है। रोजगार की गहराती समस्या के चलते परिवार की आज आर्थिक स्थिति बहुत खराब है किसी तरह परिवार अपना जीवन गुजार रहा है।

केस न०- 16: तालाबंदी में प्रवासी मजदूर कि पैदल गाँव वापसी

नाम: पूजा
पता: गाँव-मूरकटा ऊंचाडीह, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

पूजा ग्राम मूरकटा ग्राम पंचायत ऊंचाडीह जिला चित्रकूट की निवासी है, जो फरीदाबाद की एक प्रिंटिग मशीन कारखाने में काम कर रही थी। मार्च 2020 के लॉकडाउन के घोषणा के बाद जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए तो यह पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़ी। इनके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। पैदल चलते-चलते भूख और प्यास से इन लोगों का बुरा हाल हो रहा था। छोटे बच्चे को पीने के लिए दूध तक नही मिल रहा था। जो पैसा इनके पास था उससे थोड़े भोजन की व्यवस्था करते थे। और आगे पैदल ही चल पड़ते थे। रास्ते में जिन लोगों से ये सामान खरीदते थे और बदले में पैसा देते थे वे दुकानदार सामान भी दूर से देते थे और पैसे भी दूर से ही लेते थे। लोग ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि कोरोना इनके साथ-साथ चल रहा हो। बहुत तकलीफों के बाद ये लोग अपने बच्चों सहित अपने गांव तक पहुंचे। इस पूरे दौर में न तो हरियाणा सरकार ना दिल्ली सरकार और ना उत्तर प्रदेश सरकार से किसी तरह की कोई मदद मिली।

केस न०- 17: प्रवासी ईंट भट्ठा मजदूर कि दुर्दशा

नाम: छोटू
पता: गाँव-सकरौंहा, ब्लॉक-मानिकपुर,
तहसील-मानिकपुर, जिला-चित्रकूट

छोटू पुत्र देवमान राजस्थान के ननवा शहर में ईट भट्ठे पर पूरे परिवार सहित काम करने गया हुआ था। लेकिन मार्च 2021 मे कॉरोना की लहर के समय जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, सभी ईट भट्ठा मालिकों ने काम करवाना बंद करा दिया। ठेकेदारों ने अपने मजदूरों को बिना मजदूरी का भुगतान किये घर भेजना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को केवल किराया दिया गया लेकिन उनका वेतन नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से ये लोग कभी ट्रक में बैठकर कभी गाड़ी में लटककर और पैदल चलते हुए 10 से 15 दिनों में अपने गांव पंहुचे। गांव पंहुचते ही परिवार का मुखिया बीमार हो गया। कोरोना का समय होने के कारण किसी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा था। केवल निम्-हकीम डॉक्टर के सहारे इलाज कराते रहे जिससे इनकी बीमारी बहुत बढ़ गई और जो बीमारी 10 से 15 दिनों में ठीक हो सकती थी उसको ठीक होने में तीन माह का समय लगा। इसमें इनका खर्चा 1,00,000/- रूपये के आस पास हुआ। जो पूरी तरह से कर्ज का पैसा था। उसके बाद ये कोई काम करने लायक भी नही रहे। इनका कहना है कि सरकारी तंत्र की पूरी व्यवस्था कोरोना समय के दौरान पूरी फेल रही।

केस नं - 18: आदिवासी बस्ती में वन बिभाग और प्रशासन का आतंक और तांडव

ग्राम: जरोमफी में 40 परिवार करीब 500 बीघे की अपनी पुश्तैनी जमीन पर रहते आये हैं। इस जमीन को वन विभाग अपनी जमीन बताकर इनके ऊपर पेड़ काटने का फर्जी केस वर्ष 2013 में लगाया और बिना वजह 23 परिवारों के लोग अदालत में अपन केस लड़ रहे हैं।

कोल कालोनी किहुनिया: यहाँ 30 परिवार अपने पुश्तैनी जमीन करीब 200 बीघे पर रहते आये हैं। इस जमीन को भी वन विभाग अपनी जमीन बताकर 16 लोगों के उपर हरे पेड़ काटने का फर्जी मामला वर्ष 2013 में लगाया। 5 वर्षों तक लोगों ने केस लड़ा और उसके बाद लोग लोक अदालत में गए। वहां हुए निर्णय कि प्रतियाँ किसी के पास नहीं है और इन्हें लिखित में यह पता नहीं है कि क्या निर्णय हुए।

जबरन टीकाकरण, विकलांगता और खौफ

गाँव में 29 दिसम्बर 2021 को 11 बजे पहुंचे तो ज्यादातर लोग अपने अपने खेतों में काम करने चले गए थे। जो लोग बचे थे उसमें कम से कम 6 परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन प्रत्येक के घर में एक से दो लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना टीका लेने के बाद विकलांगता आ गयी है। वे कोरोना टीका लगवाना नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती टिका लगाया गया क्योंकि टिका नहीं लगवाने पर राशन बंद हो गया और बैंक अकाउंट भी बंद करने कि धमकी दी जाने लगी। लोग सरकार से इतने डरे हुए थे कि जनसुनवाई में आकर सार्वजनिक तौर अपनी बात कहने से मना कर दिया।

24 मार्च 2020 शाम के 8 बजे प्रधान मंत्री ने अचानक पूरे देश में लॉक- डाउन की घोषणा कर दी | कोविड महामारी से संकट की शुरुआत लगभग दो महीने पहले से ही शुरू हो गयी थी | इसके कारण लॉक डाउन की आशंका तो बनी हुई थी लेकिन इन दो महीनो के समय में कोई भी वैकल्पिक प्रस्ताव या व्यवस्था नहीं हुई थी और एका एक बिना कोई तैयारी के लॉक डाउन की घोषणा कर दी गयी | न तो सरकारी तौर पर कोई तैयारी थी और ना ही समाज में इसके लिए कोई वैकल्पिक प्रस्ताव था | इसके कारण रातों रात भागदौड़ मच गयी | स्वास्थ्य क्षेत्र, आर्थिक प्रणाली और यातायात एक दम से ठप हो गया | पूरे देश में, खास करके शहरी इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया | लोगों के पास न खाने को पर्याप्त साधन थे और ना ही रोजगार का कोई उपाय | इसके कारण कुछ ही हफ्ते में करोड़ों लोग (प्रवासी मजदूर) सड़क पर आ गए, जिस वजह से वे हजारों मील पैदल चलकर घर वापस जाने के लिए बाध्य हुए | जो शहर में रह गए उनके पास भी रोजगार न होने के कारण खाने पीने का संकट आ गया | यह रिपोर्ट इन्ही सभी मुद्दों को सामने लाने की प्रक्रिया में किये गए जनसुनवाई की है | जो सार्वजानिक जाँच समिती और जन आयोग के द्वारा अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन के साथियों के साथ उत्तर प्रदेश के मानिकपुर, सोमभद्र और चंदोली जिले में की गई थी | इससे हमें यह स्पष्ट चित्र देखने को मिल रहा है कि सरकार की लापरवाही और अधिकारीयों की जवाबदेही में आमजनता का कोई महत्व नहीं है | इस प्रक्रिया में लोगों के द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है और बयानों को रिपोर्ट में अनुलग्न के रूप में जोड़ा गया है |

सार्वजानिक जाँच समिती और जन आयोग